वार्षिक रिपोर्ट

2006-2007

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

▲

6 नवम्बर, 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू देश को संयंत्र समर्पित करते हुए एवं हैवी इलेक्ट्रीकल (इंडिया) लिमिटेड (अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) द्वारा निर्मित एक एमवीए ट्रांसफार्मर का अवलोकन करते हुए।

केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग मंत्री, श्री संतोष मोहन देव, बीएचईएल, भोपाल की स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 6 नवम्बर, 2006 को बीएचईएल, भोपाल में प्रेरणा स्थल पर।

▼

वार्षिक रिपोर्ट

2006 - 2007

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

वेबसाइट : www.dhi.nic.in

www.dpe.nic.in

विषय-सूची

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	5
2.	मुख्य-मुख्य बातें	8

भारी उद्योग विभाग

1.	एक रूपरेखा	13
2.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	17
3.	भारी विद्युत, इंजीनियरी और मशीन टूल उद्योग	27
4.	आटोमोटिव उद्योग	33
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	38
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों का कल्याण	47
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	48
8.	सतर्कता	49
9.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	50
	अनुबंध (I-XII)	51
	संकेताक्षर	64

लोक उद्यम विभाग

1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	69
2.	सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	70
3.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	74
4.	मानव संसाधन विकास	78
5.	सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	81
6.	मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	83
7.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	88
8.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	89
9.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना	91
10.	राजभाषा नीति	93
11.	महिलाओं का कल्याण	94
	परिशिष्ट (I-VII)	95

अनुबंध (I-XII)

		पृष्ठ
I	भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन	51
II	भारी उद्योग विभाग का संगठन	52
III	भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना	53
IV	नियोजन की स्थिति	54
V	उत्पादन कार्यनिष्पादन	55
VI	लाभ (+) हानि(-) (कर-पूर्व)	56
VII	वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय	57
VIII	ऑर्डर बुक होने की स्थिति	58
IX	निर्यात कार्यनिष्पादन	59
X	31.3.2006 के अनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि(-) (अनंतिम)	60
XI	पुर्नरुद्धार/पुनर्गठन मामले में सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां	61
XII	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2006 से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	62

परिशिष्ट (I-VII)

I	लोक उद्यम विभाग का संगठन	95
II	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न, मिनीरत्न उद्यमों की सूची	96
III	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची	98
IV	वर्ष 2005-06 के समझौता ज्ञापन से संबंधित अंक (अनंतिम)	100
V	संकल्प	104
VI	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूचीवार सूची	106
VII	चुने गए नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों की सूची	110

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	5
2.	मुख्य-मुख्य बातें	8

NATRiP
Driving India Into The Future
GLOBAL
AUTOMOTIVE
RESEARCH
CENTRE
ndation Stone Laving Ceremony of
Automotive Research Centre, Chennai

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, केन्द्रीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के प्रभाराधीन कार्य करता है, जिसकी सहायता राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रालय देश में पूंजीगत सामग्री और इंजीनियरी उद्योग के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नीतिगत निर्देश बनाने और 48 सरकारी उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

भारी उद्योग विभाग (भा.उ.वि.)

1.2 भारी उद्योग विभाग भारी इंजीनियरी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास के कार्य देखता हैं तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों को प्रशासित करता है। इस विभाग द्वारा शामिल उद्योग विद्युत, रेल और सड़क परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को सामग्रियों और सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देख-रेख करता है और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए उपस्कर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यम इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

(i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के कार्यान्वयन के दिशानिर्देशन के लिए जुलाई, 2005 में स्थापित नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नोटिस); और

(ii) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़, जो अंशाकन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

भारी उद्योग विभाग के कार्य का आबंटन अनुबंध-I में दिया गया है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता हैं और उद्योग के विकास के लिए पहले प्रोत्साहित करता है। विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उचित हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकीय सहयोग और उन्नयन के संवर्धन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से उद्योगों की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 विभाग के अधीन सरकारी उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्रियों के विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में संलग्न हैं। विभाग के अधीन मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, विद्युत उपस्कर और रेलवे ट्रैक्शन उपकरण, प्रेशर वेसल्स, एसी रेल इंजन, प्राइम मूवर्स, और कृषि के लिए ट्रैक्टरो, घड़ियां, कागज़, टायर और नमक जैसे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विभाग का ऑटो क्षेत्र में एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड में भी इक्विटी हिस्सा है।

1.5 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आर्थिक सलाहकार, तकनीकी स्कंध और एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-II में दिया गया है।

नागरिक अधिकार-पत्र

1.6 भारी उद्योग विभाग प्रभावी तथा प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास के रूप में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव और निदेशक शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं।

(ii) विभाग में विभिन्न विषयों को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी

प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो आवधिक रूप से विभाग की वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

(iii) पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए इस विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) कर्मचारियों की शिकायतों (लोक अदालत में विवाद) के निपटान के प्रयोजनार्थ इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) और पहलों तथा नई नीतियों सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए उप सचिव रैंक के अधिकारी को मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(vii) विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों के समाधान से संबंधित कार्य के लिए विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(viii) सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन कार्य करते हैं।

(ix) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सरकारी उद्यमों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, अधिमान्य रिहायशी आवास, जहां भी संभव हो जैसी सुविधाएं और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्यधारा के कार्यबल के साथ उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त साधन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(x) विशेषकर महिला कर्मचारियों में मानव अधिकारों से संबंधित पर्याप्त जागरूकता सृजित करने के लिए लिंग समानता के अधिकारों के संक्षण और उन्हें लागू करने तथा कामकाजी महिला कर्मचारियों के न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारी उद्योग विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत समिति गठित की है।

(xi) भारी उद्योग विभाग महिला कर्मचारियों को मुख्यधारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण, बैठकों आदि जेसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

लोक उद्यम विभाग (लोउवि)

1.7 तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का सतत् मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (लोउवि) के रूप में जाना जाता है। वर्तमानत: यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.8 लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही यह विभाग सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश भी तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालय तथा सरकारी उद्यमों के बीच अन्तरापृष्ठ प्रदान करता है।

1.9 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूज्जीवन और पुनर्गठन द्वारा एक सुदृढ़ और प्रभावी सरकारी क्षेत्र की संकल्पना करती है। तदनुसार,

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड (बीआरपीएसई) अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण/घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उससे संबंद्ध उचित सिफारिशें करने के लिए पुनरूज्जीवन/पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रभार में स्थापित किया गया है।

1.10 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए है:

- औद्योगिक प्रबन्धन पूल सहित लोक उद्यम ब्यूरो।
- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

1.11 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है और अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका से संबंधित नीति बनाता है तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबन्धन और संबद्ध क्षेत्रों पर दिशानिर्देश भी निर्धारित करता है। यह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में मुख्य क्षेत्रों पर सूचना संग्रहित, मूल्यांकित और अनुरक्षित करता है। अपनी भूमिका पूरी करने में यह अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(i) सरकारी उद्यमों से संबंधित गैर-वित्तीय प्रकृति की सामान्य नीति के मामलों का समन्वय।

(ii) सरकारी उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने से संबंधित मुद्दे।

(iii) निदेशक मंडल की संरचना, कार्मिक प्रबन्ध, कार्यनिष्पादन सुधार और मूल्यांकन, वित्तीय प्रबन्ध, मजदूरी निपटारा, प्रबंध, कार्यनिष्पादन आकलन, सतर्कता प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना।

(iv) नवरत्न/मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की समीक्षा।

(v) क्रय अधिमानता नीति से संबंधित मुद्दे।

(vi) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल की संरचना, शीर्ष पदों के श्रेणीकरण; सरकारी उद्यमों के अनुसूचीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दे।

(vii) आवधिक अंतरालों पर निदेशक मंडल के कार्यपालकों तथा साथ ही निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन से जुड़े कामगारों के वेतनमान और उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की अधिसूचना।

(viii) सरकारी उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीति।

(ix) आंकड़ों के एक केंद्र के रूप में कार्य करना और लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात केंद्रीय सरकारी उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना।

(x) सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन से संबंधित मुद्दे।

(xi) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।

(xii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर) से संबंधित मुद्दे।

(xiii) सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड से संबंधित मुद्दों पर विचार करना।

(xiv) नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सरकारी उद्यमों में पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे।

(xv) कर संबंधी मुद्दों से संबंधित विवादों को छोड़कर सरकारी उद्यमों और सरकारी उद्यमों तथा सरकारी विभागों के बीच स्थायी मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान।

(xvi) अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मुद्दे।

(xvii) सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन से संबंधित मुद्दे।

(xviii) निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मुद्दे।

1.12 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है, जिनकी सहायता 128 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या सहित एक स्थापना द्वारा की जाती है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट-I में है।

अध्याय 2

मुख्य-मुख्य बातें

2.1 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने अपने प्रारंभ से अब तक 46 सरकारी उद्यमों के प्रस्तावों पर विचार किया है और दिसम्बर 2006 तक 40 सरकारी उद्यमों के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। सिफारिश किए गए 40 मामलों में से सरकार ने दिसम्बर, 2006 तक 21 सरकारी उद्यमों के मामले मे अपना निर्णय दिया है।

2.2 राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना सोसायटी (एनएटीआईएस) के अधीन वैश्विक आटोमोटिव अनुसंधान केन्द्र की आधारशिला दिनांक 4 नवम्बर, 2006 को ओरागादम, चेन्नई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंन्धन की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी की सम्माननीय उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी।

2.3 भारी उद्योग विभाग के अधीन दो सरकारी उद्यम अर्थात बीएचईएल और एचएमटी लिमिटेड ने दिनांक 24-28 अप्रैल, 2006 में जर्मनी में आयोजित हेनोवर मेले में भाग लिया। इन दोनों सरकारी उद्यमों ने मुख्यत: हेवी इलेक्ट्रिकल्स और मशीन टूल क्षेत्र में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

2.4 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने वाणिज्यिक ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को आयोजित हेनोवर मेले (जर्मनी) में भारत दिवस का उद्घाटन किया।

2.5 वैकल्पिक ड्राइव्स और ईंधनों पर भारत जर्मन संगोष्ठी दिनांक 9 सितम्बर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

नेट्रिप के अधीन चेन्नई में दिनांक 4 नवम्बर, 2006 को जीएआरसी के शिलान्यास समारोह के प्रतिष्ठित अतिथिगण

माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री संतोष मोहन देव के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह दिनांक 29 जनवरी, 2007 को ''आटोमोटिव मिशन योजना'' का अनावरण करते हुए।

इस संगोष्ठी में सरकार और जर्मनी के मुख्य ऑटोमोटिव विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) तथा शीर्ष ऑटोमोबाइल और संघटक विनिर्माताओं द्वारा किया गया। संगोष्ठी के दौरान भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएएम) ने परस्पर सहयोग के लिए जर्मन ऑटो उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

2.6 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 29.01.2007 को ऑटोमोटिव मिशन योजना (एएमपी) 2006-2016 की पहली प्रति जारी की। एएमपी सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक का हिस्सा होते हुए और वर्ष 2016 तक 25 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करते हुए 34 बिलियन अमरीकी डॉलर के वर्तमान स्तर से वर्ष 2016 में 145 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक उत्पादन पहुंचाकर ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटकों की डिजाइन और विनिर्माण के लिए विश्व में एक पसंदीदा स्थल के रूप में उभरने की संकल्पना करती है।

2.7 भारत के माननीय राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एआरएआई, पुणे में दिनांक 17-20 जनवरी, 2007 से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी में आटोमोबाइल प्रौद्योगिकी

दिनांक 17 जनवरी, 2007 को एसआईएटी, 2007 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री संतोष मोहन देव, भा.उ. और लो.उ. मंत्री, श्री विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री अन्य उत्कृष्ट/समझौता ज्ञापन और स्कोप पुरस्कार विजेताओं के साथ

में उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास से संबंधित अभिनव विचारों की भागीदारी करने के लिए आटोमोबाइल और संघटक उद्योग से 100 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

2.8 भारी उद्योग विभाग के अधीन तीन सरकारी उद्यम, नामतः भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने वर्ष 2005-06 के लिए भारत सरकार को क्रमशः इक्विटी का 145% अर्थात 240.34 करोड़ रुपए; इक्विटी का 7.5% अर्थात 15.20 करोड़ रुपए और इक्विटी का 20% अर्थात 7.08 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया।

2.9 अपने अस्तित्व के पचास वर्ष पूरे होने पर बीएचईएल ने भोपाल में दिनांक 6 नवम्बर, 2006 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। भोपाल में अपना प्रथम संयंत्र स्थापित करते हुए बीएचईएल ने एकीकृत भारी विद्युतीय उपकरण दक्षता विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

2.10 बीएचईएल ने उल्लेखनीय निर्यात निष्पादन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा स्थापित ''प्रतिष्ठित अखिल भारतीय शीर्ष निर्यातक ट्रॉफी'' लगातार 15वें वर्ष प्राप्त की।

2.11 बीएचईएल ने देश की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 65% का अपना हिस्सा बनाए रखा है, जिसने महत्वपूर्ण रूप से वर्ष 2005-06 के दौरान देश में उत्पादित विद्युत के 73% का योगदान दिया है। विद्युत जेनरेटिंग सेटों ने कंपनी द्वारा निर्मित विद्युत जेनरेटिंग सेट के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरूप अभी तक का उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया, जिन्होंने 402.6 विलियन यूनिट का रिकार्ड उत्पादन किया और वर्ष 2005-06 में देश की विद्युत आपूर्ति को बढ़ावा दिया।

2.12 भेल के कर्मचारियों ने (i) लागत में कमी (ii) उच्चतर उत्पादकता और (iii) उत्पादों की गुणवत्ता के लिए अपने अभिनव प्रयासों के लिए तीन '' विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार'' और अपने कारखानों में दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि और निम्नतम दुर्घटना बारम्बारता के रुपए में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया।

2.13 ईपीआई को कुल कारोबार, ऑर्डर बुकिंग, लाभदायकता और उत्पादकता के रूप में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने कार्यनिष्पादन के मान्यतास्वरूप मिनीरत्न का स्तर प्रदान किया गया है।

2.14 माननीय मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2006 को हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) की विस्तार-सह-विविधिकरण परियोजना (ईडीपी) का शुभारंभ किया। सरकार से किसी बजटीय सहायता के बिना कार्यन्वित की जा रही परियोजना समग्र ''एचपीसी कल्पनादृष्टि-2012'' का एक भाग है, जिसका लक्ष्य एचएनएल के लिए सतत प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना है।

2.15 माननीय मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) ने दो योजनाएं (i) अपशिष्ट कागज प्राप्ति और संग्रहण योजना और (ii) कृषि वानिकी योजना का केरल में दिनांक 29 अक्टूबर, 2006 को शुभारंभ किया। पहली योजना अपशिष्ट कागज़ के संग्रहण, भंडारण और ढुलाई द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को आय सृजन के लाभदायी अवसर प्रदान करते हुए मौजूदा और प्रस्तावित डि-इंकिंग संयंत्र के लिए अपशिष्ट कागज़ की अधिप्राप्ति हेतु स्व-सहायता और अपशिष्ट कागज़ की ढुलाई समूहों का संवर्धन करने की संकल्पना करती है।

2.16 माननीय प्रधानमंत्री ने लोक उद्यम विभाग और ''स्कोप'' द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 8 मार्च, 2007 को आयोजित केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के सम्मेलन में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए केंद्रीय

सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को समझौता ज्ञापन और ''स्कोप'' उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। सम्मेलन का विषय ''विकास के लिए सरकारी क्षेत्र का सशक्तिकरण'' था।

2.17 दिनांक 1.1.2007 से वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) की पद्धति का अनुपालन करते हुए केंद्रीय सरकारी उद्यमों के यूनियन से अलग पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मंडल स्तर और निदेशक मंडल से नीचे के स्तर के कार्यपालकों के वेतनमान के संशोधन के लिए दूसरी वेतन संशोधन समिति दिनांक 30.11.2006 को गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष सेवा निवृत्त न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एम.जे. राव हैं। यह समिति 18 महीनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2.18 दिनांक 1.1.2007 से प्रभावी 7वें दौर के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कामगारों के लिए मजदूरी संशोधन नीति के लिए दिशानिर्देश दिनांक 9.11.2006 को जारी किए गए हैं।

2.19 सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2007-08 से रूग्ण और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों को समझौता ज्ञापन प्रणाली के अधीन शामिल किया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सहायक सरकारी उद्यमों को भी अपनी धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

भारी उद्योग विभाग

		पृष्ठ
1.	एक रूपरेखा	13
2.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	17
3.	भारी विद्युत, इंजीनियरी और मशीन टूल उद्योग	27
4.	आटोमोटिव उद्योग	33
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	38
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों का कल्याण	47
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	48
8.	सतर्कता	49
9.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	50
	अनुबंध (I-XII)	51
	संकेताक्षर	64

अध्याय 1

एक रूपरेखा

1.1 उद्योग का कार्यनिष्पादन

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान प्राप्त 8.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर, 2006-07 की अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने 10.3% की सुदृढ़ वृद्धि (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में मापित) दर्ज की। पूंजीगत सामग्री क्षेत्र, जिसने वर्ष 2005-06 में 16.9 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की, ने चालू वर्ष में भी अपनी वृद्धि की गति बनाई रखी है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार पूंजीगत सामग्री क्षेत्र ने अप्रैल-अक्टूबर, 2006-07 के दौरान 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

1.2 अप्रैल-अक्टूबर, 2005-06 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर, 2006-07 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्तियां नीचे सारणी में दी गई हैं:

क्षेत्रवार वृद्धि दरे (%में)

	भार	2005-06 (अप्रैल-अक्टू)	2005-06 (अप्रैल-अक्टू)	2006-07 (अप्रैल-अक्टू)
समग्र	100.0	8.2	8.6	10.3
खनन और उत्खनन	10.5	1.0	0.9	3.4
विनिर्माण	79.4	9.1	9.7	11.2
विद्युत	10.2	5.2	5.2	7.1
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण				
समग्र	100.0	8.2	8.6	10.3
बुनियादी सामग्रियां	35.6	6.7	6.3	9.0
पूंजीगत सामग्रियां	9.3	15.8	16.9	15.0
उपभोक्ता सामग्रियां	28.7	12.0	13.5	9.8
(i) टिकाऊ वस्तुएं	5.4	15.3	13.9	13.2
(ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	11.0	13.5	8.5

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

1.3 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रो से संबंधित कार्य करता है:

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी
(iii) डेयरी मशीनरी
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर

समग्र औद्योगिक वृद्धि (%)

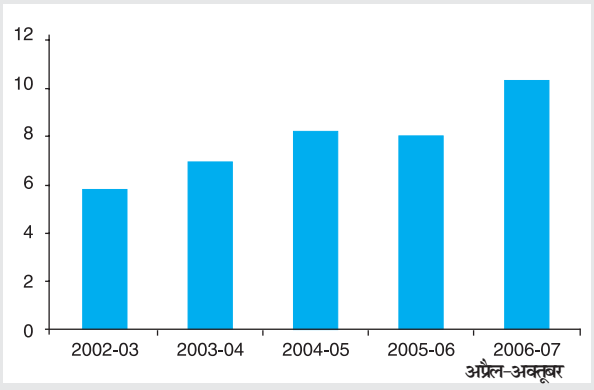

(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन मशीनरी
(ix) मशीन टूल
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी

पूंजी सामग्री क्षेत्र में वृद्धि (%)

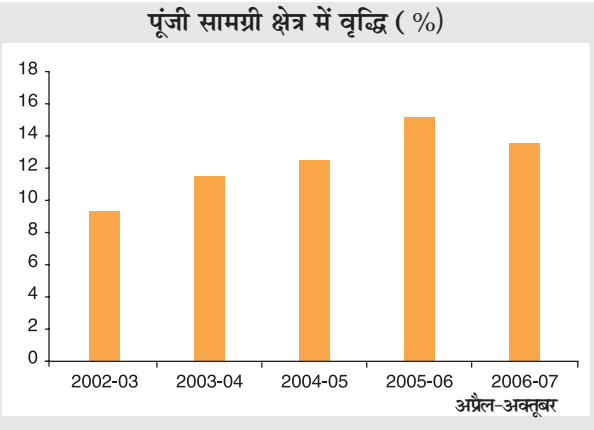

(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) चीनी मशीनरी
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ उद्योगों का अप्रैल-अक्तूबर, 2005-06 की अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 2006-07 की अवधि के लिए उत्पादन और वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

उद्योग	इकाई	अप्रैल-अक्टूबर 2005-06	अप्रैल-अक्टूबर 2006-07	वृद्धि दर (%)
औद्योगिक मशीनरी	लाख रुपए	176464.79	147578.72	16.37
मशीन टूल	लाख रुपए	151449.86	153371.70	1.27
बॉयलर	लाख रुपए	181945.45	262286.24	44.16
टर्बाइन	लाख रुपए	38443.43	56947.33	48.13
विद्युत जेनरेटर	लाख रुपए	41662.05	58458.17	40.32
पावर वितरण ट्रांसफॉर्मर	मिलियन केवीए	35.43	39.50	11.51
दूरसंसचार केबल	मिलियन मीटर	7778.79	4813.09	-38.20
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	214510	277808	29.51
यात्री कार	संख्या	580952	689649	18.71

स्रोत : औद्योगिक नीति और संबर्धन विभाग

1.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

1.5.1 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदात्मक कार्यकलापों में लगे हैं। सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 14 सरकारी क्षेत्र के उद्यम या तो बंद कर दिए गए हैं अथवा प्रचालनाधीन नहीं है, इस प्रकार 34 सरकारी क्षेत्र के उद्यम शेष रह जाते हैं। विभाग के अधीन 14 सरकारी उद्यमों, जो या तो बंद कर दिए गए हैं अथवा प्रचालन में नहीं हैं को छोड़कर 34 प्रचालनरत सरकारी उद्यमों में दिनांक 31 मार्च, 2006 की यथास्थिति कुल निवेश (सकल ब्लॉक) लगभग 9040 करोड़ रुपए था (अनुबंध III)

1.5.2 वर्ष 2005-06 के दौरान 16 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने लाभ अर्जित किया है और शेष 18 ने घाटा उठाया है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 (पुर्वानुमानित) में कुल कार्यनिष्पादित निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपये)

	2005-06	2006-07 (पूर्वानुमानित)
उत्पादन	19388.92	23290.56
लाभ(+)/हानि(-)	(+)1763.59	(+)1828.28

(केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सूचीवार विवरण अनुबंध V और VI में दिया गया है)

1.5.3 विभाग नियमित आधार पर अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण करता है।

भा.उ.वि. के अधीन सरकारी उद्यमों में लाभ (+) हानि (—) करोड़ रु.

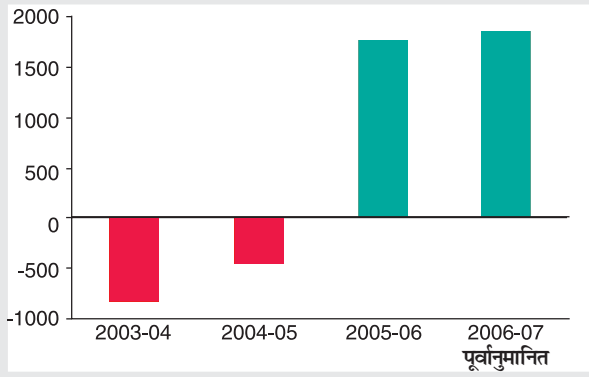

विभाग इन उद्यमों और सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और उनकी ऑर्डर बुकिंग सुधारने के लिए दीर्घाविधिक संपर्क स्थापित करने और मुख्य क्षेत्र के ग्राहकों को सामयिक आपूर्तियां सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

1.5.4 घाटा उठाने वाले उद्यम निविष्टियों की लागत आदि में वृद्धि के अतिरिक्त खराब ऑर्डर बुकिंग, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष मानवशक्ति और अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी सहित कई धारकों से प्रभावित होते हैं। घाटा उठा रहे इन कई सरकारी उद्यमों की बड़े कार्यबल और उद्योग के मानदंडों से बहुत अधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय अनुबंध-VII में दिए गए हैं

1.5.5 अधिकांश सरकारी उद्यमों में ऑर्डर बुकिंग धीरे-धीरे, विशेषकर बीएचईएल के मामले में सुधर रह हैं, जिसकी ऑर्डर बुकिंग लगभग 15,000 करोड़ रुपए से काफी बढ़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 45,000 करोड़ रुपए हो गई है। प्रत्येक सरकारी उद्यमों में ऑर्डर बुकिंग की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-VIII में दिया गया है।

भेल का आर्डर बुक (करोड़ रुपए)

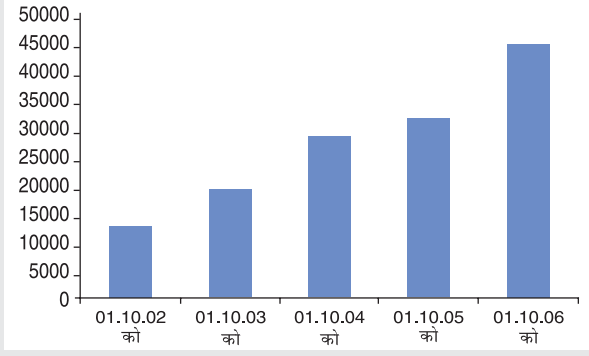

500 मेगावाट के कोस्ती विद्युत संयंत्र; सूडान के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर-संविदा हस्ताक्षरकरण समारोह

जिम्बाबवे में एसएमई विकास परियोजना की स्थापना के लिए श्री डी.के. जैन, अपर सचिव, विदेश मंत्रालय और श्री महेन्द्र कुमार, प्रबन्ध निदेशक, एचएमटी (इंटरनेशनल) करार पर हस्ताक्षर करते हुए

1.5.6 निर्यात करने वाले मुख्य सरकारी उद्यम बीएचईएल, आईएल, एचपीसी और एचएमटी लिमिटेड है। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों का निर्यात निष्पादन अनुबंध-IX में दिया गया है

1.5.7 सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकार का निवेश 3965 करोड़ रुपए है। सरकारी क्षेत्र के कई उद्यम अपना निवल मूल्य पार करते हुए पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं। सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों का संग्रहित घाटा/लाभ अनुबंध-X में दिया गया है

1.6 केंद्रीय सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन

1.6.1 विभाग सरकार की सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में रेखांकित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की नीति के अनुसार साधारणतया लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रूग्ण सरकारी उद्यमों को आधुनिकीकृत और पुनर्गठित करने के प्रयास किए जाएंगे और बहुत समय से घाटा उठा रही कंपनियों की सभी कर्मचारियों को उनकी उचित देयताओं और प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद या तो बिक्री कर दी जाएगी अथवा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। एनसीएमपी के इस अधिदेश को कार्यान्वित करने की दृष्टि से सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) स्थापित किया गया है।

1.6.2 विभाग सरकारी उद्यमों को उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सरकार/बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत रूग्ण/घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी उद्यमों की पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1.6.3 चालू वर्ष 2006-07 में आयोजना के अधीन पूंजी निवेश कार्यक्रम के लिए व्यय दिनांक 31.1.2007 तक 321.65 करोड़ रुपए रहा है। आयोजना भिन्न पक्ष में पुनरुद्धार/पुनर्गठन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, सांविधिक देयताओं, ब्याज सब्सिडी आदि के लिए दिनांक 28.2.2007 तक 422.47 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

1.6.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन 48 सरकारी उद्यमो में से 25 को बीआरपीएसई के समक्ष उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की स्थिति निम्नानुसार है :

(क)	बीआरपीएसई को प्रस्तुत कुल मामले	:	25
(ख)	बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए मामले	:	24
(ग)	बीआरपीएसई द्वारा विचाराधीन मामले	:	1

बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए 24 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में से निम्नलिखित 14 सरकारी उद्यमों के भविष्य का निर्णय उपलब्ध हैं:

(i) भारत पम्प एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)
(ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)
(iii) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (आरएण्डसी)
(iv) तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी)
(v) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)
(vi) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)
(vii) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)
(viii) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)
(ix) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)
(x) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)
(xi) एचएमटी (बेयरिंग) लिमिटेड [एचएमटी(बी)]
(xii) एचएमटी मशीन टूल्स [एचएमटी (एमटी)]
(xiii) भारत ऑरथेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)

(xiv) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का ब्यौरा अनुबंध-XI की विवरणी में दिया गया है।

1.6.5 निम्नलिखित सरकारी उद्यमों को बंद कर दिया गया है/प्रचालनाधीन नहीं हैं:

(i) भारत प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई)
(ii) भारत ब्रेक्स एंड वाल्ब्स लिमिटेड (बीबीवीएल)
(iii) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)
(iv) नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)
(v) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एनएएमसी)
(vi) रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी)
(vii) आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल)
(viii) टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को)
(ix) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)
(x) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी)
(xi) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी)
(xii) भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)
(xiii) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल)
(xiv) नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी)*

*(पुनरूद्धार पैकेज नवम्बर, 2006 में अनुमोदित की गई है)

1.7 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

1.7.1 'भेल' केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों में से एक है। कंपनी के बोर्ड को योग्य बाहरी व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने आदि के संबंध में सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

1.7.2 'भेल', जो एक नवरत्न है, के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के चार उद्यम नामतः आरईआईएल, एचएनएल, ईपीआई और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। मिनीरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वर्धित प्रत्यायोजन के साथ अधिकार भी दिया गया है।

1.8 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

1.8.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने और अपने उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से वर्ष 2006-2007 के लिए भारत सरकार के साथ सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 7 उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)
(iii) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)
(iv) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचपीसी की सहायक कंपनी)
(v) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर (आईएल की सहायक कंपनी)
(vi) एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी)
(vii) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

1.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र

1.9.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाईयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स), असम
(ii) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नागालैंड
(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम
(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

1.9.2 सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में लगी हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनाओं में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई में ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरूद्धार शामिल है। 570 करोड़ रुपए की कुल लागत से एनपीपीसी की पुनर्गठन/पुनरूद्धार योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और इस पर आगे कार्रवाई चल रही है। पिछले 5 वर्षों (2001-02 से 2005-06 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए पूंजीगत निवेश के लिए प्रदान की गई सरकारी बजटीय सहायता 56.17 करोड़ रुपए थी।

1.10 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणीयां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार भारी उद्योग विभाग के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुबंध-XII में दी गई है।

अध्याय 2

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

विभाग के अधीन 48 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में से 34 इस समय प्रचालनाधीन हैं, 3 केंद्रीय सरकारी उद्यम प्रचालनाधीन नहीं हैं और 11 केंद्रीय सरकारी उद्यम बंद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, दो धारक कंपनियां हैं। इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

2.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी औद्योगिक पंखे, चाय कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर सहित विद्युत उपकरणों आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के कार्य में लगी हुई है। वर्ष 1986 में पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिए चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कंपनियां एवाईसीएल का हिस्सा हो गई। ट्रांसफामर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल किया गया था। कंपनी रूग्ण है और उसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड और दो बड़ी सहायक कंपनियां अर्थात दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (अब डीपीएससी लिमिटेड के रूप में पुन: नामित) और टाइड वाटर ऑयल कंपनी भी शामिल है। कंपनी के बेल्टिंग प्रभाग को फरवरी 1999 में एक सयुक्त उद्यम कंपनी में बदल दिया गया है और नई कंपनी की 74% इक्विटी फीनिक्स एजी जर्मनी और 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई है। और सरकार द्वारा पुनरूद्धार / पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई थी। कंपनी द्वारा वर्ष 2006-07 में 119.35 करोड़ रुपए का उत्पादन करना संभावित है।

2.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी की स्थापना एंड्रयू यूल समूह के अधीन कंपनियों की मुदण और लेखन-सामग्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में की गई थी। यह एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में लाभ अर्जित करने वाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2006-2007 में कंपनी का कुल कारोबार 10.00 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

भेल के विद्युत जेनरेटिंग सेट से सज्जित रामागुंण्डम सुपर ताप विद्युत स्टेशन

2.3 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। 'भेल' आज विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सभी प्रणालियों और उपकरणों की आपूर्ती करने वाली एकमात्र प्रमुख कंपनी है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 14 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केंद्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र हैं। कंपनी को एक 'नवरत्न' केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में आभिज्ञात किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में 'भेल' के वर्ष 2005-2006

में कार्यनिष्पादन के लिए इसे 'उत्कृष्ट' की श्रेणी में रखा गया है।

कम्पनी ने क्रमशः थर्मल संयंत्रों की सर्विसिंग/नवीकरण और गैस टर्बाइन की सर्विसिंग के क्षेत्र में दो संयुक्त उपक्रम, एक जर्मनी के मैसर्स सीमेंन्स के साथ और दूसरा मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, सं.रा.अ. के साथ गठित किया है। कंपनी ने नए व्यवासाय क्षेत्रों, जहां इसकी मौजूदा अवसंरचना, कुशलता और दक्षता का इष्टतम उपयोग किया जा सकता है, में प्रवेश करने के लिए कर्ज उपाए किए हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में अपशिष्ट उष्मा प्राप्ति बॉयलर, उन्नत श्रेणी गैस टर्बाइन, सेरालिन इन्सुलेटर्स, टरेट कास्टिग, जल प्रबंध, सामग्री प्रहस्तन, प्रचालन और अनुरक्षण सेवाएं, सिमुलेटर्स और रक्षा के लिए उपस्कर सेवाएं शामिल हैं। 'भेल' ने अपनी आर्डर बुकिंग में काफी सुधार प्रदर्शित किया है। कंपनी ने वर्ष 2006-07 के दौरान सितम्बर, 2006 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए का आर्डर प्राप्त किया, जिनमें से कुछ मुख्य ऑर्डर निम्नानुसार हैं :

- एनटीपीसी के एनसीटीपीपी चरण-3 के लिए 490 मेगावाट का सेट ;
- यूपीआरवीयूएनएल के परीछा विस्तार 5 और 6 के लिए 2x250 मेगावाट के सेट ;
- केपीसीएल बलेरी के लिए 500 मेगावाट का सेट
- हरदुआगंज विस्तार 8 और 9 के लिए 2x250 मेगावाट के सेट ;
- डब्ल्यूबीएसईबी से दुर्गापुर में 400/200 केवी विद्युत सब-स्टेशन ;
- केपीटीसीएल, बंगलौर से 15x100 एमवीए, 220 केवी विद्युत ट्रांसफॉर्मर ;
- जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 1x150 टीपीएच एएफबीसी बॉयलर और एसीसी लिमिटेड से 2x 250 मेगावाट एसटीजी ;

कंपनी द्वारा वर्ष 2006-2007 में 17,825 करोड़ रुपए का उत्पादन करना संभावित है।

2.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था ;

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

सहायक कंपनियां :

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड (बीबीवीएल) (अब बंद हो गई है)

(ख) आरबीएल लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

(ii) भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

(iv) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

सहायक कंपनी :

(i) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) (अब बंद हो गई है)

(v) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(vi) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 से विनिवेश किया गया)

वर्ष 2006-2007 में धारक कंपनी की सभी प्रचालनरत सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 588.45 करोड़ रुपए होना संभावित है।

2.4.1 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड का वर्ष 1976 में समामेलित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयाँ है। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइंट्स एंड क्रासिंग, बोगियां, राख प्रहस्तन संयत्र, कोयला प्रहस्तन संयंत्र आदि शामिल हैं। कंपनी रुग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी की घाटा उठा रही 7 रिफैक्टरी इकाइयां आरै जेमिघंम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के अलोक में कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी का उत्पादन 279.81 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.4.2 ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 मे ब्रेथवेट एंड कंपनी (बीसीएल) का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइंया अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स और (iii) एंगस वर्क्स हैं, जो प्रथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यो के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर प्रहस्तन क्रेन, रेल-माउंटेड डीजल लाको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट कार्डिंग मशीन और जूट उद्योग के लिए रोल फीडर्स आदि शमिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पूनरुत्थान/पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। तत्पपश्चात, बीआईएफआर ने दिनांक 29.06.2006 के आदेश द्वारा बीसीएल को बीआईएफआर के सीमाक्षेत्र से निमुर्क्त कर दिया और बीसीएल औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी का उत्पादन 130.64 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.4.3 भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) की स्थापना वर्ष 1979 में ब्रिटेनिया, मोकामा, बिहार और आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर, बिहार के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई थी। कंपनी के मुख्य उत्पादों में रेलवे वैगन स्क्रू पाइल ब्रिज, इस्पात ढांचे, ग्रे आयरन कास्टिंग आदि शामिल है। कंपनी को बीआईएफआर भेजा गया था। क्यों कि कंपनी रूग्ण हो गई थी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में पुनरुत्थान/पुनगर्ठन के लिए कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुर्नगठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी का उत्पादन 83.00 करोड़ रुपए होना पुर्वानुमानित है।

2.4.4 ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम हो गया जब यह भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी आदि के निर्माण का कार्य करती है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 95 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकात्ता
4. रिचर्डसन एंड क्रडूस (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद

वर्ष 2006-2007 के दौरान सभी सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 987 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5.1 भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोरसायन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थी। कंपनी के तीन उत्पाद प्रभाग नामत: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिविजन हैं। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठाती रही है। और अब इसकी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुर्नगठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पाद 175 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5.2 भारत पप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

भारत पप्स एंड कंप्रशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1970 में समामेलित किया गया था।

कंपनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रो की विभिन्न किस्म के पंपों और कंप्रेशरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी के लिए एक पुनगर्ठित योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी का उत्पादन 135 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5.3 ब्रिंज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) प्रारंभ में बालमेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 1.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के निवेश के माध्यम से बीएंडआर एक सरकारी कंपनी बन गई। इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986 में पेट्रोलियम मंत्रालय से इस विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कंपनी के प्रचालन में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, प्रशीतन टावरों के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, तेलशोधन शालाओं, उर्वरक, रसायन, इस्पात, एल्युमीनियम आदि के लिए संपूर्ण संयंत्रों का यांत्रिक निर्माण करना है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। और सरकार द्वारा एक पुनगर्ठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 605 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5.4 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कपनी वर्ष 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर के संदर्भधीन है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएण्डसी को बंद करने का आदेश पारित किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुर्नगठन के लिए बीआरवीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 49.20 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5.5 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में समामेलित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढ़ाचों जैसे विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुर्नगठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 17.45 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.5.6 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी। तुगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढ़ाचे, ट्रांसमिशन लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना की सुविधा है। राष्ट्रीय न्यूततम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पुनगर्ठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 5 करोड़ होना पूर्वानुमानित है।

2.6 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं। कंपनी के पास व्यापक मात्रा में दूरसंचार केबल और तारों के विनिर्माण की सुविधा है और रेलवे, रक्षा संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं

की पूर्ति करती रही है। एचसीएल रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीती के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है और कंपनी के भविष्य पर सिफारिशें होने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए है।

2.7 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उदेश्य से दिसम्बर, 1958 मे समामेलित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइंया है, यथा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफटी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिप्लर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स संहित हैवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनरूत्थान/पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 330.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.8 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिविजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण की सुविधाओं के साथ वर्ष 1953 में की गई थी। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नए अलग-अलग सहायक कंपनियां में बदलकर संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है। कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं। एचएमटी के ट्रैक्टर के प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में ट्रैक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। बीआरपीएसई ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुत्थान के लिए अपनी सिफारिशे दी हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं। एचएमटी धारक कंपनी (ट्रेक्टर प्रभाग) का उत्पादन वर्ष 2006-07 के दौरान 274.02 करोड़ रूपए होना पूर्वानुमानित है।

2.8.1 एमएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एमएमटी लिमिटेड ने ''एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड'' नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में समामेलित किया है। इसकी विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं। एचएमटी (एमटी) लिमिटेड को सभी विनिर्माण इकांइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई है और सरकार ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के लिए अपना अनुमोदन दिया है। वर्ष 2006-2007 में कंपनी का उत्पादन 240.00 करोड़ रूपए होना पूर्वानुमानित है।

भारत सरकार और जनता से उपहार के रूप में विदेश मंत्रालय की ओर से एचएमटी (इंटरनेशनल) द्वारा स्थापित काबुल में पुल-ए-चर्खी औद्योगिक पार्क में साझा सुविधा और टूल रूम केंद्र (सीएफटीआरसी) में मशीनों का दृश्य

2.8.2 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल और क्वार्ट्ज घड़ियों का विनिर्माण करती है। कंपनी की बंगलौर, तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है। एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के विभिन्न वर्गों की मांग पूरी करती है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है । कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 60.00 करोड़ रुपएहोना पूर्वानुमानित है।

2.8.3 एएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़िया बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कशमीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में एकत्रण (असेम्बली) इकाई है। कंपनी का पंजीकृत कार्यलय जम्मू में स्थित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2006-07 में कंपनी का उत्पादन 10 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.8.4 प्रागा टूल्स लिमिटेड

प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), सिकन्दराबाद को मूलत: एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्ष 1943 मे समामेलित किया गया था। यह कंपनी वर्ष 1959 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। वर्ष 1988 में जब इसकी 51% शेयर पूजी एचएमटी लिमिटेड के नाम हस्तांरित की गई तब यह उसकी सहायक कंपनी बन गई। कंपनी विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स अर्थात सीएनसी कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सीएनसी मिलिंग मशीन, थ्रेड रोलिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन और सीएनसी जिग बोरिंग मशीन आदि का विनिर्माण करती रही है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और पीटीएल के लिए एक पुनरुत्थान/ पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 12.34 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.8.5 एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड

एचएमटी वाचेज (बियरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड के लिए एक पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 33.11 करोड़ रुपये होना पूर्वानुमानित है।

2.8.6 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में मूल कंपनी, एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उदेश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मशीन टूल, घड़िया और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 41.80 करोड रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.9 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएल) की स्थापना 1964 में गयी थी। इसकी तीन उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान) और पलक्कड़ (केरल) में हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिजीटल वितरित-नियंत्रण प्रणाली, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटरों, दोष सहय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेंत प्रणालियों और दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण कार्य में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 2006-07 में आईएल का उत्पादन 250 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है।

2.9.1 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के सयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टर (ई.एम.टी) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों/डेरियों, दुग्ध शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/ प्रणाली, इलेक्ट्रालिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी की शामिल

डा. मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री को जिला ग्रामीण प्राधिकरण (डीआरडीए) महबूबनगर, आंध्रप्रदेश में दिनांक 26,अक्टूबर, 2006 को आरईआईएल के उत्पाद दिखाए जा रहे हैं।

माननीय श्री संतोष मोहन देव, केंन्द्रीय मंत्री (भा. उ.और लो. उ.) ने दिनांक 12 जून, 2006 को आरईआईएल की यात्रा के 25 वर्ष का विशेष उल्लेख करते हुए आरईआईएल की रजत जंयती समारोह के अवसर पर '' ब्लेजिंग दि सिल्वर ट्रैक'' स्मारिका जारी की

करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है। कंपनी आईएल की एक सहायक कंपनी हैं, जो इसकी इक्विटी का 51% धारित करती है। इक्विटी का शेष 49% रिको, राजस्थान सरकार द्वारा धारित किया जा रहा है। अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यम ने ''मिनीरत्न'' का स्तर प्राप्त किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 32 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है।

2.10 नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड

नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल) को तत्कालीन उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के अधीन एक विभागीय कार्यशाला नेशनल इन्सट्रूमेंट्स फैक्टरी की सम्पत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के बाद सरकारी उद्यम के रूप में 1957 में समामेलित किया गया था। कंपनी के पास रात में देखने में काम आने वाले उपकरणों सहित गैस मीटर, कैमरा, प्रैशर व वैक्यूम गेज सहित सर्वेक्षण के लिए कई प्रकार के आप्टिकल और आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरणों का विनिर्माण करने की सुविधाएं हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। सरकार ने एनआईएल की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल को स्थानान्तरित और तत्पश्चात कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी को बंद करना अनुमोदित किया है।

2.11 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) को 1972 में समामेलित किया गया था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का विनिर्माण होता है। कंपनी रूग्ण हो गई और वह बीआईएफआर को संदर्भित की गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। और लगातार पिछले कुछ वर्षो में कंपनी ने लाभ दर्शाया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार होने से यह बीआईएफआर के विचार क्षेत्र से बाहर आ गई है। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी द्वारा 204.39 करोड़ रुपए का उत्पादन प्राप्त करना संभावित है।

2.12 भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) की स्थापना नेशनल इन्स्ट्रूमेंन्टस लिमिटेड से दुर्गापुर स्थित ऑप्थाल्मिक ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर, 1972 में की गई थी। कंपनी के पास ऑप्थाल्मिक ब्लैंक, फ्लिंट बटन, आप्टिकल ग्लास, खिड़कियों के लिए विकिरण रोकने वाले शीशे और अन्य विशेष किस्म के ऑप्टिकल ग्लास के विनिर्माण की सुविधाएं है। कंपनी रूग्ण हो गई है और बीआईएफआर को भेजी गई थी। बीआईएफआर ने कंपनी

को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी का प्रचालन मार्च, 2003 से बंद हो गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

2.13 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और क्षेत्रीय अंसतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उदेश्य से, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां हैं, जो छतीसगढ़ में मांढर, अकलतरा, मध्य प्रदेश में नयागांव; कर्नाटका में कुरकुंटा ; असम में बोकाजन ; हिमाचल प्रदेश में राजबन ; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तांदुर ; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है। इसकी 10 मे से 7 इकाइयां विभिन्न करणों से प्रचालन में नही हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और पुनगर्ठन/पुनरुत्थान योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-2007 के लिए चालू इकाइयों में उत्पादन 261.61 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.14 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

1970 में समामेलित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) कागज़, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है। एचपीसी एक धारक कंपनी है और इसके नियंत्रणाधीन नीचे दिए अनुसार 2 सहायक कंपनियां और 2 प्रमुख समन्वित कागज व लुगदी मिलें हैं।

एचपीसी की सहायक कंपनियां

क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ख) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एचपीसी की इकाईयां

i) नौगांव पेपर मिल्स (एन पी एम)

ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी(एनपीएम और एसपीएम) का उत्पादन 689.58 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.14.1 नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एपीसी) माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, था.उ.और लो.उ. की उपस्थिति में माननीय केन्द्रीय मंत्री था.उ. को नई दिल्ली में दिनांक 2.8.2006 को 15.20 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक प्रस्तुत करते हुए।

एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयरों की स्वामी है। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन/पुररुत्थान योजना कार्यान्वयनाधीन है।

2.14.2 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलतः एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के निर्माण में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। इसकी क्षमता के विस्तार की एक योजना कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2006-07 के दौरान उत्पादन 342.70 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमादित है।

माननीय मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) न्यूज विविधी प्रिंटनगर, केरल में एचएनएल विस्तार-सह-विविधीकरण परियोजना का शुभारंभ करते हुए।

2.15 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

वर्ष 1960 में स्थापित यह कंपनी फोटो सुग्राही फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म्स सांउड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म्स आदि के विनिर्माण में लगी है। कंपनी को वर्ष 1995 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने 30 जनवरी, 2003 तक इसे बंद करने की सिफारिश की । एएआईएफआर के समक्ष विभिन्न एजेंसियों द्वारा बीआईएफआर के बंद करने के आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल की गई थी। एएआईएफआर ने इन अपीलो को खारिज कर दिया। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दाखिल अपील के आधार पर एएआईएफआर और बीआईएफआर की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थान प्रदान किया है। मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को उद्योग पर विभाग संबद्ध की संसदीय स्थायी समिति राज्य सभा की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की व्यवहार्यता पर आगे अध्यन करने के लिए नियुक्त किया गया है। अंतिम रिर्पोट की प्रतीक्षा है। वर्ष 2006 -07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 20.15 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.16 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

वर्ष 1959 में स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) अपनी तीन इकाइयों खारागोडा, गुजरात, मंडी, हिमाचल प्रदेश और रामनगर, उत्तर प्रदेश में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनर्गठन/पुनरुत्थान योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 9.37 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.16.1 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी चुकता पूंजी एक करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और शेष 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अंशदान किया गया है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल का नमक बनाने के साथ नमक पर आधारित रसायनों का निर्माण कर रही है। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 7.98 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.17 नेपा लिमिटेड

भूतपूर्व नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात नेपा लिमिटेड (एनईपीए) 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्तूबर, 1949 में राज्य सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और यह केंन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बन गई। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। कंपनी की समीक्षा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का उत्पादन 82.64 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.18 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में समामेलित किया गया था। कंपनी की काकीनाड़ा मे ही एक इकाई है और यह आटोमोबाईल के टायरों का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण हो गई है और यह बीआईएफआर के विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएसपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशे सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंपनी का उत्पादन 144.39 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.19 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसे 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनात्मक इंजीनियरी, सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण

नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। वर्ष 2001 में कंपनी मे आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसने लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 26 वर्ष के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2003-04 से लाभांश अदा करना प्रारंभ किया। कंपनी ने वर्ष 2005-06 के लिए 20% का लाभांश घोषित किया । वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 714.55 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

2.20 सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यम नामतः माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमएसी), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई), वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), टेनरी एंड फुट

ईपीआई द्वारा पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के लिए 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के विस्तार और सेवाओं का निर्माण

वियर कारपोरेशन लिमिटेड (टोफ्को), भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी), नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी), रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (आरआइसी), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल), रेरॉल बर्न लिमिटेड (आरबीएल), और नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल) बंद हो गए है।

अध्याय 3

भारी विद्युत, इंजीनियरी और मशीन टूल उद्योग

3.1 भारी विद्युत उद्योग

भारी विद्युत उद्योग विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा उपस्कर शामिल करता है। इनमें टर्बो जेनरेटर, बॉयलर, विभिन्न किस्मों के टर्बाइन, ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और संबद्ध सहायक मदें शामिल हैं। चीन के अतिरिक्त भारत ही दूसरा विकासशील देश है जो विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों का उत्पादन करता है। वास्तव में, भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ही देश में भारी विद्युत उद्योग की समग्र विकास पद्धति का प्रतीक है। ''भेल'' को एक ही स्थान में सभी मुख्य विद्युत उत्पादन उपस्कर का विनिर्माण करने वाली विश्व में बहुत कम कंपनियों में से एक होने की अद्वितीय ख्याति प्राप्त है।

देश में भारी विद्युत उपस्कर के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार स्थापित किया जा चुका है। आज ''भेल'' द्वारा आपूरित सेटों का हिस्सा वर्ष 1969-70 तक ''शून्य'' की तुलना में देश में संस्थापित कुल क्षमता का लगभग 65% है। विद्युत उत्पादन उपस्कर के लिए मांग विद्युत विकास कार्यक्रम और संगठनों द्वारा प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्यों पर निर्भर होता है। देश अगले 10 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 150,000 मेगावाट की वृद्धि करने की योजना

संस्थापित उत्पादन श्रमता-संगठन (मेगावाट)

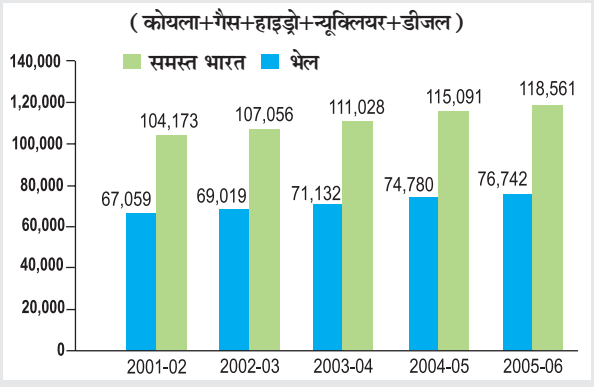

बना रहा है। यह भारी विद्युत उपस्करों के लिए पर्याप्त मांग सृजित करेगा। ''भेल'' की मौजूदा विनिर्माण क्षमता प्रतिवर्ष 6,000 मेगावाट है। वर्ष 2007 तक विनिर्माण क्षमता 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए योजनाएं निष्पादनाधीन है।

ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर आदि जैसे विद्युत उपस्करों का प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कुछ मुख्य क्षेत्र, जहां इनका प्रयोग किया जाता है वे परमाणु विद्युत स्टेशन सहित विद्युत उत्पादन करने वाली करोड़ों रुपए की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, सीमेंट, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन संयंत्र, पेट्रोरसायन, कागज, तेल और गैस, धातुकर्म जैसे उद्योग और अन्य प्रक्रिया उद्योग आदि हैं। उद्योग मौजूदा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करता रहा है और अब निर्यात बाजारों के लिए टर्नकी संविदाएं प्रारंभ करने के लिए सक्षम है

भारी विद्युत उद्योग 400 केवी एसी तक के पारेषण और वितरण उपस्करों का विनिर्माण करने में सक्षम है। लंबी दूरियों तक थोक विद्युत के मितव्ययी पारेषण के लिए उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा (एचवीडीसी) प्रणालियों की भी आपूर्ति की गई है। उद्योग ने 765 केवी की अगली उच्चतर वोल्टता प्रणाली को पारेषण के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया है और 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मरों, रिएक्टरों,

''भेल'' की हरिद्वार यूनिट में स्थापित अति आधुनिक ब्लेड शॉप

टर्नकी आधार पर 'भेल' द्वारा चालू किया गया लीबिया स्थित 600 मेगावाट का वेस्टर्न माउंटेन विद्युत स्टेशन

सीटी, सीवीटी, बुशिंग और इन्सुलेटर आदि की आपूर्ति के लिए अपनी विनिर्माण सुविधाओं का उन्नयन किया है। घरेलू भारी विद्युत उपस्कर विनिर्माता उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं में उन्नयन के संबंध में वैश्विक बाजार में हुए विकास का प्रयोग कर रहे हैं। विद्युत उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास में किया गया निवेश भारत में नैगम क्षेत्र में सर्वाधिक है। भारी विद्युत उद्योग ने वैश्विक क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की है। इनमें ट्रांसफॉर्मर, फोटोवाल्टिक उपस्कर, इंसुलेटर, स्विचगियर, मोटर आदि जैसे व्यापक किस्म के उत्पादो के अतिरिक्त ताप, हाइड्रो और गैस आधारित विद्युत संयंत्र, सब-स्टेशन परियोजनाएं पुनर्वास परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

3.1.1 टर्बाइन और जेनरेटर

औद्योगिक टर्बाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइन जैसे विभिन्न किस्म के टबाईनों के विनिर्माण के लिए स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 7000 मेगावाट से अधिक है। ''भेल'' के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी ऐसी इकाइयां हैं जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रयोग के लिए स्टीम और हाइड्रो-टर्बाइनों का विनिर्माण कर रही है। ''भेल'' की विनिर्माण सीमा में 500 मेगावाट यूनिट तक की स्टीम टर्बाइन शामिल है और 800 मेगावाट तथा 1000 मेगावाट यूनिट आकार के लिए सुविधाएं और प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। ''भेल'' के पास 280 मेगावाट (आईएसओ) की सीमा तक के गैस टर्बाइन आधारित सह-उत्पादन और संयुक्त चक्रीय प्रणालियों के विनिर्माण की क्षमता है। समतुल्य जेनरेटरों के साथ केपलान, फ्रांसिस और पेल्टन किस्म के प्रथागत-निर्मित पारम्परिक हाइड्रो टर्बाइन भी देसी रूप से उपलब्ध हैं। भारत में विनिर्मित एसी जेनरेटर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माता के समान हैं और उच्च निष्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करते हैं। घरेलू विनिर्माता 0.5 केवीए से 25,000 केवीए और उससे अधिक विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के साथ एसी जेनरेटर के विनिर्माण में सक्षम हैं। वर्ष 2005-2006 के दौरान टर्बाइनों और जेनरटरों का आयात और निर्यात क्रमश: 2420 करोड़ रुपए और 565 करोड़ रुपए का है।

3.1.2 बॉयलर

'भेल' देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता (60% से अधिक हिस्से सहित) है और यूटीलिटी बॉयलरों और औद्योगिक बॉयलरों के अतिरिक्त सुपर थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए बॉयलर के विनिर्माण के लिए उसके पास क्षमता हैं उद्योग के पास 1000 मेगावाट के यूनिट आकार तक सुपर क्षमता है। घरेलू उद्योग के पास बॉयलरों की देशी आवश्यकता/मांग को पूरा करने की क्षमता है। देश की वृद्धि योजनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग चल रहे हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान बॉयलरों का आयात और निर्यात क्रमशः 160 करोड़ रुपए और 242 करोड़ रुपए का है।

3.1.3 ट्रांसफॉर्मर्स

घरेलू ट्रांसफॉर्मर उद्योग अत्याधुनिक उपस्कर प्रदान करने की क्षमता के साथ सुस्थापित है। उद्योग के पास आरईसी रेटिंग के 25, 53, 100 केवीए की अतिरिक्त उच्च वोल्टता सीमा सहित विद्युत और वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संपूर्ण सीमा के विनिर्माण की क्षमता हैं। ''भेल'' ने 2,50,000 एमवीए से अधिक ट्रांसफॉर्मर क्षमता की आपूर्ति की है, जिसमें कई निर्यात ऑर्डर शामिल हैं। फर्नेस, रेक्टिफायर्स, विद्युत कर्षण आदि के लिए अपेक्षित विशेष किस्मों तथा सीरिज और शंट रिएक्टरों और साथ ही 500 केवी तक एचवीडीसी पारेषण विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है। वर्ष 2005-2006 के दौरान ट्रांसफॉर्मरों का आयात और निर्यात क्रमशः 1800 करोड़ रुपए और 1640 करोड़ रुपए का रहा।

3.1.4 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

भारत में बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल एयर ब्लास्ट वेक्यूम से लेकर सल्फर टेक्साफ्लोराइड (एसएफ 6) तक संपूर्ण रेंज के सर्किट ब्रेकरों का ग्राहकों के लाभ के लिए मानक विशिष्टियों के साथ विनिर्माण किया जाता है। इस प्रकार उत्पादित उत्पाद की रेंज 240 वोल्ट से 800 केवी तक की संपूर्ण वोल्टता रेंज शामिल करता है और इसमें स्विचगियर, कंट्रोल गियर, एमसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर, स्विच, रिवायरेबल फ्यूज और एचआरसी फ्यूज तथा उनके संबंधित फ्यूज बेस, होल्डर्स और स्टार्टर्स भी शामिल है। उद्योग डिजाइन और इंजीनियरी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी है क्योंकि देश में उपलब्ध कुशलता सेट अपेक्षतया सस्ते हैं। वर्ष 2005-2006 के दौरान इन उपस्करों का आयात और निर्यात क्रमशः लगभग 1690 करोड़ रुपए और 1108 करोड़ रुपए का रहा।

3.1.5 विद्युत भट्ठी

विद्युत भट्ठियों का प्रयोग फोर्जिंग और फाउंड्री, मशीन टूल्स, आटोमोबाइल आदि धात्विक और इंजीनियरी उद्योगों में किया जाता है। इन उत्पादों के उत्पादन क लिए पर्याप्त क्षमता हासिल कर ली गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 186 करोड़ रुपए और 108 करोड़ रुपए का रहा।

3.1.6 शंटिंग और मेनलाइन लोकोमोटिव

स्थानीकृत और आंतरिक परिवहन सुविधाओं के लिए शंटिंग लोकोमोटिव का प्रयोग रेलवे, इस्पात संयंत्रों, ताप विद्युत संयंत्र आदि में किया जाता है। अन्यों के अतिरिक्त ''भेल'' की झांसी इकाई ऐसे लोकोमोटिव का विनिर्माण कर रही है। ''भेल'' मेनलाइन तथा शंटिंग कार्य के अनुप्रयोगों दोनों के लिए संपूर्ण चल स्टॉक अर्थात 5000 अश्वशक्ति तक के विद्युत लोकोमोटिव, 350 से 3100 अश्वशक्ति तक के डीजल विद्युत लोकोमोटिव का विनिर्माण करता है। ''भेल'' भारतीय रेलवे को 1500 वी डीसी और 25 केवी एसी के ईएमयू के लिए इलेक्ट्रिक्स की आपूर्ति में भी योगदान कर रहा है। भारतीय रेलवे में अधिकांश रेलगाड़ियां चाहे वे विद्युत अथवा डीजल चालित हो, ''भेल'' के कर्षण प्रमोदन प्रणाली तथा कंट्रोल से सज्जित हैं, जो पारम्परिक डीसी ड्राइव तथा अत्याधुनिक ड्राइव दोनों हैं।

3.2 भारी इंजीनियरी उद्योग

3.2.1 टेक्सटाइल मशीनरी

टेक्सटाइल मशीनरी, उनके संघटकों, सहायक उपकरणों और अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माण में 600 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं और इनमें से लगभग 100 इकाइयां सम्पूर्ण टेक्सटाइल मशीनरी का विनिर्माण कर रही हैं। इनकी रेंज में छंटाई, रस्सी निर्माण, धागों / फैब्रिक्स का प्रसंस्करण और बुनाई शामिल है। यह उद्योग बदु-फाइबर

वस्त्र मशीनरी रिंग फ्रेम

करार (एमएफए) वस्त्र विनिर्माताओं के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति करने के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। प्रति वर्ष कुल 1500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश और 3050 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका वर्तमान उत्पादन तथा साथ ही निर्यात और आयात निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात
2003-2004	1339	535	2179
2004-2005	1685	457	3299
2005-2006	2212	476	6768

3.2.2 सीमेंट मशीनरी

देश में 7500 टीपीडी क्षमता तक ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि-कैलसिनेशन प्रौद्योगिकी के आधार पर सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण किया जा रहा है। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों का डिजाइन यह ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद

उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ बेहतर उत्पादन हो। इस समय संपूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए/प्रतिवर्ष की संस्थापित क्षमता से उद्योग घरेलू मांग पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। रिकॉर्ड के अनुसार, उद्योग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आयात अथवा निर्यात नहीं किया है।

3.2.3 चीनी मशीनरी

घरेलू विनिर्माता वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं और वे 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक की क्षमता के लिए अद्यतन डिजाइन के संकल्पना से चालू करने के चरण तक चीनी के संयंत्रों का विनिर्माण करने की दक्षता रखते हैं। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से संपूर्ण चीनी संयंत्रों और संघटकों के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 27 इकाइयां हैं।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	427	1259	905
निर्यात	1139	2682	3767

3.2.4 रबड़ मशीनरी

मुख्यतः टायर/ट्यूब उद्योग के लिए अपेक्षित रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में विनिर्माण उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसेज, टयूब स्पिलिसर्स ब्लेडर क्योरिंग प्रेसेज, टायर, माउल्डस, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नेट सर्विसर, बायस कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल हैं।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	25.91	36.75	12.02
निर्यात	22.29	46.15	50.32

3.2.5 सामग्री प्रहस्तन उपस्कर

विनिर्मित उपस्करों की रेंज में कुशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिप लोडर्स/अनलोडर्स, वर्गिन टिप्लर्स, फीडर्स आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे मुख्य उद्योगों की बढ़ती हुई तेजी से परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में भी सक्षम है।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	242.58	261.44	545.54
निर्यात	41.54	80.16	77.91

3.2.6 ऑयल फील्ड उपस्कर

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन हो रहा है। उदारीकरण की चालू प्रक्रिया से उद्योग को तेल की खोज, उत्पादन, तेलशोधन और विपणन के सभी मुख्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप ऑयल फील्ड और संबद्ध उपस्करों की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादन मुख्यतः तटीय ड्रिलिंग उपस्कर शामिल करते हैं। अपतटीय ड्रिलिंग के अधीन केवल अपतटीय प्लेटफॉर्म और कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संरचनाओं का भी स्थानीय रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इन उपस्करों के मुख्य उत्पादन ''भेल'', हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव गोदी और लार्सन एण्ड टूब्रो हैं।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	142.49	638.20	352.84
निर्यात	165.81	300.47	71.87

3.2.7 धातुकर्म मशीनरी

धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाउन्ड्री उपस्कर

और भट्ठियां शामिल हैं। वर्तमान में विभिन्न किस्मों की धातुकर्म मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र में 39 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में उन उपस्करों की मांग पूरी करने के लिए देश में उत्पादन क्षमता पर्याप्त हैं। देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए अधिकांश उपस्कर अर्थात ब्लास्ट फर्नेस, सिन्टर संयंत्र, कोक ओवन, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, निरंतर कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। तथापि, लौह और अलौह क्षेत्र में अपेक्षित संयंत्रों और उपस्करों के लिए बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकीय कमी हैं, जिसके लिए घरेलू विनिर्माता आयातित जानकारी पर निर्भर हैं। चूंकि लौह और अलौह धातु निर्माण की प्रक्रिया उपस्कर की डिजाइन से संबद्ध है इसलिए प्रक्रिया जानकारी, डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता है।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	495.28	454.40	1200.65
निर्यात	434.23	370.70	535.04

3.2.8 खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं। खनन उद्योग को खनन उपस्करों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी अधिकतर आपूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	16.80	39.01	41.99
निर्यात	1.15	1.55	5.90

3.2.9 डेयरी मशीनरी

वर्तमान में इवेपेरेटर, मिल्क रेफ्रिजेरेटर और भंडारण टंकी, मिल्क एण्ड क्रीम डिओडोराइजर्स, सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एजिटेटर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रेडायर्स और हीट एक्सचेंजर जैसे डेयरी मशीनरी उपस्करों का विनिर्माण कर रही है संगठित क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की 16 इकाइयां हैं। लघु उद्योग इकाइयां भी देशी उत्पादन में योगदान दे रही हैं। मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे-डायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अपर्याप्त पॉलिश के परिणामस्वरूप किसी भी माइक्रोक्रेविसेज के बचे रहने से जीवाणु को सांस लेने और प्रजनन का आधार मिल सकता है। सेल्फ क्लिनिंग क्रीम, सेपरेटर, एसोरिटक प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे प्रहस्तन उपस्करों और दही तथा परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए अपेक्षित उपस्कर के लिए प्रौद्योगिकी की कमी मौजूद है।

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
आयात	18.15	21.05	52.36
निर्यात	10.54	8.08	5.95

3.3 मशीन टूल

मशीन टूल उद्योग यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को भी सामान्य प्रयोजन और मानक मशीन टूल का निर्यात करने की स्थिति में हैं। पिछले चार दशकों से भारत में मशीन टूल उद्योग ने एक सुदृढ़ आधार स्थापित किया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 160 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु सहायक क्षेत्र में भी लगभग 400 इकाइयां हैं। तथापि, इस उद्योग में बहुत उच्च सूक्ष्मता

एच.एम.टी. विनिर्मित सीएनसी एक्सल ग्राइडिंग मशीन

वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने की डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। कुछ कंपनियों ने सीएनसी मशीनों का विनिर्माण प्रारंभ किया है परंतु इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का उन्नयन करना आवश्यक है। भारतीय मशीन टूल गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक विनिर्मित किए जाते हैं। आधुनिक मशीन टूल के इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के लिए कई सहयोग भी अनुमोदित किए गए हैं और उद्योग अब परम्परागत तथा साथ ही एनसी/सीएनसी उच्च-प्रौद्योगिकी मशीन टूल का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान अधिक उपयुक्त डिजाइनयुक्त मशीन टूल के लिए अनुसंधान कर रहा है। विशेष प्रयोजन मशीनों और यहां तक कि सीएनसी की कुछ श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकी में कमी हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे सारणीबद्ध है:-

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
उत्पादन	797.00	1089.04	1342.00
आयात	965.00	1820.83	2899.00
निर्यात	55.00	52.61	50.00

3.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विभाग भारी उद्योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के लिए प्रयास करता है और उच्च-स्तरीय आधिकारिक और मंत्री-स्तरीय संपर्कों के माध्यम से व्यवसाय के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है; इस संबंध में निम्नलिखित पहलुओं का विशेष उल्लेख आवश्यक है:

(i) भारत में इटली के राजदूत के साथ श्री रॉबेर्टो फोरिमोगनी, अध्यक्ष लोम्बार्डी क्षेत्र, इटली के नेतृत्वाधीन एक इतालवी शिष्टमंडल और भारत में फ्रांसीसी राजदूत के साथ श्री जीन बुरेले, अध्यक्ष एमईडीईएफ इंटरनेशनल (भारतीय सीआईआई और फिक्की के समतुल्य) के नेतृत्वाधीन एक फ्रांसीसी व्यावसायिक शिष्टमंडल ने मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) से मुलाकात की ऑटो और ऑटो संघटक क्षेत्रों में निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए परस्तर सहयोग के संबंध में चर्चा की।

(ii) भारी उद्योग पर भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त कार्यदल की दिनांक 14-16 जून, 2006 को प्राग में और 24 जनवरी, 2007 को बंगलौर में दो बैठक हुई। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी); एचएमटी और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने अपने चेकोस्लोवाकिया के सहयोगियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। एचएमटी ने भारत में संस्थापित चेकोस्लोवाकिया मूल की मशीनों को सुधारने/पुन:मार्जन और मरम्मत करने में दिलचस्पी दर्शाई है।

अध्याय 4

ऑटोमोटिव उद्योग

4. एक रूपरेखा

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से तथा साथ ही भारत में अर्थव्यवस्था के चालकों में से एक है। अर्थव्यवस्था के कई मुख्य खण्डों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण ऑटोमोटिव उद्योग का एक सुदृढ़ गुणक प्रभाव है और यह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों जैसे यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, बहुउपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, मोपेड, तिपहिए आदि का उत्पादन करते हुए इस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

4.1.1 नई औद्योगिक नीति की घोषणा से ऑटोमोटिव उद्योग में जुलाई, 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंसमुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए कोई इकाई स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यात्री कारों सहित वाहनों के विनिर्माण के लिए पिछले वर्षों से प्रौद्योगिकी के आयात और विदेशी निवेश के मानदंडों को भी प्रगामी एक से उदारीकृत बनाया गया है। इस समय यात्री कार खण्ड सहित इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन किसी अवधि की सीमा के बिना 5% के रॉयल्टी और 2 मिलियन अमरीकी डॉलर के एकमुश्त भी अनुमत्य है। वर्ष 1991 से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे-धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है। इस समय यात्री कार और बहुउपयोगी वाहनों के 13 विनिर्माता, वाणिज्यिक वाहनों के 9 विनिर्माता, दोपहिए/तिपहिए के 14 और इंजन के 5 विनिर्माताओं के अतिरिक्त ट्रैक्टर के 14 विनिर्माता हैं।

4.1.2 ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक क्षेत्र वाले ऑटोमोटिव उद्योग ने वर्ष 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त होने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्र को मुक्त कर देने से तीव्र प्रगति की है। वर्ष 2002-03 में इस उद्योग में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश था, जिसके वर्ष 2007 तक बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए तक होना अनुमानित है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग 1,65,000 करोड़ रुपए (34 बिलियन अमरीकी डॉलर) का कुल कारोबार प्राप्त कर चुका है। यह उद्योग 1.31 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद में ऑटोमोटिव उद्योग के अंशदान वर्ष 1992-93 में 2.77% से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 5% हो गया है। यह उद्योग सरकार के अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी 17% का योगदान कर रहा है।

4.1.3 ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के प्रति वर्ष 95 लाख वाहनों से अधिक की विनिर्माण क्षमता स्थापित की है। आज भारत विश्व में दोपहिए का दूसरा सबसे बड़ा और वाणिज्यिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता है; विश्व में सबसे अधिक संख्या में ट्रैक्टर का विनिर्माण करता है और एशिया में यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। दो दशक पूर्व वाहनों के कुछेक मॉडलों वाले आपूर्तिकर्ता चालित बाजार के पास ग्राहकों के विकल्पों के अनुरूप अब 150 से अधिक मॉडल हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र की संस्थापित क्षमता निम्नानुसार थी:

(संख्या में)

क्रम सं.	खण्ड	संस्थापित क्षमता
1.	चार पहिए वाले	1,590,000
2.	दोपहिए और तिपहिए	7,950,000
3.	कुल जोड़	9,540,000

4.2 कार्यनिष्पादन

4.2.1 उत्पादन

भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक ऑटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखता रहा है। यह उद्योग अपना पुनर्गठन करने, नई प्रौद्योगिकियां अपनाने, वैश्विक विकास के अनुरूप होने और अपनी क्षमता प्राप्त करने में समर्थ रहा है। इसने देश में समग्र औद्योगिक विकास में उद्योग के योगदान मे काफी वृद्धि की है।

ऑटोमोटिव क्षेत्र ने वर्ष 2005-06 में 15.06% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2006-07 (अप्रैल-नवम्बर, 2006 तक) के दौरान उद्योग ने 16.07% की वृद्धि दर दर्ज की है। वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 (अप्रैल-नवम्बर, 2006 तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(संख्या में)

क्र. सं.	उत्पादन	2005-2006	2005-2006 (अप्रै.-नव.05)	2006-2007 (अप्रै.-नव.06)
1.	वाणिज्यिक वाहन	391078	247277	325475
2.	कार	1045881	666898	792446
3.	बहु-उपयोगी वाहन	263032	173407	195113
4.	2-पहिए	7600801	4990487	5739861
5.	3-पहिए	434424	275579	361525
	जोड़	9735216	6353648	7414420

4.2.2 निर्यात

भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को अब संपूर्ण विश्व में वृद्धिकारी मान्यता मिल रही है और वाहनों तथा साथ ही संघटकों के निर्यात में शुरूआत की गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग के निर्यात ने 55.98% की वृद्धि दर की है जबकि यह वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 31.25% और 28.03% थी। वर्ष 2006-07 (नवम्बर, 2006 तक) के दौरान आटोमोटिव के निर्यात ने 27.25% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2005-2006 और 2006-07 (अप्रैल-नवम्बर, 2006 तक) के दौरान निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(संख्या में)

क्र. सं.	उत्पादन	2005-2006	2005-2006 (अप्रै.-नव.05)	2006-2007 (अप्रै.-नव.06)
1.	वाणिज्यिक वाहन	40581	24443	31363
2.	यात्री कार	170193	113280	126734
3.	बहु-उपयोगी वाहन	5579	3614	3983
4.	2-पहिए	513256	343446	430412
5.	3-पहिए	76885	50805	89039
	जोड़	806494	535588	681531

4.2.3 वाहन प्रदूषण नियंत्रण सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में और संशोधित किया गया था, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारंभ की। भारत चरण-1 (यूरो-I के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है। यूरो-II के समतुल्य भारत चरण-II मानदंड दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों में वर्ष 2001 से लागू है। ये मानदंड संपूर्ण देश में दिनांक 1.4.2005 से विस्तारित किए गए हैं। भारत यूरोपीय विनियमन के साथ चार पहियों के वाहन के लिए अपने उत्सर्जन मानदंड सुसंगत बना रहा है और अप्रैल, 2005 से 11 महानगरों में यूरो-III के समतुल्य मानदंड अपनाए है।

4.3 ऑटो संघटक उद्योग

4.3.1 उत्पादन

नब्बे के दशक से ऑटोमोबाइल उद्योग में उछाल से देश में ऑटो संघटक क्षेत्र का सुदृढ़ विकास हुआ है। 1980 के दशक में अनुपालन किए गए चरणबद्ध विनिर्माण नीति (पीएमपी) ने संघटक उद्योग को नई प्रौद्योगिकियां नए उत्पाद शामिल करने में समर्थ बनाया और उनके प्रचालन में गुणवत्ता के अधिक उच्चतर स्तर ने संघटक आधार की शीघ्र और प्रभावी स्थानीकरण भी समर्थ बनाया। वर्षों से भारतीय ऑटो संघटक उद्योग ने देश के ऑटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। उभरते हुए परिदृश्य का

प्रत्युत्तर देते हुए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म की बहुलता और निम्न मात्राओं के बावजूद भारतीय ऑटो संघटक क्षेत्र ने हाल के वर्षों में वृद्धि, विस्तार, नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने और लचीलेपन के रूप में अत्यधिक उन्नति दर्शाई है। भारत के उचित रूप से मूल्यनिर्धारित कुशल कार्य बल; देश द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राप्त सुदृढ़ता के साथ प्रौद्योगिकी कामगारों की बड़ी संख्या ने संघटक उद्योग में महत्वपूर्ण विकास के वातावरण में योगदान दिया है। भारतीय ऑटो संघटक क्षेत्र को सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बार ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है, जिसमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता है। भारतीय ऑटो संघटक उद्योग व्यापक (व्यावहारिक रूप से सभी पुर्जों का उत्पादन करने वाली संगठित क्षेत्र में 500 से अधिक फर्म और लघु असंगठित क्षेत्र में 10,000 से अधिक फर्म) है और वर्ष 1995-98 के बीच आनुमानिक रूप से 28% की वृद्धि करते हुए ऑटो उद्योग के तीव्रतम विकास करने वाले खण्डों में से एक है। वैश्विक आर्थिक गिरावट के बाद मंदी की अवधि के संघटक उद्योग की वृद्धि दर वर्ष 2002-03 में तापस बढ़कर 38% तक पहुंच गई। तथापि उद्योग ऐसी उच्च वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर सका और वर्ष 2003-04 में 24% और वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 प्रत्येक में 16% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सका। पिछले 4 वर्षों में कुल करोबार, निर्यात और रोजगार के रूप में ऑटो संघटक क्षेत्र का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :

(संख्या में)

संकेतक	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
उत्पादन	24500	30640	36540	45500
निर्यात	3800	4620	6237	9127
रोजगार	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति

4.3.2 निर्यात

भारत के विभिन्न वैश्विक ओईएम द्वारा आपे विश्वव्यापी उत्पादन के लिए आटो संघटक प्राप्त करने हेतु निम्न लागत वाले देश के रूप में अधिमानत दी जा रही है। उसके परिणामस्वरूप, भारतीय आटो संघटक उद्योग का परिदृश्य हो गया है। अब इसके निर्यात का 75% ओईएम का शेष समुद्रपारीय बिक्री-पश्च बाजार को पोषण कर रहा है। जबकि आटो संघटक का निर्यात वर्षा 2004-05 में 40 प्रतिशत बढ़कर 104 विभिन्न अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया वहीं इसने 2005-06 में 46% की दर वृद्धि दर्ज की है और 2 मिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़ो को पार कर गया है। वर्ष 2006-07 में भी 40% से अधिक की उच्च वृद्धि प्रत्याशित है। वर्ष 2004-05 के दौरान 6237 करोड़ रुपए का और वर्षा 2005-06 के दौरान 9127 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया था।

4.4 कृषि मशीनरी

कृषि मशीनरी में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्ट और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर का प्रभुत्व है।

4.4.1 कृषि ट्रैक्टर

इस समय 16-20 के निम्न अश्वशक्ति से 75 के उच्चतर अश्वशक्ति वाले व्यापक रेंज के कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में 14 इकाइयां हैं। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग का कुल निवेश 6000 करोड़ रुपए से अधिक और प्रति वर्ष कुल कारोबार 8000 करोड़ रुपए है। उद्योग प्रत्यश: 25,000 से अधिक और अप्रत्यक्षत: 1,50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ट्रैक्टर उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है।

4.4.2 उत्पावन

इस उद्योग ने कुल 880 इकाइयों के उत्पादन से वर्ष 1961 में शुरूआत की। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में ट्रैक्टरों की उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और वर्ष 2000-01 में उत्पादन 2,34,575 के स्तर पर पहुँच गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	संख्या
2000-2001	2,34,575
2001-2002	2,15,000
2002-2003	1,62,000
2003-2004	1,91,633
2004-2005	2,48,976
2005-2006	2,92,908

वातानुकूलित ट्रैक्टर-चण्डी

वर्ष 2005-06 के दौरान ट्रैक्टरों का कुल उत्पादन 2,92,908 के स्तर तक पहुंचाकर उद्योग ने 17.64% की वृद्धि की। कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए सरकार के निरंतर बल दिए जाने के कारण राजकोषीय वर्ष 2006-07 में भी उछाल की प्रवृत्ति और उद्योग की वृद्धि जारी रहने की प्रत्याशा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अगस्त, 2006 तक उद्योग ने 30% से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त की है।

4.4.3 निर्यात

भारतीय ट्रैक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी स्वीकृति मिल रही है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय ट्रैक्टरों के निर्यात में 55% से अधिक सीएजीआर पर वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 के दौरान भारत से ट्रैक्टरों के निर्यात में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें से संयुक्त राज्य अमरीका का बड़ा हिस्सा है। दक्षिण एशियाई देशों, मलेशिया और टर्की जैसे अन्य देशों को निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय संगठनों ने वर्ष 2005-06 के दौरान अपने उत्पादन के लगभग 10% का निर्यात किया और चालू वर्ष के दौरान इसके लगभग 15% होने की प्रत्याशा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था:

वर्ष	निर्यात किए गए ट्रैक्टरों की संख्या
2000-2001	7345
2001-2002	8144
2002-2003	13,511
2003-2004	16,100
2004-2005	20000
2005-2006	28,188

4.4.4 प्रौद्योगिकीय क्षमता

यद्यपि ट्रैक्टर उद्योग ने संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया आदि के विख्यात विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी आयात करके उत्पादन प्रारंभ किया था फिर भी पिछले वर्ष प्रौद्योगिकी को पूर्णतः आत्मसात कर लिया गया है। कुछ ट्रैक्टर विनिर्माताओं ने उच्च अश्वशक्ति श्रेणी के ट्रैक्टरों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित संघटकों के साथ 75 अश्वशक्ति के उच्चतर अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन प्रारंभ किया है। किसानों को अब 12 से 75 अश्वशक्ति तक के प्रतिस्पर्धी मॉडल की व्यापक पसंद उपलब्ध हैं। सफल इकाइयों के प्रतिनिधित्व से ट्रैक्टर उद्योग ने अब मांग में किसी अद्यातक उछाल की पूर्ति करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को विस्तरित करने के रूप में यथा निर्मीत परिपक्वता प्राप्त कर ली है। सफल इकाइयों ने अन्य विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी समतुल्य अंतरण के लिए भी विशेषज्ञता और दक्षता विकसित कर ली है।

4.5 मिट्टी हटाने वाली तथा भवन निर्माण मशीनरी

4.5.1 मिट्टी हटाने के उपकरण और भवन निर्माण मशीनरी उद्योग हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग कोयला और खनीज खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, पत्तन, इस्पात उर्वरक आदि जैसी मुख्य विकास तथा अवसंरचनात्मक योजनाओं से घनिष्ठता सु जुड़ा हुआ है। ऐसी मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले उपलब्ध नहीं थी। इसलिए कोमात्सु, केटरपिलर, पोक्लेन, ड्रेसर, डेमग और हिताची जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात विनिर्माताओं से उनके विकास के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देना आवश्यक था। इस समय विनिर्मित किए जा रहे मिट्टी हटाने के उपकरण में 10 घनमीटर क्षमता तक के शोवेल, 770 अश्वशक्ति तक के बुल्डोजर, 120 अश्वशक्ति तक के उम्पर्स, 8.5 घनमीटर क्षमता तक के एक्सकेवेटर्स, 280 अश्वशक्ति तक के स्क्रैपर और मोटर ग्रेडर और वाकिंग ड्रेगलाइन्स, चल क्रेन आदि शामिल हैं। ग्रेडर, लोडर, एक्सकेवेटर, वाईक्रेटरी कम्पैक्टर्स; हॉट मिक्स प्लांट आदि जैसे निर्माण उपस्कर,

मुख्यतः सड़क निर्माण उपस्करों का देश में ही विनिर्माण किया जा रहा है। ये मशीनें सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, कोयला और लौह अयस्क खनन, में विकास तेज करने, सीमेंट के लिए चूने के पत्थर की खुदाई, भूमि के बड़े क्षेत्र के विकास और पुनरूद्धार, सड़क निर्माण नहर बनाने औद्योगिकी कार्यस्थलों को तैयार करने और क्षेत्र के विकास कार्यकलाप के सभी पहलुओं में सहायता करती हैं। ये मशीने श्रमिकों पर भी निर्भरता कम करती हैं और निर्माण कार्य में स्वचालित प्रदान करती हैं।

4.5.2 मिट्टी हटाने और निर्माण की मशीनरी का देश में उत्पादन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। आज कुल मिलाकर इन मदों के संबंध में देश पूर्णतः आत्मनिर्भर है। वास्तव में पिछले दशक के दौरान उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की है और इसके आकार और विविधता दोनों में वृद्धि हुई है। मिट्टी हटाने वाले और निर्माण उपस्कर उद्योग में उपलब्ध क्षमता लगभग 6000 इकाईयां हैं । भारत में इनके मध्यम आकार की इकाईयों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में 60 से अधिक उपस्कर विनिर्माता हैं। इस उद्योग पर प्रत्येक उत्पाद खण्ड में कुछ बड़े विनिर्माताओं का प्रमुत्व है। बीईएमएल कुल बाजार के लगभग आधे की आपूर्ति करता है। बीईएमएल और कैटरपिलर डम्पर और डोजर्स में जबकि एल एंड टी, कोमात्सु और टेलीकॉन खुदाई उपकरणों में और एस्कार्टस जेसीबी बेकहो लोडर्स में अग्रणी हैं।

4.5.3 इस उद्योग ने वर्ष 2005-06 में 33% की अभूतपूर्व वृद्धि से पिछले दो वर्ष में बिक्री संबंधी कुल कारोबार में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की। अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र में बर्धित बल से उद्योग द्वारा चालू वर्ष में भी वृद्धि की इस प्रवृत्ति को बनाए रखने की संभावना है। इन उत्पादो को घरेलू मांग वर्ष 2005-06 में लगभग 7000 करोड़ रुपए की और निर्यात लगभग 800 करोड़ रुपए तक का था।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

5.1 भारत ने भारी विद्युत, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योग, प्रक्रिया उपस्कर, ऑटोमोबाइल, जहाज, विमान, खनन, रसायन, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न किस्म के बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है। उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभिनव परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना प्रतिस्पर्धात्मकता में मुख्य कारक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था को मुक्त करना और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रवेश ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों के उत्पादन और सेवाओं की आवश्यकता बढ़ा दी है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कई उपाए किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी उद्यम भी सहयोग और आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकिया अपनाने और लागू करने की अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

5.1.1 एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) परियोजना

राष्ट्र की ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिक सक्षम और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित करना आवश्यक है ताकि पर्यावरण पर कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। कोयले का गैसीकरण कोयले के उपयोग का स्वच्छता तरीका है जबकि संयुक्त चक्र विद्युत उत्पादन उच्चतम क्षमता प्रदान करता है। विद्युत उत्पादन के लिए इन दोनों प्रौद्योगिकियों का एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) विद्युत संयंत्रों में एकीकरण बहुत कम उत्सर्जन, उच्चतर क्षमता का लाभ प्रदान करता है और इसमें विद्युत उत्पादन की निम्न लागत की क्षमता है।

''भेल'' पिछले दो दशमों से आईजीसीसी प्रौद्योगिकी के विकास में लगा हुआ है। इस अवधि के दौरान इसने अंततः तिरूचि में 6.2 मेगावाट के संयुक्त चक्र प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करते हुए विभिन्न परीक्षण सुविधाओं की डिजाइन तैयार की है, उन्हें स्थापित और प्रचलित किया है। यह संयंत्र दाबयुक्त द्रवीकृत अस्तर गैसीकरण (पीईबीजी) प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त गैसीकरण प्रौद्योगिकी माना गया है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में और ''भेल'', योजना आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आदि से सदस्यों को शामिल करते हुए/स्थापित प्रधान वैज्ञानिक संचालन समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि एनटीपीसी के कार्यस्थलों में से किसी एक में एनटीपीसी के लिए ''भेल'' द्वारा 127 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया जाना होगा। यह 125 मेगावाट का आईजीसीसी प्रदर्शन संयंत्र 350 मेगावाट से अधिक के वाणिज्यिक आकार वाले आईजीसीसी संयंत्र तक और बढ़ाने के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ''भेल'' ने एनटीपीसी को उनके प्रभावों और टिप्पणियों के लिए जनवरी, 2006 में 125 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन परियोजना पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 885 करोड़ रुपए हैं और यह 36 महीनों में पूरी होगी। परियोजना प्रस्ताव ''भेल'' और एनटीपीसी के विचाराधीन है और इसे संबंधित निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदन पर कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा।

5.1.2 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक पहुंचने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास के प्रयासों को समर्थन देने के लिए देश में अत्याधुनिक परीक्षण वैधीकरण और अनुसंधान एवं

विकास अवसंरचना सृजित करने के लिए सरकार ने जुलाई, 2005 में एक राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेंट्रिप) की स्थापना करने का अनुमोदन दिया। ''नेट्रिप'' प्रत्येक तीन वर्षों के दो चरणों में 1,718 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत में विश्व-स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करता है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन ऑटोमोटिव केंद्रों; दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना का लक्ष्य (i) वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानक स्थापित करने में साकार को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना स्थापित करना, (ii) भारत में विनिर्माण गहन करना, रोज़गार की संभावना की महत्वपूर्ण वृद्धि करते और ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स में अभिसरण सुविधाजनक बनाते हुए अधिक मूल्यवर्धन का संवर्धन करना; (iii) निर्यातों में बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की अधिक निम्न वैश्विक पहुंच बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी उत्पाद परीक्षण, वैधीकरण और विकास अवसरंचना के अभाव को हटाना है।

यह परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करती है:-

(i) हरियाणा राज्य के मनसेर में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(ii) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप किसी स्थान में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पूणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाओं का उन्नयन।

(iv) ग्रीष्म और शीतकालीन पैड सहित लगभग 4,000 एकड़ भूमि पर विश्व-स्तरीय सिद्धकरण स्थल अथवा परीक्षण ट्रैक, जिनके स्थान का निर्णय वैश्विक निविदा देने की प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले विख्यात वैश्विक परामर्शदाता की तकनीकी सहायता से लिया जाएगा।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य में राय बरेली में देश के उत्तरी भाग में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सुविधा के साथ ट्रैक्टरों और सड़क से अलग रहने वाले वाहनों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र।

(vi) असम राज्य में धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केंद्र।

पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ मुख्य मानदंडों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

- सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के नेतृत्व में नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस) गठित की और दिनांक 27 जुलाई, 2005 को पंजीकृत की गई थी। नेटिस में सभी मुख्य स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए एक व्यापक आधार वाला शासी परिषद है। परिषद परियोजना कार्यान्वयन का मार्गनिर्देशन करते हुए नियमित रूप से बैठक करती रही है। कार्यान्तक कर्मचारियों सहित केंद्रीय और कार्यस्थल कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
- स्पेन के इडियाडा के नेतृत्वाधीन परिसंघ को जनवरी में वैश्विक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और उन्होंने सहमत्य समय-अनुसूची के अनुसार अगस्त, 2006 में विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।
- राय बरेली, जहां भूमि अभी भी उपलब्ध कराई जानी है, को छोड़कर सभी कार्यस्थलों में भू-तकनीकी और भूस्थलाकृति सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
- एआरएआई के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र (आरसीएन) को ''नेटिस'' को स्थानान्तरण पूरा कर लिया गया है और केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) के रूप में नया नाम दिया गया है। नीर्विहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सीएमवीआर (केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली) के नियम 126 के अधीन स्वतंत्र किस्म में अनुमोदित एजेंसी के रूप में आईसीएटी के मान्यताकरण के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

- सरकार ने ''नेटिस'' के अधीन सभी परियोजना आयातों के लिए परियोजना आयात विनियमन के अधीन पूर्ण सीमाशुल्क छूट दिनांक 24 मई, 2006 को अधिसूचित की है।
- नेट्रिप की पहली सुविधा- नेट्रिप के अधीन एआरएआई में एक अत्याधुनिक उत्सर्जन प्रयोगशाला स्थापित

श्री पृथ्वीराज चौहान, एमओएस, पीएमओ की उपस्थिति में 17 जुलाई, 2006 को एआरएआई पुणे में एमीशन लैब का उद्घाटन करते हुए श्री संतोष मोहन देव, मंत्री (भा.उ. और लो.उ)

की गई। एआरएआई के उन्नयन का उद्घाटन माननीय भारी उद्योग और लोक उद्योग उद्यम मंत्री द्वारा पूणे में दिनांक 17 जुलाई, 2006 को किया गया।

- नेट्रिप ने स्थापित होने वाले नेट्रिप केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसमर्थन सेवाओं के लिए ऑटोमोटिव निर्यातों के अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध प्रमाणीकरण प्रदान करने हेतु दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 को यूनाइटेड किंगडम सरकार के वाहन प्रमाणीकरण (वीसीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक साहसिक पहल की है।

दिनांक 27 अक्तूबर 2006 को मा. मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) की उपस्थिति में नैट्रिप और यूके के वीसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करतें हुए

5.1.3 पूंजी सामग्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन/अनुसंधान एवं विकास की व्यापक स्कीम

पूंजी सामग्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण और घरेलू विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यवसाय विकास पहलों को प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक स्कीम प्रारंभ करना प्रस्तावित है। एक कार्यनीतिक क्षेत्र होने के कारण पूंजी सामग्री ने वर्ष 1951 से ही भारत की योजना निर्माण प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। वर्षों से देश रक्षा, तेल और गैस, तेलशोधक संयंत्र, न्यूक्लियर, रसायन और पेट्रो-रसायन, उर्वरक, ऑटोमोबाइल आदि जैसे व्यापक उद्योग खण्डों की सेवा करने के लिए मशीनरी के संपूर्ण रेंज को विनिर्माण करने के सक्षम एक सुदृढ़ इंजीनियरी और पूंजी सामग्री आधार विकसित करने में समर्थ रहा है। स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने और वृद्धिकारी वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस योजना का अभिप्राय इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मुख्य नीतिगत पहलें लेना है। प्रारंभ में उद्योग में अभिज्ञात बाधाओं के मुख्य क्षेत्रों अर्थात आधुनिकीकरण, व्यवसाय विकास सेवाएं तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं पर ध्यान देना योजनाबद्ध है। इस योजना के अधीन नए क्षेत्र विशिष्ट पार्क और साझा सुविधा केंद्रों का संवर्धन किया जाएगा। प्रारंभ में यह प्रयास पांच मुख्य पूंजी सामग्री क्षेत्र अर्थात-भारी विद्युत उपस्कर, प्रक्रिया संयंत्र मशीनरी, खनन और निर्माण उपस्कर, वस्त्र मशीनरी और मशीन टूल उद्योग; जो एक साथ मिलकर पूंजी सामग्री क्षेत्र में कुल उत्पादन का लगभग 70% होते हैं, को शामिल करेगा।

5.2 सरकारी उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास की पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कुछ कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.2.1 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

- कोयला-आधारित ताप विद्युत से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक तत्वों की कमी के माध्यम से 'भेल' ने एक अत्याधुनिक बाईपास ओवर फायर एयर सिस्टम

(बीओएफए) विकसित किया है। सूरतगढ़ के 250 मेगावाट में रिट्रोफिटिंग द्वारा प्रणाली के प्रदर्शन में वर्तमान स्तर से हाइड्रोजन ऑक्साइड में 50% तक की कमी देखी गई।

- "भेल" ने वाष्परिसाव का पता लगाने की प्रणाली विकसित की है, जो ताप विद्युत संयंत्रों में बॉयलर ट्यूबों में रिसाव के समय पर पता लगाने देती है। यह निवारक बंदी सुविधाजनक बनाकर भयंकर खराबी और बड़े पैमाने पर निकासी शेकती है।
- भारतीय सेना की भंडारण और मालसूची प्रबंधन प्रणाली को आधुनिकीकृत करने के लिए अपने योगदान के रूप में "भेल" अपनी आंतरिक रूप से विकसित स्वचालित भंडारण और पुन:प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस) संस्थापित करने के लिए एक संविदा निष्पादित कर रहा है। 13 भांडागारों में फैले एएसआरएस में 1,26,000 भंडारण पात्र और एक कम्प्यूटर-आधारित "भांडागार प्रबंध प्रणाली" शामिल है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार के माध्यम से स्वचालित प्रचालन सुविधाजनक बनाती है। 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली यह संविदा केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर द्वारा दी गई थी।
- "भेल" 5500 वाट उत्पादन सहित उच्च क्षमता वाले मल्टी-जंक्शन सोलर सेल और सेटेलाइट बैटरी (निकोल-हाइड्रोजन टाइप 70 एएच) वाले उच्च क्षमता के बहु-जंक्शन सोलर पैनल विनिर्मित किया है। उन्हें संचार उपग्रह, इन्सेट 4 ए, जिसे दिसम्बर, 2005 में "इसरो" द्वारा भूसमकामिक कक्ष में स्थापित किया गया था, में लगाया गया।

कॉरपोरेट अनुसंधान और विकास 'भेल', हैदराबाद में कम्प्यूटेशनल फ्यलूड डाईनेमिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र

- पारम्परिक सोलर सेल की रुपान्तरण क्षमता लगभग 10-15% बढ़ाने के लिए सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों की मितव्यता सुधारने के भाग के रूप में परावर्तन-रोधी विलेयन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।
- अपने ग्राहको को अंतराष्ट्रीय मानको के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के अपने प्रयास के भाग के रूप में "भेल" ने अपने बड़े आकार के उच्चतर वाट क्षमता (150 वाट) पीवी मॉड्यूल को यूरोपीय सौर परीक्षण संस्थापक (इएसटीआई), संयुक्त अनुसंधान केंद्र (जेआरसी), युरोपीय आयोग, "इस्प्रा", इटली से प्रमाणित कराया। "भेल" ने इसके पूर्व निम्न वाट क्षमता वाले मॉड्यूल के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समुद्रापारीय बाजारों में पीवी उत्पादों की संपूर्ण सीमा का विपणन सुविधाजनक बताएगी।
- "भेल" ने "ज्ञान-आधारित इंजीनियरी का प्रयोग करते हुए 500 मेगावाट कन्डेंसर का डिजाइन स्वचालन" नामक ज्ञान प्रबंध परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजाइन के दौरान यह स्वचलित प्रणाली मानव हस्ताक्षेप से मुक्त हैं और विभिन्न डिजाइन विकल्प विकसित करती है और उच्चतम डिजाइन का चयन करती है। यह आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी साधन से मितव्ययी और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सहित इंजीनियरी चक्र अवधि में 80% की कमी होगी।
- "भेल" ने मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन की लंबी पारेषण लाइनों की परियोजना में प्रयुक्त 400 केवी सीरिज कंपनसेशन के लिए उच्च वोल्टता श्रृंखला के कैपेसिटर विकसित किए है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के आईईसी 60143 के लिए उच्च वोल्टता श्रृंखला कैपेसिटी हेतु निष्कासन धारा परीक्षण जैसे विशेष परीक्षणों की आवश्यकता होती है। "भेल", भोपाल ने देश में पहली बार आंतरिक रूप से यह परीक्षण सुविधा स्थापित की है।
- "भेल" देश में पहली बार भारतीय रेलवे द्वारा उनके डीजल विद्युत लोकोमोटिव (प्रति वर्ष 10-12 लोकोमोटिव) में प्रयोग किए जाने के लिए प्रतिष्ठित परियोजना हेतु एक नए 290 किलोवाट के इन्वर्टर की डिजाइन तैयार की है, विकसित किया, विनिर्मित किया और उसका परीक्षण किया है। इस इन्वर्टर के विकास से वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था और पंखे

के लिए रेल डिब्बों में विद्युत की आपूर्ति डीजल विद्युत लोकोमोटिव से ही की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप एक यात्री रेल डिब्बा एक विद्युत कार को प्रतिस्थापित करेगा, जिसे अब हटा दिया जा सकता है।

- "भेल" ने पहली बार मैसर्स पीडीओ, ओमान के निर्यात ऑडर के लिए 1100 किलोवाट, 300 आरपीएम, 6.6 केवी दर्जे के स्लीव-बेयरिंग के साथ फ्लेमपूफ स्क्विटल केज इंडक्शन मोटर की सफलतापूर्वक डिजाइन तैयार की है, विकसित किया, विनिर्मित किया और उसका परीक्षण किया है। अभी तक, सभी फ्लेमप्रूफ मोटरो की आपूर्ति धर्षणरोधी बेयरिंग के साथ ही की गई है।
- "भेल" ने पहली बार भारतीय रेलवे की एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए उनके 3600 अश्वशक्ति के बीजी डीजल विद्युत लोकोमोटिव (10-12 प्रतिवर्ष) पर प्रयोग किए जाने हुए होटल लोड कम्पेनियन एल्टरनेटर (टाइप: सीए 10104 एजेड) के साथ एक नए उत्पादन 320 किलोवाट, ट्रैक्शन एल्टरनेटर (टाइप टीए 10103 एजेड) की डिजाइन तैयार की, विकसित किया, विनिर्मित किया और उसका परीक्षण किया है।
- भेल ने 1800 अश्वशक्ति के केप-गेज डीजल विद्युत लोकोमोटिव के लिए सूडान रेलवे को निर्यात ऑर्डर के लिए गियरबॉक्स (टाइप: जीबी 241 वाई) सहित 1263 किलोवाट ट्रैक्शन एल्टरनेटर (टाइप: टीए 101106 सीवाई) और एक्साइटर/सहायक जेनरेटर (टाइप: एजी 3101 एवाई-1) की डिजाइन तैयार की, विकसित किया, विनियमित किया और उसका परीक्षण किया है।
- "भेल" ने पहली बार 2.7 एटीए पर 5 टी/घंटा और 0.1 एटीए के कंडेन्सर दाब पर एकल अनियंत्रित निष्कर्षण सहित 65 एटीए, 480 सी के इन्लेट पैरामीटर के 8 मेगावाट, 11500 आरपीएम की टबाईन की सफलतापूर्वक डिजाइन तैयार की, विकसित किया, विनिर्मित किया और उसका परीक्षण किया है। इस उच्च गति के इंपल्स स्टीम टर्बाइन प्रोटोटाइप की डिजाइन सीएफडी विश्लेषण और दस्तावेज बनाने के लिए 3 डी ठोस मॉडलिंग का प्रयोग करते हुए बुनियादी सिद्धांतों से तैयार की गई है।
- "भेल" ने पहली बार इस्पात उद्योग में संस्थापना के लिए थमेक्सि, पुणे हेतु एक्सआरएस 943 बाउल मिल की सफलतापूर्वक डिजाइन तैयार की है। इस मिल की डिजाइन ब्लास्ट फर्नेस में कोयला प्रजज्वलन के उपयुक्त तैयार की गई है। इस विकसित डिजाइन में दीर्घ टूट-फूट अवधि के लिए मिल डिस्चार्च वाल्व एसेम्बली के स्थान पर सिरामिक लाइन्स कन्वर्टर हेड एसेम्बली, स्प्रिडा एसेम्बली के स्थान पर हाइड्रॉलिक लोडिंग सिस्टम और हाई-क्रोम इन्सर्ट टाइपरॉल्स के स्थान में सिन्टर्ड कार्बाइड रोल्स जैसी विशेषताएं शामिल है।
- "भेल" ने 250 मेगावाट टर्बो जेनरेटर के लिए पॉयलट एक्साइटर के रूप में उपयुक्त 38 किलोवाट, 220 वो, 400 हार्ट्स कंपैक्ट स्थायी मैगनेट जनरेटर (पीएमजी) की डिजाइन तैयार की, विकसित किया, विनिर्मित किया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अभी तक "भेल" अल्युमीनियम-निकोल-कोबाल्ट मैग्नेट जिनका वजन और आकार अधिक होता है, के साथ पीएमजी प्रदान करता है। उच्च ऊर्जा नियोडाइमियम-आयरन-बौरॉन मैग्नेट के साथ पीएमजी के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिजाइन इष्टतमीकरण से पूर्ण डिजाइन 3-डी पैरामीट्रिक डिजाइन विश्लेषण का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है।

भेल में आंतरिक रूप से विकसित 250 मे.वा. टीजी के लिए पॉयलट एक्साइटर के रूप में उपयुक्त 38 किलोवाट, 220 वोल्ट 400 हॉर्ट्स कंपैक्ट स्थायी मैगनेट जनरेटर (पीएमजी)

5.2.2 हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी)

एचपीसी में किए गए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

"गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्रियों के लिए टिशू कल्चर आधारित उत्पादन सुविधा; टिशू कल्चर सीडलिंग

को ठोस बनाना और उसका स्थानीय किसानों को वितरण।

- राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान के सहयोग से वायुमिश्रण ताल में झाग नियंत्रण
- क्षरीय साहजिंग परीक्षण
- ईएफसी बलीचिंग परीक्षण

5.2.3 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

प्रौद्योगिकी उन्तमत और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए हैं :-

- कैप्टिव पौधारोपण के पुन:रोपण भाग और एचएनएल की भूमि पर अधिक उपजने वाले 2 लाख कृन्तक (क्लोनल) पौधे उगाने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यकलाप।
- यूकेलिप्टस पौधारोपण की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केऐफआरआई के साथ सहयोगी अनुसंधान परियोजना।
- सरकण्डे और बांस रसायन लुगदी की किण्वककारी ब्लीचिंग।
- डीइंकिंग में देशी ओएनपी और ओएमजी के मिश्रण को इष्टतम करना
- ओएमजी वाली असंबद्ध लुगदी में झाग आने की पद्धति नियत्रित करने के लिए पीएच का स्पष्टीकरण।

5.2.4 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

उत्पाद विकास

- समर्पित सीएनजी/एलपीजी ईंधन पर अग्र आरोहित 4-स्ट्रोक के गैसोलिव इंजन प्रचालन सहित तिपहिए का विकास
- ऑटोरिक्शा - 6 यात्री
- ऑटोरिक्शा - 3 यात्री
- माल वाहक
- फैक्टरी निर्मित लोड बॉडी वाहन (निर्मित रंगा हुआ) का विकास

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- सीएनजी मोड पर बीएस-II उत्सर्जन मानदंड की पूर्ति के लिए 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का उन्नयन
- डिजाइन में परिवर्तन और प्रक्रिया सुधार द्वारा शीट मेटल संघटक में लागत की कमी
- डिजाइन में परिवर्तन और प्रक्रिया परिवर्तन द्वारा उत्पाद की विश्वसनीयता में सुधार

5.2.5 राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरआईएल)

क) कृषि-डेयरी उत्पाद/अनुप्रयोग

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के लिए स्मार्ट डीपीएमसीयू कंपनी मिल्क टेस्टर और इलैक्ट्रॉनिक वजन पैमाने की डिजाइन तैयार की, विकसित और वाणिज्यिीकृत किया, "दूध टैंकरो में ढुलाई के दौरान दूध की चोरी और मिलावट रोकने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए "मिल्क टैंकर सुरक्षा प्रणाली का विकास।"

ख) सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली और मॉड्यूल

- वास्तविक समय घड़ी, एलसीडी डिस्प्ले और उसके द्वारा नियंत्रित लाइटिंग सर्किट की स्विचिंग के लिए समय नियत करने की विशेषता सहित एक नई डस्क डॉन सिस्टम का डिजाइन तैयार और विकसित किया।

ग) औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकियां

- कंपनी ने हैंड हर्ल्ड कम्प्यूटरों (एचएचसी) पर निम्नलिखित अनुप्रयोगों के विकास का कार्य प्रारंभ किया है :-
- इलैक्ट्रॉनिक टिकट मशीन
- स्पॉट बिलिंग मशीन
- यातायात उल्लंघन
- सूक्ष्म बैकिंग के लिए चल सुधार टर्मिनल
- इलैक्ट्रॉनिक पार्किंग लॉट टिकट मशीन

कम्पनी ने पशु पहचान और डाटावेस प्रबंध प्रणाली नामक एक नया उत्पाद विकसित किया है। इस प्रणाली में पशु पर लगाई जाने वाली रेडियो तरंग पहचान पर्ची, आरएफ टैग रीडर, पाठक के साथ परस्पर कार्य के लिए उपयुक्त पीसी, पीसी पर आंकड़े डाउनलोड करना, और आंकड़ा संग्रहण, संसाधन और प्रबंध सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर शामिल है।

5.2.6 प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास में अपने प्रयास जारी रखे और बाजार की मांग की पूर्ति के लिए निम्नलिखित नए उत्पाद प्रारंभ किए।

(i) जेड-अश्र; 425 किमी के साथ पीटीसी-400 सीएनसी लेथ

(ii) 455-पीएलसी मॉडल सरफेस ग्राइन्डर

(iii) 530 मॉडल, 30 टन ध्रेड रोलिंग मशीन

(iv) 540 मॉडल, 40 ध्रेड रोलिंग मशीन

5.2.7 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए गए थे उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- इसरो के लिए एचएसडी
  - इसरो, श्रीहरिकोटा के लिए सॉलिड स्टेज एसेम्बली भवन के लिए होरीजेंटल स्लाइडिंग डोर की डिजाइन तैयार करना और उसका विकास।
- विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए हॉडकोक कार
  - हॉट कोक कार की डिजाइन प्रत्येक क्वेचिंग चैम्बर के लिए पृथक लिफ्ट के साथ शुष्क क्वेंचिंग संस्थापनाओं के लिए तैयार की गई है। वर्तमान डिजाइन में दीर्घ अवधि और मशीन के बेहतर स्थायित्व के लिए संशोधित की गई है।
- एनआईएनएल के लिए 10 घनमीटर स्किप कार
- एनआईएनएल के लिए 10 घनमीटर स्किप कार की
  - डिजाइन, और विकास विकसित किया गया है। पहले इसका इटली से आयात किया गया था।
- हॉट ब्लास्ट वाल्व व्यास 1200 और बर्नर कट-ऑफ वाल्व व्यास 1400
  - अभिन्न छल्लों और निर्मित डिस्क के साथ निर्मित बॉडी के लिए डिजाइन विकसित की गई थी। बॉडी और डिस्क दोनों में ढलाई योग्य रिफैक्ट्री अस्तर लगाया गया था। नई डिजाइन रिफ्राक्ट्री के बिना पारम्परिक डिजाइन की तुलना में वधिक अवधि और विश्वसनीयता सहित सक्षम प्रशीतन और सटीक रिसाव रोधन प्रदान करती है।
- बीएसएल के लिए ह्वायस्ट गियर बॉक्स
  - रेचेट एसेम्बली के साथ मुख्य ह्वायस्ट गियर बॉक्स विकसित किया गया था। इसका गियर अनुपात 34 था। गियर बॉक्स का वजन 6.25 टन था। पहले उसका रूस से आयात किया जाता था।
- मैसर्स मगध प्रिसीजन लिमिटेड, इंदौर के लिए 20 एचआई मिल और 6 एचआई मिल हेतु मिल हाडसिंग की कास्टिंग जिसका अंतिम रूप से निर्यात चीन को किया जाना है।

5.2.8 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रण सहित विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक विनिर्माण इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है। एचएमटी के सीमा क्षेत्र में विभिन्न उत्पाद क्षेत्र में किए गए। योजनाबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप की मुख्य-मुख्य बाते निम्नलिखित है:

ट्रैक्टर :

ईजन :-

- 75 अश्वशक्ति टर्बो चार्जर इंजन का विकास
- सीएमवीआर के अधीन भारत (दल) चरण-III निकास उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए एचएमटी 2522, 3522, 4022, 4922, 6522 और एचएमटी 7522 सीसी ट्रैक्टर का विकास।
- उत्सर्जन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना।

ट्रैक्टर :

- एचएमटी की ट्रेक्टरों की सभी मॉडल का सीएमवीआर प्रमाणीकरण और भारत चरण-III के अनुपालन के लिए ट्रैक्टर 65 और 75 अश्वशक्ति।
- ट्रैक्टरों के सभी मॉडलों हेतु शोरगुल, प्रकाश और तड़ित उपकरण के लिए सीएमवीआर नियमों में उपतन संशोधन का अनुपालन।

घड़ियाँ :

- घड़ियों के 111 से अधिक नए मॉडल/परिवर्तियों का विकास और उनका शभारंभ किया गया।

बेयरिंग :

- अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप रक्षा और भारतीय रेलवे के लिए नए बेयरिंग के विकास तथा साथ ही मौजूदा बेयरिंग के सुधार पर केंद्रित रहा। एचएमटी के बेयरिंग केईएमए, नीदरलैंड से आईएसओ/टीएस 16949 गुणवत्ता प्रमाणपत्र से प्रमाणित थे।

5.2.9 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

बर्नपुर वर्क्स

- रेलवे बोर्ड की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवेट्स के स्थान में हक बोल्ड का कार्यान्वयन

सेलम वर्क्स

- बायोलीपिंग के माध्यम से मैग्नेसाइट का शुद्धिकरण
- सस्ती सामग्री का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी किस्म का मैग्नेशियम क्रोम/क्रोम मैग्नेशियम ब्रिक विकसित किया।
- बोकारो एसएमएस-II कन्वर्टर में उच्चतम अवधि प्राप्त करते हुए (2657 हीट्स) बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मैग्नेशियम कार्बन ब्रिक का विकास। ब्रिक को 2500 एमटी क्षमता वाले वेक्यूम संबद्ध हाइड्रॉलिक प्रेस में दाबकृत किया गया था।

5.2.10 ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसव कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

- कंपनी ने रलिंग लाश्न पर ब्लॉक अवधि के दौरान बहुत कम समय में मौजूदा पीएससी गर्डर्स (60 फुट) को इस्पात गर्डर्स से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी संरचना स्कीम विकसित की है। नव-विकसित स्कीम का अनुप्रयोग असम और उत्तर प्रदेश में उत्तरी सीमांत रेलवे और उत्तर-पूर्व रेलवे के अधीन गेज संरक्षण परियोजनाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
- बीबीजे ने 60मी./450एमटी ट्रस्ट ब्रिज की फारवर्ड लॉचिंग विकसित की है, जिसका प्रयोग डीएमआरसी की परियोजनाओं में सफलतापूर्वक किया गया है।

5.2.11 एन्ड्रयूयूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवार्डसीएल)

कंपनी ने अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में निम्नलिखित उत्पाद विकसित किए है :

- ब्रेंरफोर्ड इकाई में शुष्क किस्म के 315 केवीए 6 केवी और 11 केवी/33 केवी शुष्क किस्म के ट्रांसफॉर्मर
- 12 कैच टाइप सेक्शनेलाइज स्विच यूनिट बी 21 वीआई
- 12 केवी 400 ए 20 केवी वैक्यूम कैप, सीजीएल वीआई सहित स्विच तथा साथ ही 100 ए और 150 ए सिंगल पोल डीसी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स;
- माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंट्रोल पैनल के साथ ऑयल फील्ड ऑटो रिक्लोजर्स

5.3 नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

5.3.1 विगत में नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। वे हैं: द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी (सीईटी), सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीआईआई) और वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई)। इनमें से केवल एफसीआरआई इस विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है जबकि शेष चार का प्रबंधन "भेल" द्वारा किया जाता है।

5.3.2 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पलक्कड़

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रवाह ज्ञापन संबद्ध सेवाओं और समाधान में प्रमुख सुविधादाता है। यह प्रवाह संबद्ध क्षेत्र में जागरूकता तथा साथ ही विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, परामर्श, विश्लेषण और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का कार्य करता है। यह संस्थान प्रवाह मायन प्रणाली। इलेक्ट्रोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निवास है और संदर्भ/मास्टर उपकरणों के दिन्हांकन द्वारा आईएसओ-9000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने में उद्योग की सहायता करता है। यह संस्थान महानगर/शहरी वितरण एजेंसियों, तेल और प्राकृतिक गैस नेटवर्क की आवश्यकताओं, कार्यस्थलों पर और संस्थान में आंतरिक रूप से प्रवाह नियंत्रण प्रणाली के परीक्षण/चिन्हांकत में सहायता करता है। संस्थान ने तेल और गैस क्षेत्र, जल उद्योग, विद्युत उद्योग, प्रक्रिया/विनिर्माण क्षेत्र, ओटोमोटिव क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास संगठन आदि से संयुक्त उद्योग परियोजनाओं, नियमित सेमिनार, कार्यशालाओं के माध्यम से सुदृढ़ संदर्भ स्थापित किया है और उद्योग/शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रवाह ज्ञापन से संबद्ध विशेष मुद्दों पर सम्मेलन किए जाते है।

इस संस्थान ने 110 परियोजनाएं पूरी की हैं और स्वयं को परामर्श, परीक्षण, प्रमाणीकरण और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए प्रशिक्षण जैसी अनुमोदित प्रौद्योगिकीय सेवाओं की समर्पित विशिष्ट द्रव इंजीनियरी अनुसंधान संस्थानों में से एक बनाया है।

5.3.3 सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टट्यूट (सीटीआई), बंगलौर

इस परियोजना का विकासात्मक उद्देश्य भारतीय सिरामिक उद्योग को उनकी प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में सहायता करना और उन्नत सिरामिक के नए उत्पाद विकसित करना है। सीटीआई में अनुसंधान के क्षेत्र नेनो-टेक्नोलॉजी, पथवरण टेक्नोलॉजी, माइकोवेव प्रोसेसिंग और संयंत्र संबद्ध अन्वेषणों और विशेष परियोजनाओं से संबंधित है। यह संस्थान कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जर्मनी, यूनिवसिटी ऑफ यूटा, स.रा.अ. और एनआईएफएस जापान के घनिष्ठ संपर्क में कार्य करता रहा है। सीटीआई में मुख्य गतिविधियों में कॉडिएराइट क्लिन फनीचर, सिरामिक आर्मट, कैटेलिक कन्वर्टर के लिए सिरामिक हनीकॉम्ब, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और सिरामिक ग्राइडिंग साधन है। चालू मुख्य अनुसंधान एवं विकास प्रयास औद्योगिक जल शोधन के लिए छिददार सिरामिक्स, गैस-फिल्टरेशन, नेनो एडिटिव के साथ कम्पोजिट इन्सुलेटर आदि पर केंद्रित हैं।

5.3.4 सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन (सीईटी), भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1988 में अनुमोदित किया गया था। केंद्र में क्षमता का विकास विद्युत चालित वाहनों की डिजाइन के सभी पहलुओं को उनके कार्यनिष्पादन, विश्वसनीयता और क्षमता सुधारने के लिए विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए किया गया है। इसकी हाल की कुछ उपलब्धियों में मध्य रेलवे के लिए 1300 वोल्ट डीसी/25 केवीएसी दोहरी वोल्टता वाले ईएमयू के लिए जीटीओ आधारित 3-फेज ड्राइव प्रणाली का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, आईसीबीटी आधारित 700 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत लोकोमोटिव का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, भारतीय रेलवे के लिए 4000 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत लोकोमोटिव के लिए आयात प्रतिस्थापी ट्रैक्शन एल्टरनेटर का परीक्षण शामिल है।

5.3.5 प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, (पीसीआरआई), हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) के स्थापना भारी उद्योग विभाग द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को मुख्य एजेंसी की भूमिका सौपते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन की थी। पीसीआरआई के उद्देश्य पर्यावरणीय प्रबंध, जल, कोलाहल और ठोस अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हैं। संस्थान को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यताप्राप्त है। संस्थान ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/लेखापरीक्षा, ताप विद्युत संयंत्र में फ्लाई एश का विक्षालनीयता अध्ययन, अल्ट्रा वायलेट विकिरण का प्रयोग करते हुए शोधित मल-जल के विसंक्रमण, चयनित स्थानों में गंगा और पश्चिमी यमुना के लिए नदी जल गुणवत्ता आकलन, ताप विद्युत स्टेशनों से भारी घातु उत्सर्जन का आकलन आदि जैसे औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रारंभ की है। चल रही मुख्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में वायु गुणवत्ता माडलिंग के लिए अनुप्रयोग साधनों का विकास, ताप विद्युत संयंत्रों से निस्सारियों का विशिष्टिकरण और सूक्ष्म-जैविक विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास शामिल है।

5.3.6 वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आर आई), तिरुचिरापल्ली

वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यू आर आई) देश में अपनी तरह का पहला है। संस्थान में अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रान और लेजर बीम, फ्लेशबट, घर्षण और प्लाजमा वैल्डिंग के अलावा परम्परागत आर्क वेल्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यहां फेटिग टेस्टिंग रेजीड्यूअल स्ट्रेस मेजरमेंट, रेजीड्यूअल लाइफ ऐस्टिमेंशन आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट आईएसआरओ, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सेवा प्रदान करता रहा है। संस्थान वेल्डिंग संबद्ध क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की भागीदारी और उसे प्रकाशित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सघों/संगठनों, मुख्य ग्राहकों ओर अनुसंधानकताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता है। यह नियमित आधार पर वेल्डरों के प्रशिक्षण का भी कार्य करता है। चालू मुख्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के लिए निर्माण कार्य विधियों का विकास, दर्षण स्टिर वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास, वेल्डिंग फ्यूम्स का अध्ययन, रोबोटिक टाइम ट्विन प्रौद्योगिकी का विकास आदि शामिल है।

अध्याय 6

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम अल्पसंज्यकों के कल्याण के संवर्धन के लिए इस विषय पर सरकार के निर्देशों के अनुरूप अपने दायित्वों के प्रति अत्यधिक सजग हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग व्यक्तियों (**पीडब्ल्यूडी**) और अल्पसंज्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का साधारणतया इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुपालन किया **जा रहा है।** प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित पिछली रिक्तियों को भरने का विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उचित अनुवीक्षण करने के लिए निदेशक के स्तर पर एक संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष कार्यरत है। यह कक्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उज़रदायी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यबल में विभिन्न अल्पसंज्यक समुदायों से बड़ी संज्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्यबल की मुज्य धारा में उनका एकीकरण सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूरा हैं और उनकी जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण उनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है। रिहायशी आवास जैसी सुविधाओं के रूप में सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

6.3 हर वर्ष ''कौमी एकता/सद्भावना दिवस'' आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुटता, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।

अध्याय 7

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करते है कि महिलाओं के साथ किसी भी कारण भेदभाव नहीं किया जाए। सभी कर्मचारियों को भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाया जाता हैं।

7.2 विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और उसे लागू करने तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति गठित की है। विभाग महिला कर्मचारियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। **यह** कार्यबल की मुज़्य धारा में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

7.3 विज़ मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार, जेंडर बजटिंग से संबंधित मामले की देख-रेख करने के लिए विभाग में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

अध्याय 8

सतर्कता

8.1 सतर्कता कार्यकलाप किसी संगठन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग के कर्मचारियों तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुज़्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।

8.2 सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुज़्य क्षेत्र निज़्नानुसार हैं :

- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ज़्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुज़्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
- विज़ीय अनियमितता तथा कार्यविधिक अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

8.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है तथा यह अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। तथापि, उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां भी अपेक्षा हो उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

8.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और मुज़्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उज़रदायी है।

8.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुज़्य कार्यपालकों द्वारा वार्षिक संपज़ि विवरणियों की प्रस्तुति का अनुवीक्षण भी करता है।

अध्याय 9

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 विभाग में राजभाषा अनुभाग विभाग में हिन्दी के प्रयोग के संवर्धन के लिए उपाय करता है। विभाग के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए प्रयास समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रहे थे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से आवधिक बैठकें की और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का सुझाव दिया। **पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 25 मई, 2006 को हुई । समिति के माननीय सदस्यों द्वारा सरकारी कार्य में हिन्दी प्रगामी प्रयोग का प्रचार-प्रसार करने के लिए दिए गए सुझावो पर विचार किया गया है और उनका गंभीरतापूर्वक कार्यान्व्यन किया जा रहा है।**

9.2 **समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी और रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड, मुम्बई के कार्यालयों का निरीक्षण किया और हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की । विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ उद्यमों का निरीक्षण किया और इस प्रभार भ्रमण किए गए इन उद्यमों के अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया।**

9.3 सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों, और परिपत्रों तथा संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए संसद प्रश्नोज़र, वार्षिक रिपोर्टें, निष्पादन बजट , सामान्य आदेश और कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उज़र हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 1 सितज़्बर, **2006 से 15 सितम्बर, 2006** तक **''हिंदी पखवाड़ा''** आयोजित किया गया था, जिसके दौरान टिप्पण/प्रारूपण, अंग्रेजी से हिंदी और विलोमत: अनुवाद, कज़्प्यूटर पर हिंदी टंकण आदि सहित कई प्रतियोगिताएं संचालित की गई। विभाग के अधिकारियों ने इन गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी **से** भाग लिया । **विजेता उम्मीदवारों को माननीय मंत्री (भा.उ. और लो. उ.) द्वारा नकद पुरस्कार दिए गए । हिंदी में टिप्पण/आलेखन तथा साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग की तिमाही रिपोर्ट सही तरीके से भरने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्हें राजभाषा अधिनियम,1963 से भी अवगत कराया गया।**

9.4 वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संवर्धन के लिए निज़्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे:

- राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4), जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीगण ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो**, के अधीन विभाग ने हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की इकाइयों का अधिभूगत और अधिसूचित किया है।**
- **''आज का शज़्द''** के माध्यम से हिंदी सीखने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

9.5 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास जारी रखा। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में **''हिन्दी पखवाड़ा''/''हिन्दी सप्ताह''** बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

अनुबंध I

भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन

भारी उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय के विभागों मे से एक हुआ करताथा। दिनांक 15 अक्तुबर, 1999 से एक पृथक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सृजित किया गया है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग शामिल है। भारी उद्योग विभाग को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए है:-

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2. माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5. एच.एम.टी (बेयरिंग) लिमिटेड
6. एचएम.टी लिमिटेड (धारक कंपनी) ट्रैक्टर प्रभाग सहित
7. एच.एम.टी इंटरनेशनल लिमिटेड
8. एच.एम.टी (चिनार वाचेज) लिमिटेड
9. एच.एम.टी वाचेज लिमिटेड
10. स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड
11. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
12. भारत ऑफथाल्मिक ग्लास लिमिटेड
13. भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
14. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
17. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
18. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
19. हिदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
20. हुगली प्रिटिंग कंपनी लिमिटेड
21. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
22. नागालेंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
23. नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
24. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
25. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
26. नेपा लिमिटेड
27. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
28. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
29. टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
30. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
31. प्रागा टूल्स लिमिटेड
32. रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज़ कारपारेशन लिमिटेड
33. सांभर साल्ट्स लिमिटेड
34. फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीटयूट
35. भारत भारी उद्योग-निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)

सहायक कंपनियां

(i) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड
(ii) भारत प्रोसेटस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
(iii) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
(iv) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रशन कंपनी लिमिटेड
(v) बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लिमिटेड
(vi) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
(vii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
(viii) रेरॉल बर्न लिमिटेड
(ix) वेबर्ड (इडिया) लिमिटेड

36. भारत यंत्र निगम लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(i) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
(ii) तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
(iii) भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
(iv) भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
(v) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड
(vi) ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड

37. मारूति उद्योग लिमिटेड
38. सभी उद्योगों हेतु हैवी इंजीनियरिंग उपस्करों का विनिर्माण और मशीन टूल का विनिर्माण
39. भारी इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग उद्योग
40. मशीन टूल और इस्पात विनिर्माण सहित मशीनरी उद्योग
41. ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने के उपस्कर सहित ऑटो उद्योग
42. सभी किस्म के डीजल इंजन
43. आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
44. राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) और कार्यान्व्यन सोसायटी (नेटिस)

22.02.2007

भारी उद्योग विभाग का संगठन

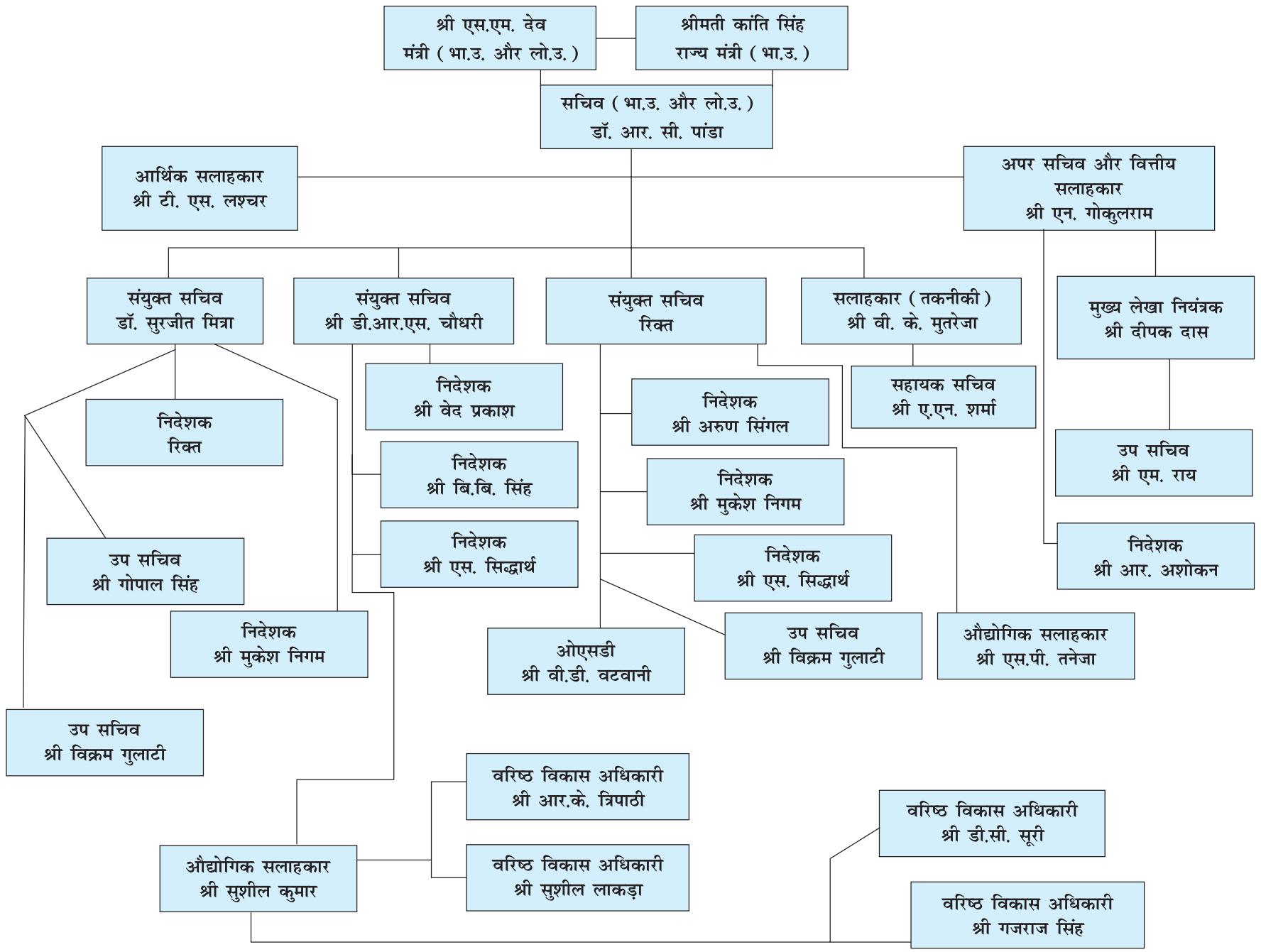

अनुबंध III

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ रुपए)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल), कोलकाता	1979	101.12
2	हुगली प्रिंटिंग, कोलकाता	1979	1.66
3	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	1956	4007.00
4	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), कोलकाता	1976	135.48
5	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), कोलकाता	1976	43.50
6	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), पटना	1978	16.71
7	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जोसफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता	1987	6.63
8	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम	1966	79.22
9	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	38.37
10	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (आरएण्डसी) (1972) लिमिटेड, मुम्बई	1972	30.62
11	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	20.15
12	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड(टीएसपी) होसपेट, कर्नाटक	1967	21.22
13	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया)लिमिटेड (बीएण्डआर), कोलकाता	1972	109.67
14	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	524.02
15	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	317.83
16	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	1953	120.46
17	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी (एमटी), बंगलौर	2000	209.83
18	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	2000	187.80
19	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू	2000	10.75
20	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल) सिकंदराबाद	1959	34.81
21	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड, हैदराबाद	1981	29.30
22	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बैगलोर	1974	7.61
23	इंस्ट्रमेंटशन लिमिटेड लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	67.48
24	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इंस्ट्रमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर	1981	10.57
25	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) लखनऊ	1972	51.96
26	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	647.14
27	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	828.33
28	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएचएल) वेल्लोर, कोट्टाम	1983	391.54
29	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	720.64
30	हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	5.69
31	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	9.95
32	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1958	115.00
33	टायर (टीसीआईएव), कोलकाता	1984	116.69
34	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	21.37
		कुल	***9040.12***

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित नियोजन की स्थिति

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				अ.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. की सख्या		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एण्ड्रयू यूल	207	100	15532	15839	1019	4575	8088
2	हुगली प्रिंटिग	8	7	45	60	1	0	0
3	बीएचईएल (भेल)	9890	7226	25485	42601	7978	1900	3207
4	बीएससीएल	139	173	1237	1549	168	16	287
5	बीसीएल	69	42	433	544	56	1	1
6	बीडब्ल्यूईएल	42	44	862	948	84	2	295
7	बीबीजे	45	6	40	91	6	1	0
8	बीएचपीवी	295	189	684	1168	257	106	271
9	बीपीसीएल	229	38	966	1233	194	3	377
10	आरएण्डसी	22	14	37	73	8	0	7
11	टीएसएल	60	50	201	311	34	0	112
12	टीएसपी	38	64	240	342	71	7	95
13	बीएण्डआर	629	306	263	1198	160	1	37
14	एचसीएल	441	490	2222	3153	832	232	199
15	एचईसी	839	998	1620	3457	300	621	785
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	295	177	1957	2429	561	107	28
17	एचएमटी (एमटी)	1050	432	2906	4388	755	209	834
18	एचएमटी (वाचेज)	75	60	69	204	41	4	20
19	एचएमटी (चिनार वाचेज)	20	83	477	580	45	4	0
20	पीटीएल	93	28	434	555	96	13	120
21	एचएमटी (बियरिंग)	53	40	246	339	42	0	134
22	एचएमटी (आई)	48	10	10	68	10	4	3
23	आईएल	269	815	631	1715	281	79	274
24	आरईआईएल	51	49	94	194	30	12	30
25	एसआईएल	212	72	1395	1679	304	2	461
26	सीसीआई	173	199	1198	1570	197	123	192
27	एचपीसी	581	198	2057	2836	275	208	105
28	एचएनएल	185	90	764	1039	70	4	230
29	एचपीएफ	90	66	916	1072	176	54	345
30	एचएसएल	13	36	82	131	18	9	16
31	एसएसएल	9	27	101	137	35	9	37
32	नेपा	125	0	1340	1465	124	25	77
33	टीसीआईएल	51	24	202	277	15	2	0
34	ईपीआईएल	383	79	7	469	84	16	26
	कुल	**16729**	**12232**	**64753**	**93714**	**14327**	**8349**	**16693**

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध V

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (पूर्वानुमानित)	2007-08 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल	80.61	109.48	97.69	119.23	176.72
2	हुगली प्रिंटिग	8.39	9.98	5.09	10.00	12.50
3	बीएचईएल (भेल)	8631.00	10876.00	14911.00	17825.00	20675.00
4	बीएससीएल	176.92	186.24	181.63	279.81	379.41
5	बीसीएल	66.37	66.20	81.38	130.64	165.72
6	बीडब्ल्यूईएल	12.55	19.63	31.33	83.00	101.09
7	बीबीजे	26.58	38.29	57.89	95.00	97.00
8	बीएचपीवी	34.00	140.00	114.00	175.00	200.00
9	बीपीसीएल	47.40	70.00	103.18	135.00	185.00
10	आरएण्डसी	22.31	27.51	27.50	49.20	350.00
11	टीएसपी	0.30	0.42	0.60	17.45	36.00
12	बीएण्डआर	7.37	3.36	2.34	5.00	6.00
13	बीएण्डआर	395.90	455.65	510.32	605.00	695.00
14	एचसीएल	121.40	21.19	6.07	0.60	0.00
15	एचईसी	136.98	168.48	202.00	330.00	395.00
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	129.35	186.74	236.01	274.02	354.53
17	एचएमटी (एमटी)	177.95	208.10	214.17	240.00	320.00
18	एचएमटी (वाचेज)	25.64	19.33	29.17	60.00	90.00
19	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.97	0.20	2.97	10.00	15.00
20	पीटीएल	8.11	10.53	10.72	12.34	26.36
21	एचएमटी(बी)	23.60	24.42	25.00	33.11	49.74
22	एचएमटी(आई)	32.90	29.08	20.80	41.80	51.00
23	आईएल	153.25	175.85	219.98	250.00	280.00
24	आरईआईएल	31.37	34.64	30.67	32.00	36.00
25	एसआईएल	148.62	135.36	167.20	204.39	212.32
26	सीसीआई	131.33	178.53	230.03	261.61	297.21
27	एचपीसी	581.91	551.62	677.59	689.58	717.65
28	एचएनएल	250.99	273.55	303.01	342.70	342.70
29	एचपीएफ	34.76	16.83	15.37	20.15	23.50
30	एचएसएल	5.63	4.71	6.67	9.37	5.75
31	एसएसएल	5.25	7.19	8.22	7.98	20.83
32	नेपा	39.03	38.31	58.73	82.64	85.00
33	टीसीआईएल	144.32	60.31	144.75	144.39	175.10
34	ईपीआई	462.69	526.45	655.84	714.55	794.48
	कुल	**12156.75**	**14674.18**	**19388.92**	**23290.56**	**27371.61**

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+)/हानि(-) (कर-पूर्व)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (पूर्वानुमानित)	2007-08 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क)	**लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम***					
1	हुगली प्रिंटिग	1.16	1.50	0.39	0.79	0.56
2	बीएचईएल (भेल)	1015.00	1581.00	2564.00	2820.00	3222.00
3	एचपीसी	59.69	55.60	87.98	57.80	68.18
4	बीएनएल	8.22	9.54	27.36	69.19	65.79
5	एचएमटी (धारक कंपनी)	-7.19	18.50	13.55	180.46	21.09
6	एचएमटी(आई)	0.13	0.08	0.98	0.34	0.43
7	एचएमटी(बी)	-9.58	-10.38	0.31	-4.41	-3.02
8	बीपीसीएल	-16.91	-9.81	2.17	16.14	26.91
9	बीएण्डआर	3.18	1.49	3.11	11.63	17.87
10	बीसीएल	-23.56	-21.91	2.21	3.64	14.49
11	बीबीजे	-24.30	0.33	0.49	1.68	8.25
12	सीसीआई	-80.95	-218.94	831.84	10.31	499.62
13	ईपीआई	29.66	7.75	13.31	15.10	16.70
14	पीटीएल	-37.50	16.04	116.51	98.55	2.93
15	आरईआईएल	2.88	3.03	3.16	3.60	3.30
16	एसआईएल	3.16	1.39	1.90	2.80	4.40
उप-योग (क) लाभ कमा रही कंपनियां		**923.09**	**1435.21**	**3669.27**	**3287.62**	**3969.50**
(ख) हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम						
17	एण्ड्रल यूल एण्ड कंपनी	-54.63	-75.35	-73.35	-45.65	20.37
18	बीएससीएल	-110.65	-118.72	-442.74	-130.65	6.36
19	बीडब्ल्यूएल	-24.05	-28.10	-24.88	-9.03	3.32
20	टीएसपी	-99.98	-57.53	-30.08	-23.43	-17.40
21	बीएचपीवी	-152.92	-78.23	-71.38	-27.39	-17.81
22	आरएण्डसी	-39.26	-33.06	-42.54	-45.17	-23.42
23	टीएसएल	-74.78	-51.54	-48.91	0.60	0.84
24	एचसीएल	-307.87	-270.88	-295.32	-300.00	-310.00
25	एचईसी	-132.68	-285.02	-86.89	-8.55	0.31
26	एचएमटी (एमटी)	-119.08	-73.80	-6.56	-102.77	36.25
27	एचएमटी (वाचेज)	-135.00	-135.00	-76.00	-180.00	95.00
28	एचएमटी (चिनार वाचेज)	-21.92	-25.23	-30.88	135.49	3.06
29	एचएसएल	-2.41	8.34	-0.57	-0.04	0.67
30	एसएसएल	-3.11	2.35	-1.26	-0.37	0.11
31	आईएल	-29.02	-16.98	-13.96	1.38	2.78
32	एचपीएफ	-443.02	-496.41	-560.90	-626.20	-688.82
33	नेपा	-31.22	-47.27	-51.93	-47.98	-47.26
34	टीसीआईएल	4.55	-56.87	-47.53	-49.58	-48.78
उप-योग (ख) हानि उठा रही कंपनियां		**-1777.05**	**-1839.30**	**-1905.68**	**-1459.34**	**-984.42**
कुल-योग (क और ख)		**-853.96**	**-404.09**	**1763.59**	**1828.28**	**2985.08**

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

*वर्ष 2005-06 के प्रचालनरत परिणाम के आधार पर

अनुबंध VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय को

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
		2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (पूर्वानुमानित)	2007-08 (लक्ष्य)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (पूर्वानुमानित)	2007-08 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एण्ड्रयू यूल एण्ड कं.	42.89	40.13	41.08	34.14	19.79	12.68	15.93	11.29	9.18	6.63
2	हुगली प्रिंटिंग	18.01	15.64	30.13	15.93	15.20	1.20	1.23	1.08	1.02	0.96
3	भेल	18.93	15.97	12.94	13.44	14.61	2.86	2.21	1.89	1.76	1.56
4	बीएससीएल	15.43	12.73	12.75	12.06	12.80	2.18	4.14	3.31	1.85	0.62
5	बीसीएल	20.26	21.20	10.39	9.42	6.70	0.88	0.78	0.77	1.08	1.05
6	बीडब्ल्यूईएल	158.99	96.29	56.39	26.01	28.30	2.34	1.74	0.58	0.56	0.60
7	बीबीजे	15.19	10.00	8.53	7.19	7.82	1.07	0.69	0.57	0.53	0.61
8	बीएचपीवी	58.14	29.15	22.99	16.11	12.50	6.59	3.46	2.93	2.19	2.00
9	बीपीसीएल	43.70	32.70	26.30	23.70	16.80	1.92	1.24	1.03	0.89	0.76
10	आर एण्ड सी	26.00	7.00	6.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	टीएसएल	765.00	427.00	748.00	28.00	17.00	81.00	34.00	62.00	2.00	1.50
12	टीएसपी	66.32	126.00	96.77	33.00	20.00	5.80	4.50	7.77	5.00	6.00
13	बी एण्ड आर	9.55	7.73	6.75	6.16	6.12	1.52	1.79	1.38	1.18	1.07
14	एचसीएल	52.30	278.63	735.32	9314.99	—	4.91	23.04	62.42	—	—
15	एचईसी	44.80	41.20	32.70	21.80	22.30	7.40	7.40	0.70	0.00	0.20
16	एचएमटी (धारक कं.)	37.70	30.06	23.47	21.19	17.68	4.18	3.07	3.67	3.10	2.47
17	एचएमटी (एमटी)	48.00	43.00	59.00	31.00	35.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00
18	एचएमटी (वाचेज)	148.00	153.00	230.00	80.00	34.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
19	एचएमटी (चिनार)	1093.00	1779.00	694.00	134.00	92.00	167.00	280.00	124.00	21.00	15.00
20	पीटीएल	73.00	55.00	62.00	47.00	24.00	26.00	21.00	21.00	15.00	7.00
21	एचएमटी(बी)	34.01	34.02	36.97	35.13	29.03	2.92	3.20	3.48	3.30	2.73
22	एचएमटी(आई)	5.20	5.78	8.46	4.19	3.73	1.34	1.55	2.31	0.96	0.78
23	आईएल	21.92	20.26	17.01	19.44	17.50	1.29	1.04	0.97	1.00	1.00
24	आरईआईएल	7.70	7.87	8.38	8.68	8.18	1.43	1.49	1.62	1.80	1.82
25	एसआईएल	15.77	17.36	14.27	12.71	12.59	5.63	6.40	5.54	4.94	5.17
26	सीसीआई	19.80	11.45	21.50	9.40	8.53	8.79	4.76	10.25	2.35	2.64
27	एचपीसी	9.22	9.70	8.29	8.21	8.47	4.62	4.94	3.41	3.37	3.13
28	एचएनएल	8.54	8.32	8.27	6.14	6.69	4.08	4.82	5.03	3.74	3.60
29	एचपीएफ	45.18	72.97	87.89	69.28	53.91	2.39	4.62	3.85	2.98	2.83
30	एचएसएल	60.44	42.94	48.17	34.12	29.20	3.56	3.99	3.91	2.86	2.24
31	एसएसएल	53.23	39.54	44.99	38.99	32.85	3.61	2.95	3.28	2.65	2.05
32	नेपा	43.00	36.00	24.00	16.00	16.00	7.00	7.00	5.00	2.00	2.00
33	टीसीआईएल	7.73	45.05	40.49	28.26	28.61	3.02	4.60	2.22	2.20	2.11
34	ईपीआईएल	4.74	3.61	2.95	3.04	3.17	0.83	0.50	0.81	0.74	0.80

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऑर्डर बुक होने की स्थिति

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम	दिनांक 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2003 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2005 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2006 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल	131.66	103.54	86.05	93.91	68.51
2	हुगली प्रिंटिग	2.60	1.10	1.50	6.50	1.50
3	बीएचईएल (भेल)	13500.00	19000.00	28800.00	32200.00	45700.00
4	बीएससीएल	111.02	174.74	152.80	102.80	106.92
5	बीसीएल	106.85	130.59	144.11	228.72	255.05
6	बीडब्ल्यूईएल	32.68	115.48	101.99	150.94	32.74
7	बीबीजे	51.99	44.19	73.52	116.54	126.35
8	बीएचपीवी	166.48	121.33	186.99	305.87	348.57
9	बीपीसीएल	38.83	43.46	48.68	130.65	136.20
10	आरएण्डसी	69.24	107.90	32.56	44.92	56.33
11	टीएसएल	37.72	38.05	22.37	16.25	6.32
12	टीएसपी	32.65	24.40	9.50	5.50	3.02
13	बीएण्डआर	385.16	636.40	581.66	856.02	994.79
14	एचसीएल	351.63	164.00	138.25	1.32	5.40
15	एचईसी	79.15	154.42	262.35	378.25	522.10
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	—	—	—	—	—
17	एचएमटी (एमटी)	99.19	111.23	166.65	175.31	196.77
18	एचएमटी (वाचेज)	—	—	—	—	—
19	एचएमटी (चिनार वाचेज)	—	—	—	—	—
20	पीटीएल	5.30	4.47	5.86	3.40	1.35
21	एचएमटी(बियरिंग)	2.15	2.15	2.19	23.98	24.94
22	एचएमटी(आई)	53.15	12.11	21.68	7.51	44.44
23	आईएल	85.00	120.00	165.00	158.00	170.00
24	आरईआईएल	16.94	27.09	18.87	28.13	26.34
25	एसआईएल	—	—	—	—	—
26	सीसीआई	4.17	—	7.13	—	12.50
27	एचपीसी	4.15	15.21	27.46	12.76	8.26
28	एचएनएल	—	—	—	—	—
29	एचपीएफ	5.10	2.60	2.85	2.85	1.46
30	एचएसएल	3.22	6.12	7.03	4.57	15.00
31	एसएसएल	1.03	2.07	2.84	4.36	6.51
32	नेपा	5.94	4.99	13.15	51.70	78.73
33	टीसीआईएल	4.80	5.00	1.00	3.00	3.60
34	ईपीआई	595.78	891.26	1459.96	1580.39	1225.54
	कुल	**15983.58**	**22063.00**	**32544.00**	**36694.15**	**50179.24**

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए मे)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2002-03(वास्तविक)			2003-04 (वास्तविक)			2004-05 (वास्तविक)			2005-06 (वास्तविक)			2006-07 (पूर्वानुमानित)		
		वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	एन्ड्रयू यूल	6.51	2.10	8.61	0.53	1.60	2.13	1.25	2.65	3.90	0.80	0.00	0.80	1.25	2.00	3.25
2	भेल	637.00	1529.00	2166.00	596.00	1454.00	2050.00	829.00	1297.00	2126.00	745.00	3021.00	3766.00	1200	3994	5194.00
3	बीएससीएल	1.48	13.17	14.65	2.53	4.90	7.43	4.71	0.00	4.71	2.75	0.00	2.75	7.80	0.00	7.80
4	बीएचपीवी	0.00	3.80	3.80	1.21	0.45	1.66	2.92	0.45	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बीपीसीएल	0.00	5.29	5.29	0.00	7.03	7.03	0.00	3.97	3.97	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
6	आरएण्डसी	0.38	0.00	0.38	0.40	0.00	0.40	0.83	0.00	0.83	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
7	बीएण्डआर	0.65	0.00	0.65	2.85	0.00	2.85	1.95	0.00	1.95	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
8	पीटीएल	0.00	0.15	0.15	0.08	0.57	0.65	0.30	0.22	0.52	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
9	एचएमटी(आई)	34.73	0.00	34.73	29.94	0.00	29.94	28.17	0.00	28.17	14.98	0.00	14.98	41.00	0.00	41.00
10	आईएल	0.51	1.89	2.40	0.26	3.85	4.11	0.47	5.32	5.79	0.23	9.01	9.24	0.25	9.75	10.00
11	आरईआईएल	0.09	0.00	0.09	0.17	0.14	0.31	13.36	0	13.36	1.09	0	1.09	1.00	0.00	1.00
12	एसआईएल	0.94	0.00	0.94	1.06	0.00	1.06	1.05	0.00	1.05	0.63	0.00	0.63	0.75	0.00	0.75
13	एचपीसी	0.00	10.32	10.32	0.00	3.12	3.12	0.00	48.33	48.33	0.00	43.37	43.37	0.00	52.26	52.26
14	एचएसएल	0.65	0.00	0.65	0.21	0.00	0.21	0.41	0.00	0.41	0.39	0.0	0.39	0.36	0.00	0.36
	कुल	682.94	1565.72	2248.66	635.24	1475.66	2110.90	884.42	1357.94	2242.36	777.28	3077.58	3854.86	1252.41	4058.01	5310.42

अनुबंध X

31.3.2006 के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि(-) (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए में)

क्रं. संख्या	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल मूल्य	संग्रहित लाभ (+)/हानि (-)
		सरकार/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एण्ड्यू यूल	157.85	3.46	-185.12	-342.35
2	हुगली प्रिंटिग	1.03	—	2.83	0.20
3	बीएचईएल (भेल)	165.76	79.00	7301.00	7056.00
4	बीएससीएल	132.55	—	-1042.12	-1166.63
5	बीसीएल	16.75	—	4.43	-12.35
6	बीडब्ल्यूईएल	10.10	—	-123.70	-128.78
7	बीबीज	17.02	—	10.59	-6.42
8	बीएचपीवी	33.80	—	-498.20	-494.17
9	बीपीसीएल	53.53	—	-117.15	-167.16
10	आरएण्डसी	54.84	—	-172.45	-220.89
11	टीएसएल	21.02	21.02	-359.26	-380.22
12	टीएसपी	8.44	—	-182.77	-191.21
13	बीएण्डआर	39.63	0.36	71.17	32.03
14	एचसीएल	417.69	1.67	-1521.51	-1997.61
15	एचईसी	453.24	—	-587.80	-1092.85
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	502.94	9.01	81.46	-392.04
17	एचएमटी (एमटी)	15.70	—	-590.08	-468.31
18	एचएमटी (वाचेज)	5.49	—	-715.57	-623.73
19	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.66	—	-145.83	-134.99
20	पीटीएल	15.89	19.11	-72.40	-193.87
21	एचएमटी(बियरिंग)	35.95	0.51	-1.38	-26.86
22	एचएमटी(आई)	0.48	—	20.88	20.40
23	आईएल	89.79	—	-195.57	-265.99
24	आरईआईएल	1.66	1.10	12.53	9.77
25	एसआईएल	47.33	1.95	63.10	14.12
26	सीसीआई	446.82	—	-874.20	-1321.02
27	एचपीसी	700.38	—	706.32	6.82
28	एचएनएल	82.54	—	197.62	115.60
29	एचपीएफ	180.68	19.19	-3491.38	-3714.36
30	एचएसएल	18.95	—	17.69	-11.54
31	एसएसएल	1.00	0.00	-1.74	-14.09
32	नेपा	106.01	0.69	-241.70	-344.71
33	टीसीआईएल	93.10	—	-616.02	-709.12
34	ईपीआई	35.42	—	94.73	59.93
	कुल	**3965.04**	**157.07**	**-3151.60**	**-7106.40**

टिप्पणी : (I) सरकारी क्षेत्र के 11 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम (एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं।

अनुबंध XI

जून, 2004 से भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां

06.03.2007 **की यथास्थिति**

(करोड़ रुपए में)

क्रं. सं.	सरकारी क्षेत्र का उद्यम	भारत सरकार की नई निधियां पूंजी निवेश	माफी/ रूपांतरण अन्य	भारत सरकार की गारंटी	जोड़	दिनांक 31.3.2006 को कर्मचारियों की संख्या
1	हिन्दुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जयपुर	4.28	शून्य	66.32	शून्य	70.60	131
2	बिज एण्ड रूफ कंपनी लि., कोलकाता	60.00	शून्य	42.92	शून्य	102.92	1198
3	बीबीजे कंस्ट्रक्सन कं. लि., कोलकाता	शून्य	शून्य	54.61	शून्य	54.61	91
4	प्राग टूल्स लि., सिकन्दराबाद	5.00	शून्य	177.12	32.59	214.71	555
5	हैवी इले. कॉ., लिमिटेड, रॉची	100.00	शून्य	1116.30	150.00	1366.30	3457
6	एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड, हैदराबाद	7.40	शून्य	26.57	17.40	51.37	339
7	ब्रेथवेट एण्ड क. लि. कोलकाता	4.00	शून्य	112.91	शून्य	116.91	544
8	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली	30.67	153.62	1252.25	15.70	1452.24	1570
9	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लि., इलाहाबाद	शून्य	शून्य	153.15	3.37	156.52	1233
10	एचएमटी (एमटी) लि., बैंगलोर	180.00	543.00	157.80	—	880.80	4388
11	एण्ड्रयू यूल कं. लि. कोलकाता	*	*	154.75	111.96	266.71	15839
12	नेशनल@ इन्स्ट्रूमेंट्स लि. बैंगलोर	—	1.81	240.05	—	241.86	70
13	नागालैंड पल्प एण्ड@ पेपर कं. लि. तुलि	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42	294
	कुल	**642.61**	**736.62**	**3681.73**	**584.01**	**5644.97**	**29709**

* निवेश विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
@ गैर- बीआरपीएसई मामले।

अनुबंध XII

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2006* से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

- **आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे**

सेवा कर का अधिक भुगतान :- सेवा कर नियमावली, 1994 के उपबंधों के अनुपालन के कारण एआरएआई ने सेवा कर का अवरूद्ध भुगतान किया, जिससे 8 लाख रुपए की ब्याज हानि के अतिरिक्त 1028 करोड़ रुपए की राशि अवरु) हुई।

(2006 की रिपोर्ट सं. 3)

एचएमटी लिमिटेड

ट्रैक्टर व्यवसाय समूह को विपणन कार्यकलापों पर कार्यनिष्पादन समीक्षा

- ट्रैक्टर व्यवसाय समूह में वर्ष 1971 में पिंजोर में (25,000 ट्रैक्टरों की लाइसेंसशुदा क्षमता और 18,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता) स्थापित ट्रैक्टर विनिर्माण प्रभाग, चंडीगण स्थित विपणत कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। ट्रैक्टरों का विपणन डीलरों के नेटवर्क, जो ग्राहकों के साथ एकमात्र संपर्क होते हैं, के माधयम से किया जाता है।
- कंपनी के ट्रैक्टरों का बाजार हिस्सा बाजार में अवरूद्ध निधियों की धीमी वसूली से उत्पन्न कार्यशील पूंजी की बाधाओं और उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण 6.1 प्रतिशत (1999-2000) से घटकर 2.9 प्रतिरशत (2004-05) हो गया।
- समूह ने क्षेत्र कार्यालय के माधयम से डीलरों को ट्रैक्टर देकर तीव्र विपणन तकनीकों का आश्रय लिया। इसके बदले डीलरों ने उच्चतर बिक्री दर्शाने के लिए अधिकांश ट्रैक्टर ग्राहकों को दे दिए। डीलरों के पास बिक्री नहीं किए गए ट्रैक्टरों को उनकी वास्तविक दशा पर ध्यान दिए बिना वापस ले लिया गया था और डीलरों को बिक्री से प्राप्ति दर्शाते हुए ऋण दिया गया था। इस प्रकार, बिक्री से हुई प्राप्तियां वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः 1.28 प्रतिशत, 6.66 प्रतिशत, 5.76 प्रतिशत और 0.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 3.68 करोड़, 17.25 करोड़, 9.42 करोड़ और 1.18 करोड़ रुपए रहीं। इस प्रकार, समूह द्वारा अपनाई गई तीव्र विपणन पद्धतियों से बिक्री से काफी आय हुई।
- समूह के कुल कारोबार (टर्नओवर) पर बढ़ते हुए विविध देनदार (वर्ष 1999-2000) में 43.55 प्रतिशत से वर्ष 2002-03 में 89.59 प्रतिशत) डीलरों के पास ट्रैक्टरों को अविवेकपूर्ण तरीके से रख देने और उसके परिणामस्वरूप नकदी की कमी तथा तत्पश्चात उत्पादन/बिक्री की निम्न मात्रा के कारण थे।

(2006 की रिपोर्ट सं. 8) वाणिज्यिक

- **एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड**

वित्तीय दक्षता का आकलन किए बिना कार्य को स्वीकार करने और बैंक ऋण की वापसी-अदायगी के लिए जुटाए गए अग्रिमों को विपणन के परिणास्वरूप एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी मानदंड के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप संविदा समाप्त कर दी गई थी और कंपनी को 85.34 लाख रुपए का घाटा हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.1.1) वाणिज्यिक

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

शॉप फ्लोर की आवश्यकताओं का गलत आकलन करने के कारण उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति में विलम्ब से निर्णीत हर्जाने और दंडात्मक ब्याज के भुगतान के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 12.40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.1) वाणिज्यिक

यद्यपि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने लागत से कम पर संविदा प्राप्त की थी फिर भी इसने अग्रिम विनिर्माण कार्रवाई नहीं की और सुपुर्दगी समय अनुसूची का पालन नहीं किया तथा इसने ग्राहकों द्वारा लगाए गए निर्णीत हर्जाने के कारण 1.32 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। समग्र रूप से कंपनी ने संविदा के निष्पादन में 7.66 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.2) वाणिज्यिक

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अग्रिम कर देयता का आकलन करने में विफलता से 6.14 करोड़ रुपए के परिहार्थ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.3) वाणिज्यिक

वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को चालू करने में पांच वर्षों से अधिक का विलम्ब होने के कारण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन में आसपास के स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य और सुरक्षा की अनदेखी जारी रखी। इसके अतिरिक्त दो वर्षों से अधिक के लिए 2.57 करोड़ रुपए की राशि अवरुद्ध रही।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.4) वाणिज्यिक

2.40 करोड़ रुपए का पूर्वानुमानित लाभ प्राप्त करने की बजाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मुख्यत: कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित मानव घंटे के कम अनुमान के कारण मोटरों के उत्पादन में 2.38 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.5)

विभेदक सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा अनुदेशों के वाबजूद इकाई ने अपने भुगतान में विलम्ब किया, जिससे सीमाशुल्क द्वारा ब्याज लगाया गया और इससे 1.75 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.6) वाणिज्यिक

कार्य करने योग्य लागत का अनुमान लगाने और पूरा करने की समय-अनुसूची का पालन करने में विफलता के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने संविदा के निष्पादन में 96.86 लाख रुपए का घाटा उठाया।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.7) वाणिज्यिक

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कार्य के सीमा क्षेत्र और उसके गारंटीशुदा निष्पादन पर सहमति देने के पूर्व कोई विस्तृत अध्ययन किए बिना ताप स्टेशन के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया, जिससे 64.07 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय और 31.39 लाख रुपए का निर्णीत हर्जाना हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 1202.8) वाणिज्यिक

वर्ष 1998 में महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा विभिन्न दावों की अस्वीकृति के बाद भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने लेखे से उसे बट्टे खाते डालने में चार वर्ष और नौ महीनों से अधिक समय लिया और 47.05 लाख रुपए के ब्याज का घाटा उठाया।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.2.9) वाणिज्यिक

- **ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड**

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड ने शामिल कार्य का वास्तविक आकलन किए बिना एक कार्य स्वीकार किया और उसे समय पर निष्पादित करने में विफल रहा, जिससे समय और लागत में वृद्धि हुई और उसके परिणामत: 2.04 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.3.1) वाणिज्यिक

- **नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड**

पुनर्वास योजना अनुचित रूप से तैयार करने और कार्यान्वित करने से योजना विफल रही, जिसके परिणामत: नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा 2.41 करोड़ रुपए का व्यर्थ निवेश किया गया।

(2006 की रिपोर्ट सं 12 का पैरा 12.4.1) वाणिज्यिक

- **प्रागा टूल्स लिमिटेड**

प्रागा टूल्स लिमिटेड ने किसी अन्य कंपनी की भूमि की बिक्री करते समय बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया, जिससे 52.11 लाख रुपए का घाटा हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 12.5.1) वाणिज्यिक

वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 को का.ज्ञा.सं. 1 (76)/ई-समन्वय/2006 द्वारा यथा प्राप्त अवलोकन।

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाई एंड कं.	एण्ड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
ब्रेथवेट	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीएससीएल	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईओटी	इलैक्ट्रीकली आपरेटेड ट्रॉली
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबुस्शन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट

एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचएमटी (डब्ल्यू)	एचएमटी वाचेज लिमिटेड
एचएमटी (सीडब्ल्यू)	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
एचएमटी (एमटी)	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
एचएमटी (बी)	एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
आईएलके	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
नेट्रिप	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएण्डडी अवसंरचना परियोजना

नेटिस	नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी
एनसीएमपी	राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम
एनआईडीसी	नेशनल इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
एसआईएटी	अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर सारांश
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसएलएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग

		पृष्ठ
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	69
2.	सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	70
3.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	74
4.	मानव संसाधन विकास	78
5.	सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	81
6.	मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	83
7.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	88
8.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	89
9.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना	91
10.	राजभाषा नीति	93
11.	महिलाओं का कल्याण	94
	परिशिष्ट (I-VII)	95

विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सशक्तीकरण"
SCOPE
सरकारी उद्यमों
का
स्थायी सम्मेलन
मार्च 8, 2007
Conference of Chief Executives of

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग, हर वर्ष देश में स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय, भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक कार्यनिष्पादन की समग्र समीक्षा संसद में प्रस्तुत करता है।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का संपूर्ण मूल्यांकन हो। तद्नुसार, पहली ''वार्षिक रिपोर्ट'' (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था और जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया था।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियाँ अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यम शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां ही शामिल हैं, जिनकी प्रदत्त शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है, परंतु इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक शामिल नहीं हैं।

1.4 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं, यथा विषय क्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों का वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण का समय तथा अन्य मामलों को शामिल किया था। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

1.5 इस सर्वेक्षण के लिए आधारभूत आंकड़े प्रत्येक उद्यम द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों तथा तुलन-पत्र से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार संकलित और विश्लेषित आंकड़े तीन अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.5.1 **खण्ड 1**-में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में वृहत् मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यमों के प्रमुख क्रियाकलापों तथा उनके द्वारा विशेष क्षेत्र में की गई प्रगति को दर्शाया जाता है। इसमें आंतरिक संसाधन सृजन, केन्द्रीय राजकोष में योगदान, प्रबन्ध विकास, रोजगार के अवसर जुटाना, कर्मचारी कल्याण के उपाय तथा विदेशी मुद्रा अर्जन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

1.5.2 **खण्ड-2** में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रीय सजातीय समूहों में और अलग-अलग विभक्त कर के किया जाता है। इसमें प्रत्येक उद्यम के कार्य क्षेत्र तथा उनके भौतिक-वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण भी शामिल किया जाता है।

1.5.3 **खण्ड-3** में गत तीन वर्षों के उद्यमवार विश्लेषणात्मक आंकड़े शामिल होते हैं। सूचना में संक्षिप्त तुलन-पत्र, संक्षिप्त लाभ-हानि लेखे और महत्वपूर्ण प्रबन्ध अनुपात शामिल होते हैं।

1.6 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2005-06) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन से संबंधित 46वीं रिपोर्ट है और इसे 19 दिसम्बर, 2006 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

अध्याय 2

सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

2.1.1 सरकार सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित कंपनियां बनाने का प्रयास करती रही है। संस्था के अन्तर्नियमों के अंतर्गत सरकारी उद्यमों को निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। किसी सरकारी उद्यम का निदेशक मंडल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक दिशानिर्देशों के अध्याधीन प्रप्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्जनकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं।

2.1.2 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई इस वचनबद्धता के मद्देनज़र कि प्रतिस्पर्धी परिवेश में प्रचालनरत सफल लार्भाजनकारी कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लार्भाजनकारी सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और अगस्त, 2005 में इन शक्तियों में वृद्धि करने का निर्णय किया है जिसका उल्लेख अग्रणी पैराग्राफ में किया गया है।

2.2 'नवरत्न' श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.2.1 जुलाई, 1997 में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे 9 उद्यमों की पहचान नवरत्न के रूप में की थी, जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त था तथा जिनमें विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने की क्षमता थी। नवरत्न श्रेणी के उद्यम है - बीएचईएल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी तथा सेल। इन उद्यमों की सूची अनुबंध 2-क में दी गई है। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई थी तथा इन्हें पूंजीगत व्यय करने, प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने/रणनीतिक करार करने, संगठनात्मक पुनर्गठन करने, निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पदों का सृजन करने और उन्हें समाप्त करने एवं घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ऋण प्राप्त करने, वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं।

2.2.2 नवरत्न सरकारी उद्यमों के बोर्डों को वर्तमानत: निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं-

(क) बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद अथवा प्रतिस्थापन पर पूँजीगत व्यय करना।

(ख) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम अथवा रणनीतिक गठबंधन निष्पन्न करना।

(ग) खरीद अथवा अन्य व्यवस्था द्वारा प्रौद्योगिकी और जानकारी प्राप्त करना।

(घ) लाभ केन्द्रों की स्थापना सहित संगठनात्मक पुनर्गठन करना, भारत और विदेश में कार्यालय खोलना, नए कार्यकलाप केन्द्रों की स्थापना करना, इत्यादि।

(ड़) गैर-बोर्ड स्तर के निदेशकों अर्थात् कार्यात्मक निदेशकों सहित उस स्तर के सभी पदों का सृजन और समापन, जिनके वेतनमान बोर्ड स्तर के निदेशकों के समान हों, लेकिन जो निदेशक मण्डल के सदस्य नहीं हों। इस स्तर तक की सभी नियुक्तियों की शक्ति भी बोर्ड के पास रहेंगी और इसमें आतंरिक स्थानांतरण तथा पदों के पुन: नामकरण की शक्ति शामिल होगी।

(च) इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों के पास बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंध (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से संबंधित शक्तियों को सरकारी उद्यम के निदेशक मंडल के निर्णयानुसार निदेशक मंडल की उप-समिति अथवा सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को आगे प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त है।

(छ) भारतीय रिर्जव बैंक/आर्थिक कार्य विभाग के

अनुमोदन, जैसा अपेक्षित हो, के अध्याधीन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से घरेलू पूँजी बाजारों से ऋण जुटाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेना।

(ज) भारत और विदेश में इस शर्त पर वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ स्थापित करना कि सरकारी उद्यम द्वारा इक्विटी निवेश निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत होगा:-

(i) किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए।

(ii) किसी एक परियोजना में सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति का 15 प्रतिशत।

(iii) सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में कुल मिलाकर सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति का 30 प्रतिशत।

(झ) संविलयन एवं अधिग्रहण इन शर्तों के अधीन होंगे कि (i) **यह सरकारी उद्यम की विकास योजना और कार्यचालन के प्रमुख क्षेत्र में होंगे,** (ii) **संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामलों में लागू होने वाली शर्तें/सीमाएं इस मामले में भी लागू होंगी, और** (iii) **विदेश में किए जाने वाले निवेश के बारे में आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को सूचित किया जाएगा।**

(ञ) आपात स्थिति में सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यापारिक विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालक सहित सभी अन्य मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

2.2.3 इन शक्तियों का प्रयोग गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल कर**के** निदेशक मंडलों **का** पुनर्गठन **करने** सहित इस प्रयोजनार्थ निर्धारित विभिन्न शर्तों एवं दिशानिर्देशों के **अध्याधीन है।**

2.2.4 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा वर्ष 2006 के दौरान सभी नवरत्न कंपनियों **के कार्यनिष्पादन की** समीक्षा की गई थी।

2.3 'मिनीरत्न' श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यम

2.3.1 अक्तूबर, 1997 में सरकार ने यह निर्णय किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कंपनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायज़ता दी जाए तथा विज़ीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं, ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कंपनियों को **मिनीरत्न** कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियां हैं - **श्रेणी-।** तथा **श्रेणी-।।** ।

2.3.2 मिनीरत्न श्रेणी प्रदान करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं -

(i) सरकारी उद्यम ने गत 3 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल परिसंपज़ि धनात्मक हो।

(ii) इसने सरकार को देय ऋण/ऋण पर ज्याज के भुगतान में चूक न की हो।

(iii) इसे बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होना चाहिए (**जिन मामलों में** विदेशी दाता अभिकरण की मानक शर्तों के अधीन सरकारी गारंटी अपेक्षित **होगा उन मामलों में ऐसी गारंटी** प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से विज़ मंत्रालय से प्राप्त की **जाएगी**। ऐसी सरकारी गारंटी से नवरत्न हैसियत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा); और

(iv) गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके निदेशक मंडल का पुनर्गठन करना।

जिन उद्यमों का करपूर्व लाभ 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रूपए या उससे अधिक हो, उन्हें श्रेणी-। तथा अन्य को श्रेणी-॥ दी गई है। पात्रता की शर्तें पूरी करने की स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय किसी उद्यम को मिनीरत्न घोषित कर सकते हैं।

2.3.3 मिनीरत्न सरकारी उद्यमों के निदशक मंडलों को वर्तमानत: बढी हुई प्रत्यायोजित की गई शक्तियां नीचे दी गई हैं:-

(i) **पूंजीगत व्यय:**

(क) श्रेणी-। के सरकारी उद्यमों के लिए: सरकारी अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद पर व्यय करने की शक्ति को 500 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसंपज़ि के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) श्रेणी-॥ के सरकारी उद्यमों के लिए: सरकारी अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद पर व्यय करने की शक्ति को 250 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसंपज़ि के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) **संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियाँ:**

(क) श्रेणी-I के सरकारी उद्यमों के लिए: भारत में संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए किसी एक परियोजना में सरकारी उद्यम का इक्विटी निवेश सरकारी उद्यम की निवल परिसंपज़ि के 15% अथवा 500 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगा। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं के मामले में समग्र निवेश सीमा सरकारी उद्यम की निवल परिसंपज़ि के 30% तक है।

(ख) श्रेणी-II के सरकारी उद्यमों के लिए: भारत में संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए किसी एक परियोजना में सरकारी उद्यम का इक्विटी निवेश सरकारी उद्यम की निवल परिसंपज़ि के 15% अथवा 250 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगा। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं के मामले में समग्र निवेश सीमा सरकारी उद्यम की निवल परिसंपज़ि के 30% तक है।

(iii) **संविलयन और अधिग्रहण:** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को संविलयन और अधिग्रहण की शक्तियां इन शर्तों के अधीन प्राप्त हैं कि (i) यह सरकारी उद्यम के प्रचालन से संबंधित प्रमुख क्षेत्र में होना चाहिए, (ii) वही शर्तें/सीमाएं लागू रहेंगी, जो कि संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संबंध में लागू हैं; और (iii) विदेशों में पूंजीनिवेश करने के मामले में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति को इससे अवगत करा दिया जाएगा।

(iv) **मानव संसाधन विकास संबंधी योजना:** कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंध, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृति योजनाओं इत्यादि से संबंधी स्कीमें तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में मानव संसाधन प्रबंध (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से संबंधित **शक्तियाँ** निदेशक मंडल की उप समितियों अथवा सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को, सरकारी उद्यम के निदेशक मंडल द्वारा जैसा भी निर्णय किया जाए, प्रत्यायोजित करने की **शक्ति प्राप्त हैं।**

(v) **कार्यपालक निदेशकों का विदेश दौरा** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मुज़्य कार्यपालक को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन तक की अवधि के विदेश व्यापार दौरे (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि से भिन्न) का अनुमोदन करने की शक्तियां प्राप्त हैं। मुज़्य कार्यपालक सहित अन्य सभी मामलों में, विदेश दौरे के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक बना रहेगा।

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक सहयोग:** समय-समय पर जारी किए जाने वाले सरकारी दिशानिर्देशों के **अध्याधीन** प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/ रणनीतिक सहयोग निष्पन्न करना और खरीद अथवा अन्य प्रबंधों द्वारा प्रौद्योगिकी तथा जानकारी प्राप्त करना।

2.3.4 वर्तमानत:, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में **50** उद्यमों को मिनीरत्न (श्रेणी-I में **36** तथा श्रेणी-II में **14**) का दर्जा प्राप्त है। मिनीरत्न उद्यमों के नाम **परिशिष्ट-II (ख)** में दिए गए हैं। इन सरकारी उद्यमों द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग इस शर्त पर किया जा सकता है कि उनके निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों को पर्याप्त संज़्या में शामिल किया गया हो। वर्ष 2003-04 के दौरान मिनीरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा लोक उद्यम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई थी।

2.4. अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम

2.4.1 जिन सरकारी उद्यमों ने 3 पूर्ववर्ती लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और **जिनकी** निवल परिसंपज़ि **धनात्मक** हो, उन्हें अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

(i) सरकारी अनुमोदन के बिना पूंजीगत व्यय करने की शक्ति संशोधित करके 150 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसंपज़ि के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, **कर दी गई है।**

(ii) आपात स्थिति में सरकारी उद्यम के मुज़्य कार्यपालक द्वारा कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले **व्यापारिक** विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए किया जाएगा। मुज़्य कार्यपालक सहित सभी अन्य मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

2.5 निदेशक मंडल का व्यावसायीकरण

2.5.1 24 जुलाई, 1991 को घोषित औद्योगिक नीतिगत वक्तव्य के अनुसरण में सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को व्यावसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मार्च, 1992 में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संज़्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य-संज़्या की कम-से-कम एक-तिहाई होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी उल्लिखित है कि निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों की संज़्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य-संज़्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनकी संज़्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य संज़्या के 50 प्रतिशत तक हो सकती है। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संज़्या कम-से-कम निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संज़्या की आधी होनी चाहिए।

2.5.2 सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से बनाए गए पेनल में से की जाती है। जहां तक नवरत्न एवं मिनीरत्न श्रेणी के सरकारी उद्यमों का संबंध है, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के लिए पेनल खोज समिति द्वारा तैयार किया जाता है और उस समिति में अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), सचिव, लोक उद्यम विभाग, संबंधित सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा 4 गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। नवरत्न एवं मिनीरत्न संबंधी योजना के अनुसार इन कंपनियों द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों के प्रयोग के पूर्व इनके निदेशक मंडलों को व्यवसायिक बनाया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए नवरत्न उद्यमों के निदेशक मंडल के मामले में कम-से-कम 4 तथा मिनीरत्न उद्यमों के मामले में कम-से-कम 3 गैर-सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल में शामिल किया जाना चाहिए।

2.5.3 सरकार ने सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन और नियुक्ति के लिए मानदण्ड निर्धारित किया है। तद्नुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, उसके पास सरकार में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर अथवा **किसी निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक या किसी अकादमिक संस्थान में प्रोफेसर अथवा** निदेशक/विभागाध्यक्ष स्तर **का** विज़्यात **व्यावसायिक यथा** चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार **के रूप में** 10 वर्ष का अनुभव हो, **उद्योग, व्यापार या कृषि के क्षेत्र में प्रमाणित रिकार्ड वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो** और वह 45-65 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए। तथापि, प्रज़्यात व्यावसायिकों के मामले में कारणों का उल्लेख करते हुए ऊपरी आयु सीमा में 70 वर्ष तक आयु सीमा की छूट दी जा सकती है।

2.5.4 वर्ष 2006-07 के दौरान (31.10.2006 तक) खोज समिति/लोक नियम चयन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 31 उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु 93 व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा की है।

अध्याय 3

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

3.1 समझौता ज्ञापन की अवधारणा

3.1.1 समझौता ज्ञापन **केंद्रीय** सरकारी उद्यमों के स्वामी के रूप में सरकार तथा किसी **केंद्रीय** सरकारी उद्यम-विशेष के बीच वार्ता पर आधारित प्रलेख है। इसमें समझौता ज्ञापन से सज़्बद्ध दोनों पक्षकारों के अभिप्रायों, उज़रदायित्व तथा पारस्परिक जिज़्मेवारियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

3.1.2 इसके अलावा, समझौता ज्ञापन **केंद्रीय** सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को प्रकियाओं और नियंत्रणों द्वारा प्रबंध से परिणामों और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की ओर ले जाने का प्रयास करता है।

3.2 समझौता ज्ञापन नीति लागू करने के लिए संस्थागत प्रबंध

3.2.1 वर्तमान संस्थागत व्यवस्था में सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुपरक एवं पारदर्शी तंत्र की स्थापना की गई है। इसमें एक ऐसे तंत्र का निमार्ण किया गया है, जिसके जरिए समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षकारों की प्रतिबद्धाताओं का वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जा सकता है तथा साथ ही समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने हेतु अपेक्षित तकनीकी निविष्टियों में भी सुधार किया जा सकता है। इस संस्थागत प्रबंध तथा इसके अन्तर्संबंधों का विवरण निज़्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

3.3 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

3.3.1 इस संस्थागत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष
2. विज़ सचिव, सदस्य
3. सचिव (व्यय), सदस्य
4. सचिव (योजना आयोग), सदस्य
5. सचिव (**सांख्यिकी एवं** कार्यक्रम कार्यान्वयन), सदस्य
6. अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन मण्डल), सदस्य
7. अध्यक्ष प्रशुल्क आयोग, सदस्य
8. मुज़्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य
9. सचिव (लोक उद्यम), सदस्य-सचिव।

3.3.2 इस समिति का कार्य अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने से पहले समझौता ज्ञापनों के प्रारूप की समीक्षा करना तथा वर्ष के अंत में यह मूल्यांकन करना है कि समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षों द्वारा की गई वचनबद्धताओं को कहां तक पूरा किया गया है। समझौता ज्ञापनों के अंतिम रूप को अनुमोदित करने की शक्ति कार्य दल/लोक उद्यम **विभाग** को प्रत्यायोजित कर दी गई है और सिर्फ उन्हीं मामलों को एचपीसी को सौंपा जाता है, जिनमें कार्यदल कोई निर्णय कर पाने में असमर्थ होता है।

3.3.3 सरकार के पास उपलज़्ध तकनीकी विशेषज्ञता में असंतुलन से संबंधित चिन्ता का समाधान कार्यदल का गठन **करके करने का प्रयास किया** गया है।

3.4 कार्य दल

3.4.1 कार्य दल के सृजन का मुज़्य उद्देश्य सरकार तथा **केंद्रीय** सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच उपलज़्ध तकनीकी विशेषज्ञता में असंतुलन के संबंध में सुविधाओं को ध्यान में रखना **है**। कार्य दल के मुज़्य कार्य इस प्रकार हैं :

(क) वर्ष के प्रारंभ में समझौता ज्ञापन की रूपरेखा की जांच करना। इस उद्देश्य के लिए कार्य दल द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति के अनुसार तैयार समझौता ज्ञापन के प्रारूप की जांच की जाती है। यदि समझौता ज्ञापन के प्रारूप के संबंध में कार्य दल की कोई टिप्पणी या कोई सवाल हो तो वे समझौता ज्ञापन प्रभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगते हैं। जब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष अपने समझौता ज्ञापन के प्रारूप के संबंध में कार्य दल द्वारा व्यक्त चिंताओं का जवाब दे देते हैं, तो उसके

बाद समझौता ज्ञापन वार्ता संबंधी बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालक, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा योजना आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय, आदि जैसे नोडल अभिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन बैठकों में समझौता ज्ञापनों के प्रारूप पर विचार किया जाता है तथा उसे अंतिम रूप दिया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में प्रत्येक उद्यम के लिए संयुक्त अंक का मूल्यांकन करना।

इस कार्य दल में पर्याप्त अनुभव वाले सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के कार्यपालक, प्रबंधन व्यावसायिक तथा स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सरकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस कार्य दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह इस कार्य दल की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा गया **था**।

3.5 समझौता ज्ञापन प्रभाग

3.5.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्य दल की सहायता लोक उद्यम विभाग के समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा की जाती है। यह उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्य दल के स्थायी सचिवालय का कार्य **भी** करता है। इस प्रभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- कार्य दल को संभार तंत्र संबंधी तकनीकी व प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
- कार्य दल तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों – सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य प्रतिरोधक का कार्य करना।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समझौता ज्ञापनों से संबंधित डाटा बेस तथा सूचना का विकास करना।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सहायता करना।
- समझौता ज्ञापन की प्रगति का परिवीक्षण करना।
- समझौता ज्ञापन प्रणाली की कार्यविधि तथा अवधारणा संबंधी पहलुओं के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों को सलाह तथा परामर्श **देना**; और
- समझौता ज्ञापन नीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में समन्वयन करना।

3.6 समझौता ज्ञापन पद्धति की कार्यप्रणाली

3.6.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया समझौता ज्ञापनों के मसौदे तैयार करने हेतु समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है। इन दिशानिर्देशों में समझौता ज्ञापन के प्रारूप में शामिल किए जाने वाले स्थूल ढ़ांचे और पहलुओं का उल्लेख होता है और उनमें विज़ीय मानदंडों को दिया जाने वाला भारांक भी शामिल होता है। इन दिशानिर्देशों में सरकार की चिंताओं और सामान्य निर्देशों का उल्लेख होता है, जिसका सरकारी उद्यमों को पालन करना होता है।

3.6.2 इन दिशानिर्देशों के आधार पर **केंद्रीय** सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन के मसौदे तैयार किए जाते हैं और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा निदेशक मंडल से विचार-विमर्श के पश्चात दिसम्बर के महीने में लोक उद्यम विभाग में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक उद्यम विभाग में प्राप्त मसौदों की विस्तृत जांच कार्य दल के परामर्श से की जाती है। समझौता ज्ञापनों के मसौदे की जांच प्रक्रिया में सभी संभव प्रासंगिक सूचनाओं/सूचना स्त्रोतों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दस्तावेजों के प्रारूप में प्रस्तावित लक्ष्य यथार्थोन्मुखी हैं। जहां संभव होता है, उन मामलों में एक कंपनी की तुलना दूसरी कंपनी से की जाती है और प्रस्तावित लक्ष्यों पर उद्यम-विशेष के विगत निष्पादन के संदर्भ में विचार किया जाता है।

3.7 समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकें

3.7.1 वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही कर लिए जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकारी उद्यमों द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापनों के प्रारूप पर समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकों में विचार – विमर्श किया जाता है। कार्य दल के सदस्यों के अतिरिक्त इन बैठकों में प्रशासनिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी उद्यमों

के शीर्ष कार्यपालक और भारत सरकार के नोडल अभिकरणों, यथा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, व्यावसायिकों, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा लोक उद्यम विभाग से प्राप्त सभी सामग्री का प्रयोग लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अंतिम तौर पर लक्ष्य निर्धारण के पूर्व सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित मौजूदा आर्थिक स्थिति के सामान्य पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया जाता है। सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन के मापन हेतु मानदण्डों का चुनाव पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद किया जाता है और कार्यनिष्पादन संबंधी इन मानदण्डों के महत्व एवं संबंधित सरकारी उद्यम के प्रचालन स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन्हें उपयुक्त भारांक दिया जाता है। सरकारी उद्यमों द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है और मोटे तौर पर आम सहमति से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। वास्तव में, समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकें सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों में अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच भी प्रदान करती हैं और एक प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से नवीन विचारों का प्रसार होता है। इस प्रकार, सरकारी उद्यम अनुभव एवं विशेषज्ञता के इस समुच्चय से लाभान्वित होते हैं। इन बैठकों के दौरान अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों पर 31 मार्च के पहले सम्बद्ध सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं।

3.8 समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन

3.8.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन उनके समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों के सन्दर्भ में वर्ष में दो बार किया जाता है। पहले, कार्यनिष्पादन का मूल्याकंन अनंतिम परिणामों के आधार पर किया जाता है तथा दूसरी बार यह मूल्यांकन लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का यह कार्य भी विस्तृत ढंग से किया जाता है। जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का यह कार्य विशुद्ध मशीनी ढंग से नहीं किया जाता है। समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन को वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और सरकारी उद्यमों को ''उत्कृष्ट'', ''बहुत अच्छा'' ''अच्छा'', ''संतोषजनक'' एवं ''असंतोषजनक'' की श्रेणी प्रदान की जाती है।

3.9 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी

3.9.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली का कालक्रम में विकास हुआ है और वर्ष 1987-88 में हुए 4 समझौता ज्ञापनों की संख्या वर्ष **2006-2007** में बढ़कर **113** हो गई है। वास्तव में, इन **113 केंद्रीय** सरकारी उद्यमों में से कई धारक कम्पनियां हैं और यदि उनकी सहायक कम्पनियों को भी शामिल कर लिया जाए तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों की संख्या **158** तक पहुंच जाएगी। समझौता ज्ञापन प्रणाली के प्रारम्भ से लेकर अब तक हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा निम्नवत है :-

वर्ष	हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	1997-98	108
1988-89	11	1998-99	108
1989-90	18	1999-2000	108
1990-91	23	2000-2001	107
1991-92	72	2001-2002	104
1992-93	98	2002-2003	100
1993-94	101	2003-2004	96
1994-95	100	2004-2005	99
1995-96	104	2005-2006	102
1996-97	110	2006-2007	113

* **केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची परिशिष्ट**-III.

3.10 समझौता ज्ञापन पद्धति की उपलब्धियां

3.10.1 उद्देश्यों के आलोक में विचार करने पर समझौता ज्ञापन प्रणाली की कारगरता को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

- समझौता ज्ञापन पद्धति के अन्तर्गत ध्यान परिणामों की प्राप्ति की ओर हो गया है।
- **गत वर्षों के दौरान** परिचालनात्मक स्वायत्तता **में वृद्धि कर दी गई है।**
- समझौता ज्ञापन पद्धति के आरम्भ होने से **प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा** तिमाही कार्यनिष्पादन समीक्षा (क्यू०पी०आर०) बैठकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

3.11 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

3.11.1 गत पांच वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापनों के श्रेणीकरण के आधार पर उनका संक्षिप्त कार्यनिष्पादन निम्नलिखित रहा है :-

टेबल - 2

श्रेणी	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या				
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (Prov.)
उत्कृष्ट	41	46	54	45	44
बहुत अच्छा	25	21	21	31	36
अच्छा	15	12	10	12	14
संतोषजनक	12	16	11	10	08
असंतोषजनक	03	02	00	01	00
शामिल नहीं	08	03	00	00	00
जोड़	**104**	**100**	**96**	**99**	**102**

@ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की सूची **परिशिष्ट-4** में दी गई हैं।

3.12 वर्ष 2007-08 के लिए समझौता ज्ञापन से संबंधित मार्गनिर्देश

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक 1 दिसम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी जिसमें समझौता ज्ञापन से संबंधित मार्गनिर्देशों में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी सक्षम, जिनमें ऋण तथा घाटा उठाने वाले उद्यम भी शामिल हैं, अपने संबंधित मंत्रालय / विभाग के साथ प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लेंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं अथवा इसमें विलंब करते हैं तो उनका कार्यनिष्पादन ''असंतोषजनक'' श्रेणी का माना जाए तथा संबंधित उद्यम के मुख्य कार्यपालक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया जाए।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन रूग्ण उद्यमों के लिए पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका है उनके मामले में अलग मानदण्ड बनाए जाने चाहिए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले रूग्ण सरकारी उद्यमों के लिए ये नये मानदण्ड वर्ष 2007-08 से लागू होंगे।
- किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी को भी अपनी धारक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन करना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री, बालयोगी सभागार, संसद पुस्तकालय में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को संबोधित करते हुए।

सहायक कंपनियों के कार्य निष्पादन से संबंधित लक्ष्यों को धारक कंपनी के कार्य निष्पादन से संबंधित लक्ष्यों में दर्शाया जाना चाहिए। यह भी वर्ष 2007-08 से लागू होगा।

- उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह नोट किया कि कुछेक मंत्रालय समझौता ज्ञापन की कार्यसूची के मामले में गंभीर नहीं हैं। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी कार्यसूची सुस्पष्ट हो तथा उनकी प्रतिबद्धता समझौता ज्ञापन में प्रदर्शित की जाए। सभी मंत्रालयों से इस विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर संरचित तथा समझौता ज्ञापन पर आधारित समीक्षा का भी अनुसरण करना चाहिए।

अध्याय 4

मानव संसाधन विकास

4.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप में अर्हता प्राप्त मानवशक्ति का विशाल भंडार है और इन उद्यमों का कुशल रूप से परिचालन बहुत हद तक इस मानवशक्ति के प्रज्ञावी प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रबंध तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, विज़ीय पद्धतियों, उत्पादन प्रबंध आदि में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण बहुत परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार, मानव संसाधन विकास सरकारी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें ऐसा वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें लोग उत्पादनकारी और सृजनकारी गतिविधियों के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकते हैं। मानवशक्ति की गुणवज़ा और क्षमताओं तथा उनके ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न उपाए किए गए हैं। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजते हैं।

4.2 प्रशिक्षण

4.2.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग देश में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से वरिष्ठ तथा मध्य स्तरीय कार्यपालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके मानव संसाधन विकास के संबंध में लोक उद्यमों के प्रयासों में सहायता करता है।

4.2.2 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन 2-5 दिन की अवधि के लिए किया जाता है। वर्ष **2005-06** के दौरान **37** कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और वर्ष **2006-07** के दौरान **25** ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 600-800 कार्यपालकों को शामिल किया जाता है। ये कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय विज़ीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, दिल्ली, प्रशिक्षण तथा विकास संबंधी भारतीय सोसाइटी, भारतीय लागत तथा कार्य लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, प्रंबंध विकास संस्थान, गुड़गांव, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली और सीएमसी लि., **इण्डियन सोसायटी ऑफ हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेशन बंगलौर** आदि के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए विषयों में विज़ीय प्रबंध, नेतृत्व संबंधी चुनौती, प्रभावी विपणन प्रबंध, पूर्ण गुणवज़ा प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-कामर्स, प्रबंध सूचना पद्धति, संचार कौशल, निगमित शासन, समझौता ज्ञापन के सिद्धांत और पद्धतियां, परियोजना प्रबंध, पूंजी बाजार संबंधी सुधार और जोखिम प्रबंध, बातचीत संबंधी रणनीति और कौशल, **स्वास्थ्य** और तनाव प्रबंध, औद्योगिक और श्रम संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कराधान/अंतर्राष्ट्रीय विज़पोषण आदि शामिल हैं।

4.2.3 भारत उद्यमों के संवर्धन हेतु अंतर**रा**ष्ट्रीय केन्द्र, आईसीपीई, ल्यूबियाना, स्लोवेनिया का संस्थापक सदस्य है। भारत लोक उद्यम विभाग के बजट से 75000 अमरीकी डॉलर का वार्षिक अंशदान आईसीपीई को करता है। **आई सी पी ई केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों के लिए अल्पावधिक व दीर्घावधिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमो के 5 कार्यपालकों को एक दिवसीय एमबीए कार्यक्रम के लिए अनुशंसित किया गया था।**

4.2.4 **सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य है। सचिव,** लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के स्थायी सज़्मेलन (स्कोप) के कार्यकारी निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं।

4.3 कार्मिक नीति

4.3.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विभिन्न कार्मिक नीति संबंधी मामले भी देखे जाते हैं। वर्ष के

दौरान की गई कुछेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है:-

4.4 सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर के पदों पर चयन की प्रक्रिया

4.4.1 लोक उद्यम चयन मंडल (पीईएसबी) इसके चयन क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर के प्रत्येक पदों के लिए मेरिट के क्रम में दो नामों की सिफारिश करता रहा था। दूसरे नाम की सिफारिश इसलिए की जाती है, ताकि सतर्कता निकासी न होने अथवा किसी अन्य कारणवश क्रम संख्या 1 वाला व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया से पुन: गुजरने की अनिवार्यता से बचा जा सके। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि अब से पीईएसबी प्रत्येक रिक्त पद के लिए केवल एक नाम की सिफारिश करेगा। **इस मामले की फिर से समीक्षा की गई थी तथा निर्णय लिया गया था कि पी ई एस वी पहले की तरह वरीयता के क्रम में 2 नामों के पैनल की सिफारिश कर सकता है। सामान्यत: मंत्रालय द्वारा पहले नाम का चयन करना अपेक्षित होगा। दुर्लभ मामलों मे यदि मंत्रालय दूसरे नाम का चयन करता है, तो वह मंत्रालय ऐसा करने का पर्याप्त कारण दर्ज करेगा। यह मामला अंतिम निर्णय के लिए एसीसी को सौंपा जाएगा।**

4.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्व विनिवेशित उद्यमों के निदेशक मण्डल में नामित निदेशकों की नियुक्ति

4.5.1 विगत समय में सरकार ने चयनित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश किया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे पूर्व विनिवेशित उद्यमों के निदेशक मण्डल में नामित निदेशकों (गैर-सरकारी तथा सरकारी) की नियुक्ति के लिए समस्त प्रक्रिया 31.10.2006 को निर्धारित की गई थी।

4.5.2 सामान्यत: सरकार द्वारा विनिवेशित कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति करना अपेक्षित नहीं है। दुर्लभ मामलों में यदि ऐसे विनिवेशित सरकारी उपक्रमों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की जानी है, तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पैनल का प्रस्ताव करेगा तथा लोक उद्यम विभाग के माध्यम से ए सी सी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

4.5.3 सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के मामले में यदि कम्पनी के निदेशक मण्डल में 2 सरकारी निदेशक अपेक्षित हैं, तो विनिवेशित कम्पनी के संबंधित अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक तथा साथ ही संबंधित विभाग के वित्तीय सलाहकार को नामित किया जाएगा।

4.6 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रोजगार

4.6.1 कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग रोज़गार में आरक्षण पर सरकारी नीति तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर नोडल विभाग होने के नाते केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों के माध्यम से अनुपालनार्थ आरक्षण नीति प्रेषित करता है। आरक्षण नीति के संबंध में सरकारी उद्यम सामान्य तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। लोक उद्यम विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित सज़ी महत्वूपर्ण अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए राष्ट्रपति का निर्देश औपचारिक रूप से सरकारी उद्यमों को जारी करने हेतु, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को **फरवरी,** 1982 में जारी किया था। तब से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सरकार की आरक्षण नीति संबंधी अनेक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने इन अनुदेशों का समेकन किया है और अप्रैल, 1991 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी करने के लिए एक संशोधित व्यापक निर्देश सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था। आरक्षण मामले पर बाद में जारी किए गए अनुदेश भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू किए गए थे।

4.6.2 अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ-साथ आरक्षण के हकदार अन्य क्षेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का वर्तमान कोटा इस प्रकार है :-

	समूह 'क' और 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	3%	3%	3%
भूवपूर्व सैनिक एवं सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित	-	14.5%	24.5%

4.6.3 आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया है, तथापि लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों से वार्षिक रिपोर्ट मंगा कर तथा इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करके सरकारी उद्यमों द्वारा भर्ती में आरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की निगरानी करता है।

4.6.4 आरक्षित पदों को समय पर भरने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर समय-समय पर जारी अनुदेशों में बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विज़ागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को परामर्श दें कि खाली आरक्षित पदों को विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए भरने के लिए कारगर कदम उठाएं।

4.6.5 सरकारी उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर **1.1.2006** तक 211 सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है :

समूह	**अ.जा./अ.जन. का प्रतिनिधित्व**				
	कुल कर्मचारियों की संख्या	**अ.जा. संख्या**	**प्रतिशत**	**अ.ज.जा की संख्या**	**प्रतिशत**
समूह 'क'	164267	20864	12.70	5874	3.57
समूह 'ख'	162167	21695	13.37	10121	6.24
समूह 'ग'	677143	131933	19.48	64125	9.46
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	237096	53087	22.39	29878	12.60
कुल	1240673	227579	18.34	109998	8.86
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों)	13398	10610	79.19	232	1.73
कुल जोड़	1254071	238189	18.99	110230	8.78

टिप्पणी:- समूह 'क' कार्यपालक स्तर, समूह 'ख' पर्यवेक्षक स्तर, समूह 'ग' कर्मचारी/लिपकीय स्तर, समूह 'घ' उपनिपुण, निपुण श्रमिक

1.1.2006 की स्थिति के अनुसार (201 उद्यमों द्वारा तैयार सूचना पर आधारित)

टिप्पणी : यह सभी कालमों पर लागू नही है।

4.7 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4.7.1 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की अनुशंसाओं के आधार पर तथा इंदिरा साहनी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने के अनुदेश जारी किए गए थे।

4.7.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति प्रतिपादित करता है, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू किया गया था। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से इन अनुदेशों से सरकारी उद्यमों को अनुपालनार्थ अवगत कराता रहा है। लोक उद्यम विभाग ने राष्ट्रपति के निर्देशों का एक विस्तृत संकलन तैयार किया था, जिसमें सभी अनुदेशों का समावेश था और उस संकलन को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी कर दिया गया, ताकि वे उसे संस्था अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद/संबंधित अधिनियम की धारा के अंतर्गत उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें। **201 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या 1254071 थी, जिनमें से 182008 कर्मचारी 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित थे।**

4.8 विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

4.8.1 इस विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% (1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए, 1 प्रतिशत गूंगों एवं बहरों के लिए तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगता वालों के लिए) आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति का एक निर्देश, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों का समावेश था, अप्रैल, 1991 में सज़्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विज़ागों को जारी किया था और उनसे उन निर्देशों को सरकारी उद्यमों को औपाचारिक तौर पर जारी करने के लिए कहा था। विकलांगता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कुछ अभिज्ञात पदों के संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें और एक समय-सीमा निर्धारित करें, जिसके अंतर्गत बकाया रिक्तियों को भरा जा सके।

अध्याय 5

सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं

5.1 क्रय अधिमानता नीति

5.1.1 क्रय अधिमानता नीति 1992 में पूर्ववर्ती मूल्य अधिमानता नीति के स्थान पर आरंभ की गई थी। इस नीति का उद्देश्य वैश्वीकरण/उदारीकरण के वातावरण में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) को समान भागीदारी अवसर प्रदान करना और प्रतिस्पर्धा तथा प्रभावोत्पादकता के नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है। इस नीति का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में स्थापित क्षमताओं का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने का है, ताकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन को दीर्घावधिक आधार पर एक निरंतर स्तर पर सुधारा जा सके।

5.1.2 क्रय अधिमानता नीति की समीक्षा की गई है और समय-समय पर इसमें विस्तार किया जाता है। सरकार के दिनांक 30.06.2005 के निर्णय के अनुसरण में, जो नीति 31.3.2005 तक लागू थी, उसे 31.3.2008 से समाप्त कर देने की स्पष्ट शर्त के साथ तीन वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

5.1.3 इस नीति में सरकारी विभागों, स्वायज़ निकायों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में एल-1 मूल्य पर क्रय अधिमानता का प्रावधान है, यदि आपूर्तिकर्ता केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा दर्शाया गया मूल्य, अन्य बातों के समान होने पर, न्यूनतम वैध बोली मूल्य के 10% के भीतर हो। क्रय अधिमानता सहायता 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अनधिक की सिविल एवं टर्नकी संविदाओं सहित, की संविदाओं के लिए प्रदान की जाएगी। क्रय अधिमानता संबंधी प्रावधानों का 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अनधिक के लिए ''निविदा आमंत्रण सूचना'' (एनआईटी) में उल्लेख किया जाना चाहिए। यह नीति उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों पर लागू है, जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यम की 51% या उससे अधिक शेयरधारिता है, परन्तु वह केन्द्रीय सरकारी उद्यम और किसी निजी भागीदार के स्वामित्व वाला संयुक्त उद्यम नहीं है। तथापि, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची तैयार करनी होगी, जिन्हें क्रय अधिमानता की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता नहीं है। क्रय अधिमानता नीति का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम/सहायक कंपनियाँ द्वारा (विनिर्माण और अथवा सेवाओं द्वारा) न्यूनतम 20% मूल्य अभिवृद्धि एक पूर्वापेक्षा होगी।

5.1.4 यदि सरकारी उद्यम न्यूनतम **अर्हता** पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे अनर्हक घोषित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, उपयुक्त मामलों में क्रेता/ग्राहक न्यूनतमकअर्हता की सूची में से ''निवल परिसंपज़ि'' की शर्त में छूट दे सकते हैं। क्रय अधिमानता का लाभ उठाने वाले सरकारी उद्यमों का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहता है, तो उनसे निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली की जानी चाहिए अथवा संविदा में शामिल अन्य जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नीति को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग उज़रदायी होंगे। निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) में क्रय अधिमानता संबंधी धारा शामिल न करने सहित किसी भी प्रकार के विचलन के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी उद्यम/स्वायज़ निकाय को लोक उद्यम विभाग के परामर्श से मंत्रिमण्डल से पूर्व छूट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2 स्थायी मध्यस्थता तंत्र

5.2.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन किसी सरकारी उद्यम एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के बीच तथा सरकारी उद्यमों के बीच पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है। वर्ष 1993-94 से पज़न न्यासों के साथ उत्पन्न विवादों को भी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.2.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रेल मंत्रालय को पीएमए के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग को सौंपना अपेक्षित होता है, ताकि उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपा जा सके। विवाद की मौजूदगी के

संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (अब 1996) लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

5.2.2 पीएमए संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करके 22.01.2004 को जारी किया गया था। पीएमए में एक मध्यस्थ नियुक्त है और वर्ष 1989 में पीएमए की स्थापना होने से लेकर सचिव (लोक उद्यम) ने पीएमए के मध्यस्थों को **207** मामले सौंपे हैं, जिनमें से **118** मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं। पीएमए की स्थापना स्वत: समर्थित आधार पर की गई है, इसलिए पीएमए मध्यस्थता, शुल्क वसूल करता है, जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है। **दिनांक 22.1.2004 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मध्यस्थ मामला दर्ज होने अथवा लिखित नोटिस के माध्यम से मध्यस्थता करार के पक्षकारों को कार्रवाई करने की सूचना देने अथवा पक्षकारों के लिए बढ़ाई गई मान्य अवधि के 6 माह के भीतर अपना निर्णय दे देंगे।**

अध्याय 6

मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

6.1 मजूरी नीति

6.1.1 लोक उद्यम विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, संघबद्ध कर्मचारियों के मजूरी समझौते/निदेशक मंडल स्तर के तथा साथ ही निदेशक मण्डल से **कम** स्तर के पदों पर कार्यरत कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित नीति संबंधी मुद्दों के बारे में नोडल अज़िकरण के रूप में कार्य करता है। यह **विभाग** कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन तथा मजूरी नीति से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को स्पष्टीकरण तथा परामर्श प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम **अधिकांशत** औद्योगिक महंगाई भज़ा (आईडीए) वेतनमानों और **कुछ मामलों में** केन्द्रीय महंगाई भज़ा (सीडीए) वेतनमानों **की प्रणाली** का अनुसरण करते है।

6.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भज़ा (आईडीए) प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान

6.2.1 वेतनमानों तथा वेतन **प्रणाली** के संबंध में सरकार की नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी कर्मचारी आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान के अंतर्गत होने चाहिए तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जुलाई, 1981 जुलाई, 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यम का गठन अथवा उनकी स्थापना की जाए, उसमें प्रारंभ से ही आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों को अपनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के **237** उद्यम (बैंकों, बीमा कंपनियों तथा विज़ीय संस्थाओं को छोड़कर) हैं। उन्होंने लगभग **16.93** लाख कामगारों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। इनमें से लगभग **87**% कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों **में** हैं। **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यबल में 82.5% कामगार है।**

6.3 आई.डी.ए. प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालकों/ असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए वेतन संशोधन

6.3.1 आईडीए **प्रणाली** के अंतर्गत कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए पिछला वेतन संशोधन न्यायधीश मोहन समिति की सिफारिशों पर 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

6.4 1997 के वेतन आयोग की मुख्य विशेषताएं

(i) **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते (एच.आर.ए.) का भुगतान लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पट्टे पर लिए गए आवास के सम्बध में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अपने कार्यपालकों को उपयुक्त स्तर के पट्टे पर आवास प्रदान करने की लोचशीलता दी गई है। नगर प्रतिपूर्ति भत्ते (सी.सी.ए.) का भुगतान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू दरों पर किया जाता है।**

(ii) **आई डी ए प्रणाली के वेतनमानों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले के अनुसार जीवन लागत के 100% निष्प्रभावन पर आधारित है। तथापि, आई डी ए को तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जबकि सी डी ए को छमाही आधार पर जारी किया जाता है।**

(iii) **परिलाभ तथा भत्ते मूल वेतन के 50% तक सीमित है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करने तथा बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए सशक्त प्रेरणा देने के लिए परिलाभों तथा भत्तों को सीमित करना है। तथापि, कुछ भत्ते/परिलाभ जैसे मंहगाई भत्तो, मकान किराया भत्ता, नगर प्रति-पूर्ति भत्ता, प्रैक्टिस निषेध/शिक्षण निषेध अवस्थिति**

भत्ता/कठिन क्षेत्र में नियुक्ति भत्ते जैसे व्यावसायिक भत्ते तथा सेवावृत्ति लाभ, मूल वेतन के 50% की सीमा के कार्यक्षेत्र से बाहर है। उत्पादकता से संबंधित प्रोत्साहनों सहित सभी अन्य भत्ते (पी एल आई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के पूरे वितरण योग्य लाभ के 5% तक सीमित) 50% सीमा के भीतर होंगे। यदि यह सीमा कर्मचारियों के कार्य के पुरस्कार के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती, तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम मूल वेतन के 50% से अधिक परन्तु उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के पूरे वितरण योग्यक लाभ के 5 की सीमा के भीतर भुगतान कर सकते हैं। निदेशक मण्डल उपरोक्त प्रावधानों के अध्याधीन उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन पर निर्णय ले सकते हैं।

(iv) वेतन संशोधन की अवधि 1.1.1997 से 10 वर्ष के लिए है।

6.5 1.1.1997 से आई डी ए वेतनमान प्रणाली में वेतन संशोधन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लगातार लाभ अर्जित करते रहे हैं, उन्हें लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आई.डी.ए. प्रणाली में संशोधित वेतनमान अपनाने की अनुमति दी गई हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने वेतन संशोधन से पहले 3 वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में घाटा उठाया, उन्हें भी सरकार अर्थात लोक उद्यम विभाग के विचार-विमर्श से प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के साथ वेतनमान संशोधित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे ये आंकलन प्रस्तुत करें कि अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए वे किस प्रकार संसाधन जुटाएंगे।

(iii) बी आई एफ आर को सौंपे गए रूग्ण उद्यमों के मामले में आई डी ए प्रणाली अपनाने वाले सभी कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन निश्चित रूप से बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए जाने वाले पुनर्स्थापन पैकेज के अनुसार तथा इस पैकेज में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान करने के पश्चात होगा।

(iv) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निर्माणाधीन उद्यम अथवा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यम संशोधित वेतनमान अपनाने से सम्बंधित अपने प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग के विचार-विमर्श से अनुमोदन के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

6.6 द्वितीय वेतन संशोधन समिति

6.6.1 1.1.2007 से वेतनमानों की औद्योगिक मंहगाई भत्ता प्रणाली अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के असंघवद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से कम स्तर के कार्यपालकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए द्वितीय वेतन संशोधन समिति भारत के राजपत्र में दिनांक 1.12.2006 की अधिसूचना (परिशिष्ट-5) के माध्यम से दिनांक 30.11.2006 को गठित की गई थी। द्वितीय वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.जे. राव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, है डॉ. नीतिश सेन गुप्ता (अर्थशास्त्री व भूतपूर्व सचिव, कोयला योजना आयोग, भारत सरकार), श्री पी सी पारख (भूतपर्व सचिव, कोयला विभाग, भारत सरकार), श्री आर एस एस एल एन भास्करुरड्डू (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, मारुती उद्योग लि. व भूतपूर्व अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड) सदस्य हैं। सचिव तथा संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग क्रमशः समिति के पदेन सदस्य तथा सचिव हैं। समिति 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की पहली बैठक 13 दिसम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी।

6.7 आई.डी.ए. प्रणाली के अर्तगत कामगारों के लिए मजूरी संशोधन

6.7.1 आई डी ए प्रणाली के वेतनमान अपनाने वाले कामगारों के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धनों को कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन वेतन संशोधन पर बातचीत करने की पूरी स्वायत्तता प्रदान कर दी है। प्रबन्धन तथा कर्मचारियों के मध्य होने वाली नवीनतम मंजूरी वार्ता 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए और 1.1.2002 तक 5 वर्ष के लिए प्रभावी होनी थी। इस सम्बन्ध में 14.1.1999 और 26.7.2000 और 11.2.2004 को सरकारी आदेश जारी किए गए थे।

6.7.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति वेतनमान के अन्तर्गत आने वाले संघबद्ध कर्मचारियों के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की जाए:-

(i) जैसा कि 14.1.1999 को जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, मंहगाई भत्ते के 100 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण के साथ वेतन संशोधन की अवधि 10 वर्ष अथवा

(ii) जैसा कि पहले अर्थात 1.1.1992 से 31.12.1996 तक विद्यमान था, श्रेणीबद्ध निष्प्रभावीकरण के आधार पर 5 वर्ष की अवधि।

6.7.3 जिन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने कामगारों के लिए 5 वर्षीय मजूरी वार्ता का विकल्प चुना था, उन्हें 1.1.2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक और मजूरी वार्ता की अनुमति दी गई है। कुछ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम वार्ता-समस्त मजूरी समझौता पहले ही क्रियान्वित कर चुके हैं।

6.7.4 कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) तथा इसकी सहायक कम्पनी के मामले में हाल ही में 5 वर्ष की अवधि के लिए वेतन संशोधन में उच्च उत्पादन के आधार पर मूल वेतन पर ध्यान न देते हुए मंत्रियों के समूह के निर्णय के आधार पर संघबद्ध कर्मचारियों के लिए 100% महंगाई भत्ते के निष्प्रभावन की अनुमति दी गई है। सचिवों की समिति की सिफारिशों के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों को 5 वर्ष की अवधि के हाल ही के वेतन संशोधन में औद्योगिक सौहार्द के आधार पर उसी तरीके से 100% महंगाई भत्ते के निष्प्रभावन की अनुमति दे दी है। वेतन संशोधन के मामले में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के 2 विचलन हैं, जिनकी अनुमति हाल ही में सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा अपवाद मामले के रूप में दी गई है।

6.8 मजूरी वार्ता के सातवें दौर से संबंधित नीति

6.8.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में संघवद्ध कर्मचारियों के लिए सामान्यतः 1.1.97 से है। प्रभावी मजूरी वार्ता का छठा दौर 31.12.2006 को समाप्त हो गया है। लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 9.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 1.1.2007 (सामान्य आधार पर) से प्रभावी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संघवद्ध कर्मचारियों के लिए मजूरी वार्ता के सातवें दौर के लिए नीति से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी वार्ता के छठे दौर से संबंधित वर्तमान नीति के समान है।

6.9 वेतन संशोधन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

6.9.1 उच्चतम न्यायालय ने ए के बिन्दल व अन्य बनाम् केन्द्र सरकार की हस्तातंरण याचिका 2000 का 8 में बी आई एफ आर को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के वेतन संशोधन के मामले में 25.4.2003 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की हैं कि सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं, इसलिए उन्हें यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि सरकार उनके वेतन का भुगतान करे। इसमें यह टिप्पणी भी है कि कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के मामले में नियोक्ता कम्पनी की आर्थिक व्यावहार्यता अथवा वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि बी आई एफ आर में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों की इस शर्त के निर्धारण में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन में कोई बैधानिक अथवा असंवैधानिक विसंगति नहीं है कि वेतन संशोधन व अन्य लाभ प्रदान करने की अनुमति केवल तभी दी जाए यदि एकक के पुनरूद्धार करने का निर्णय लिया जाता है तथा पुनरूद्धार पैकेज में इसके कारणवश अधिक देयताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

6.10 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सीडीए प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारियों का वेतन संशोधन

6.10.1 सीडीए प्रणाली के वेतनमान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछेक लिपिकीय कर्मचारियों, असंघबद्ध संवर्ग के कर्मचारियों तथा कार्यपालकों के मामले में लागू हैं, जो 1.1.1986 को तथा 31.12.1988 तक उद्यमों की नामावली में शामिल थे और उस समय सीडीए प्रणाली के वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.3.1986 के निर्देश के अनुपालन में सरकार ने एक उच्चाधिकार वेतन समिति की नियुक्ति की थी तथा इसने 24.11.1988 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.5.1990 के निदेशों के साथ पठित 28.8.1991 के अनुवर्ती निदेशों के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में 1.1.1989 से आईडीए प्रणाली तथा सम्बन्धित

वेतनमान प्रारम्भ किए गए हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों (एचपीपीसी में शामिल) में से 61 उद्यम ऐसे हैं जो आईडीए और सीडीए दोनों प्रकार के वेतनमान अपना रहे हैं। उच्चाधिकार वेतन समिति की सिफारिशों तथा उन पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतनमान की सीडीए प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारी केवल तभी वेतन संशोधन प्राप्त करेंगे जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे परिवर्तन लागू किए जाएंगे। तदनुसार, सीडीए प्रणाली अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को भी 1.1.1996 से हुए 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा सीडीए प्रणाली अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को भी 1.4.2004 से मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलय करने के लाभ की अनुमति दी गई है। इस लाभ की अनुमति घाटा न उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रदान की गई है, जो सरकार से किसी बजटगत सहायता के बिना अपने संसाधनों में से मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की स्थिति में है।

6.11 स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना (वीआरएस)

6.11.1 वर्तमान नियंत्रणमुक्त एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, केन्द्रीय सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों सहित उद्योग जगत के **वर्तमान** पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। केन्द्रीय सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों में श्रमिकों की संज्या को उपयुक्त सीमा में लाना ऐसे ही उपायों में से एक है।

6.11.2 इस प्रक्रिया में पहली बार अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की **घोषणा** की गई थी, इसे संशोधित किया गया था तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एक विस्तृत पैकेज अधिसूचित किया गया था, ताकि केन्द्रीय सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही पुनर्गठन के विविध तरीकों से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा भी की जा सके।

6.11.3 सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में 1 जनवरी, 1992 अथवा 1997 से, जैसी स्थिति हो, **जहाँ पर** मजूरी समझौता प्रभावी नहीं हो सका, उन उद्यमों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना को 6 नवंबर, 2001 को **अनुवर्ती** अधिसूचना जारी कर उदार बनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया था कि जिन उद्यमों में वर्ष 1992 का मजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 100% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए और इसी प्रकार जिन उद्यमों में वर्ष 1997 का मंजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए। वर्ष 1986 के वेतनमानों में सीडीए **प्रणाली** अपनाने वाले कर्मचारियों को वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि में 26.10.2004 से 50% की वृद्धि की गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृति क्षतिपूर्ति में इन वृद्धियों की गणना कर्मचारियों के वर्तमान वेतन के आधार पर की जानी है।

6.11.4 प्रारंभ में अक्तूबर, 1988 से स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना की शुरूआत से ले कर मार्च, 2004 तक **5.55** लाख **लगभग** कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना के अंतर्गत सेवामुक्त किया जा चुका है।

6.12 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना, **जो स्वयं** व्यय वहन कर सकते है।

6.12.1 विज़ीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भज़ा) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

6.13 मामूली लाभ कमाने वाले अथवा घाटा उठाने वाले **केन्द्रीय** सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना

6.13.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली अथवा घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अव्यावहारिक कंपनियों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे

(i) गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृज़ि होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा

(ii) भारी उद्योग विभाग का वीएसएस पैकेज (डीएचआई मॉडल) जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + मंहगाई भज़ा) **अथवा** सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इन में से जो भी कम हों, **अनुग्रह राशि प्राप्त कर** सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और **बशर्ते** यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी **की राशि से अधिक न हो**।

6.14 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वित्तपोषण

6.14.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाले अथवा घाटा उठाने वाले तथा रूग्ण उद्यमों को वीआरएस लागू करने के लिए बजटीय सहायता केवल तभी प्रदान की जाएगी, यदि बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं होता। यह राशि सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध करायी जाती है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के रूग्ण/अव्यवहारिक उद्यमों के मामले में बजटीय सहायता का अनुरोध करने से पहले वित्तपोषण के अन्य संसाधनों अर्थात वीआरएस/वीएसएस के वित्तपोषण के लिए परिसम्पत्ति प्रतिभूतीकरण तथा सरकारी गारंटी पर बैंक ऋण इत्यादि का पता लगाया जाना चाहिए।

अध्याय 7

सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

7.1 सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा सामान्यतया, 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। **केन्द्रीय** सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों के मुज़्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। **सामान्य तौर पर** उद्यम के मुज़्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निज़्न**तर** अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी-कभी मुज़्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रूग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

7.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्ड़ों का विकास किया है। यह वर्गीकरण निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर्मचारियों की संज़्या जैसे मात्रात्मक मानदण्डों तथा राष्ट्रीय महत्व, समस्या की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, क्रियाकलापों के विस्तार एवं विविधीकरण की संभावना तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मात्रात्मक मानदण्डों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम** के रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में अनुसूची संबंधी प्रस्ताव पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मंडल से परामर्श करता है। वर्तमानत: अनुसूची 'क' में **53,** अनुसूची 'ख' में **88**, अनुसूची 'ग' में **52** तथा अनुसूची 'घ' में 7 उद्यम **तथा सरकारी क्षेत्र के 37 उद्यम अवर्गीकृत है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम को अनुसूची क से उन्नयन करके अनुसूची ख में तथा 2 उद्यमों को अनुसूची 'ग' से उन्नयन करके अनुसूची 'ख' में लाया गया है।** सरकारी उद्यमों की अनुसूचीवार सूची **परिशिष्ट-6** में दी गई है।

अध्याय 8

सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

8.1 विज़ मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2004-05 के दौरान घोषणा की थी कि सरकार, सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार और पुनर्गठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बीआरपीएसई का गठन करेगी। **तदनुसार**, सरकार ने दिनांक 6 दिसज़्बर, 2004 की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन कर दिया था, जिसमें **एक** अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। **इसके अलावा** अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष, तेल एंव प्राकृतिक गैस निगम लि. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उसके मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यम से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है। **बीआरपीएसई में भारत सरकार के अपर सचिव पद का एक अलग से पूर्णकालिक सचिव भी है।**

8.2 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थोपाय पर समान्य रूप से सरकार को परामर्श देना और उनको अधिक स्वायत तथा व्यावसायिक बनाना;

(ख) केन्द्रीय सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों के पुनर्गठन पर - विज़ीय, संगठनात्मक और व्यवसाय (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, संविलयन और अधिग्रहण सहित) तथा ऐसी योजनाओं के विज़पोषण के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देना;

(ग) रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए उनके आमूलचूल परिवर्तन हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(घ) लंबे समय से रूग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियां, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया सकता, उनके संबंध में विनिवेश/बंद करने/**पूर्ण अथवा आंशिक रूप से** बिक्री करने के लिए सरकार को परामर्श देना। ऐसी अव्यावहारिक कंपनियों के संबंध में बोर्ड कंपनी को बंद करने की अन्य लागतों और कामगारों की वैध देयताओं और प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए उद्यमों की अधिशेष परिसंपज़ियों की बिक्री सहित स्रोतों के संबंध में सरकार को परामर्श भी देगा;

(ड.) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शुरूआती रूग्णता को मॉनीटर करना; और

(च) ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना, जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाएं।

8.3 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की पहली बैठक 16.12.2004 को आयोजित की गई थी। **जनवरी, 2006 से दिसम्बर 2006** तक **16** बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और बोर्ड ने **इस अवधि के दौरान सौंपे गये 4 मामलों सहित सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावों** पर विचार किया है **और 14 उद्यमों के मामले में अपनी सिफारिशें दी है** शेष **3 सरकारी उद्यमों से संबंधित प्रस्ताव** अतिरिक्त सूचना हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सौंपे जा चुके हैं।

8.4 **सरकारी क्षेत्र के 14 उद्यमों** के संबंध में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आती है:-

क्रम सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की संज़्या
1	पुनरूद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरूद्धार	13
2	बन्द करना	1
	जोड़	**14**

8.5 बीआरपीएसई की स्थापना से अब तक 44 बैठके हुई हैं तथा सरकारी क्षेत्र के 46 उद्यमों के प्रस्ताव पर विचार किया है। दिसम्बर 2006 तक बोर्ड ने सरकारी

क्षेत्र के 40 उद्यमों के मामले में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी हैं तथा शेष 6 के प्रस्तावों को अतिरिक्त सूचना के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों को सौंप दिया गया है। अनुशंसित 40 मामलों में से दिसम्बर 2006 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 21 उद्यमों से संबंधित प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिए हैं।

8.6 सरकारी क्षेत्र के 40 उद्यमों के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख वर्गों के अंतर्गत आती हैं।

क्रम सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की संख्या
1	पुनर्गठन पैकेज के माध्यम से पुर्नस्थापन	31
2	संयुक्त उद्यम/विभाग के माध्यम से पुर्नस्थापन	7
3	बन्द करना	2
	जोड़	40

8.7 बीआरपीएसई की अन्य मुख्य सिफारिशें

8.7.1 बीआरपीएसई ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधारों पर भी सिफारिशों की हैं। बोर्ड ने 7.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के लिए शीर्ष प्रबन्धकीय प्रतिभा आकर्षित करने की योजना की सिफारिश की है, जो सरकार के विचाराधीन है।

अध्याय 9

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना

9.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन पर जोर दिया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण भी एक आवश्यकता बन गई है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों को क्रियान्वित करने की तथा प्रभावित कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने की रही है।

9.2 सुरक्षा तंत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने स्थूल तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के व्यय को पूरा करने के लिए तथा संगठित श्रेत्र में कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की थी। **बाद में,** फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष **(एन.आर.एफ.)** को समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 2001 तक पुनर्प्रशिक्षण के कार्यकलाप औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा चलाए जाते थे। वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) की योजना लागू की गई थी।

9.3 अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनिर्नियोजन (**सी.आर.आर.**) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनकों नये काम-धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया अपनाने में उनकी सहायता करना।

9.4 **इस योजना के तीन मुख्य संघटक हैं- परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन।** परामर्श से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबंध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/ विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 20 /30 / 40 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याज़्यान के अतिरिक्त संबद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षाणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सज़्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्नियोजन करना है। **वर्तमान** योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अत: नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

9.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के परिसर मे सुग्राहीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले कैप्स्यूल कोर्स, दिशानिर्देशों के लिए साहित्य, प्रेरणा एवं जागरुकता तथा बजार में उपलज़्ध अवसरों से संबंधित जानकारी **आदि** प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शीघ्र सेवानिवृज़ि की चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वास के साथ संगठन छोड़ सकें।

9.6 सीआरआर कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए आंतरिक संरचना में लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे तथा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियाँ भी गठित की गई हैं। योजना में संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के **उद्यमों** के चयनित सदस्यों सहित सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा समिति का भी प्रावधान है।

9.7 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृज़ि योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, उनका पुनरानुकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/ सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात अनुवर्ती कार्यक्रम करने, ऋण संस्थानों के साथ अंत: संबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने तथा समन्वयकारी समिति की बैठक बुलाने में दायित्वों का निष्पादन करना होता है।

9.8 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के **उद्यम** कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें **पृथककृत** कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लंबे संबंधों के कारण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के **उद्यम पुन: प्रशिक्षण संबंधी उनकी** आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

9.9 आरंभ में, वर्ष 2001-02 के लिए योजना निधि 8 करोड़ रुपए आबंटित की गई थी, जिसे वर्ष 2002-03 और 2003-04 में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2004-05 **तथा 2005-06** के दौरान योजना निधि में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 30 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष **2006-07** के दौरान बजट आबंटन **में और वृद्धि कर आबंटित राशि 31.50 करोड़ रु. कर दी गई है। बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए सी.आर.आर. योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए तथा इसके परिणामस्वरूप बेहतर पुर्ननियोजन करने के लिए इस योजना को फिर से तैयार किया जा रहा है। संशोधित योजना को योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए अपेक्षित अनुमोदित बजटगत आबंटन 40 करोड़ रु. होगा। चूंकि वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान 10 करोड़ रु. है, इसलिए पूरक आबंटन का अनुरोध किया जाएगा।** यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए **32** नोडल अभिकरण प्रचालनरत हैं, जिनके अन्तर्गत **99** कर्मचारी सहायता केन्द्र **(ई.ए.सी.)** आते हैं। सीआरआर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान **क्रमश:** 8064, 12066, 12134 और 28003 कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान **कर्मचारियों का** लक्ष्य 28000 निर्धारित **था जबकि 28854 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 15464 कर्मचारियों को पुनर्नियोजित किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान 29000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में अक्टूबर 2006 तक 17057 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा दिसम्बर 2006 तक नोडल अभिकरणों को 20.59 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। नोडल अभिकरणों की सूची अनुबंध-7 में दी गई है।**

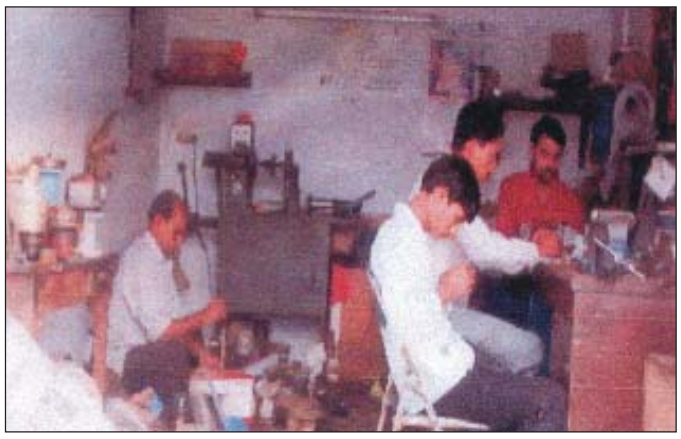

सीआरआर स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारी सहायता केंद्र, भिलाई में मध्यप्रदेश कन्सलटेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा पुन: प्रशिक्षित श्री पी.के. महापात्र द्वारा संचालित मैसर्स एस.के. इलेक्ट्रिकल्स

अध्याय 10

राजभाषा नीति

10.1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत उल्लिखित विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उज़रदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए भी उज़रदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

10.2 वर्ष **2006-07** के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी **किए गए हैं।** हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में काम करती है और वर्ष **2006-07** के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई **थी।**

10.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा **सितम्बर, 2006 के दौरान** 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं यथा भाषण, निबंध लेखन, टिप्पणी एवं आलेखन, (हिन्दी भाषी), टिप्पणी एवं आलेखन, (हिन्दीतर भाषी), हिन्दी श्रुतलेख तथा हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

10.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन के संबंध में 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में बजट सत्र के दौरान **प्रत्येक वर्ष** प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है, जिसे इस विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

डा. आर.सी. पण्डा, सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित हिन्दी पखवाड़ा में पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए

अध्याय 11

महिलाओं का कल्याण

11.1 लिंग की समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्ज़व्य तथा निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। हमारा संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के ढांचे के अंदर हमारे कानूनों, हमारी विकास नीतियों, हमारी योजनाओं तथा हमारे कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए लोक उद्यम विभाग में एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशों एवं मानदण्ड़ों के बारे में सरकारी उद्यमों के मुज़्य कार्यपालकों को अनुपालन तथा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक हेतु सूचित कर दिया है।

11.3 लोक उद्यम विभाग एक छोटा विभाग है, जिसमें **स्वीकृत पदों** की कुल संज़्या 128 है, जिनमें से **13** महिला कर्मचारियों **सहित 99 अधिकारी/कर्मचारी पदग्रहण किए हुए है।** लोक उद्यम विभाग सरकारी **क्षेत्र के** उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में काम करता है तथा सभी सरकारी उद्यमों के संबंध में नीति तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्वक माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, ताकि महिला कर्मचारी सज़्मान, गरिमा के साथ और बिना **किसी** भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

लोक उद्यम विभाग का संगठन

परिशिष्ट II-क

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों की सूची

1. भारत हैवी इलैक्ट्रिकलस लि.
2. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
3. गेल इण्डिया लि.
4. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
5. इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.
6. महानगर टेलीफोन निगम लि.
7. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि.
8. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि.
9. स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लि.

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यम

श्रेणी-I

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
3. **भारत अर्थ मूवर्स लि.**
4. **भारत संचार निगम लि.**
5. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
6. केन्द्रीय भण्डारण निगम
7. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
8. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
11. **गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि.**
12. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
13. **हिन्दुस्तान लेटैक्स लि.**
14. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
15. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
16. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
17. इरकॉन (इंटरनेशनल) लिमिटेड
18. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
19. **मझगांव डॉक लि.**
20. एमएमटीसी लिमिटेड
21. **एमएसटीसी लि.**
22. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
23. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
24. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
25. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
26. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
27. ऑयल इंडिया लिमिटेड
28. विद्युत विज़ निगम लिमिटेड
29. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
30. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
31. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.**
32. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
33. **राईटस लि.**
34. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
35. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड

श्रेणी-II

36. टेलीकज्युनिकेशन कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड
37. बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड
38. एजूकेशनल कंसल्टेंटस (इंडिया) लिमिटेड
39. **इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंण्डिया) लि.**
40. फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
41. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
42. होस्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड
43. इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
44. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
45. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड
46. मेकॉन लिमिटेड
47. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
48. पीईसी लिमिटेड
49. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
50. वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

परिशिष्ट III

वर्ष 2006-07 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची

1 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.
2. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.
3. बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लि.
4. ऑयल (इण्डिया) लि.
5. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
6. गेल (इण्डिया) लि.
7. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.
8. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
9. कोल इंडिया लि.
10. नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
11. एनटीपीसी लि.
12. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.
13. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि.
14. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
15. **टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.**
16. सतलुज जल विद्युत निगम लि.
17. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
18. भारत अर्थ मूवर्स लि.
19. भारत डायनामिक्स लि.
20. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
21. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
22. कनार्टक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
23. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.
24. **स्कूटर्स इंण्डिया लि.**
25. इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यिुटिकल्स. लि.
26. **भारत इक्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलाजिकल लि.**
27. कुद्रेमुख आयरन ओर.**कं.** लि.
28. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.
29. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
30. इण्डियन रेयर अर्थ्स लि.
31. खनिज गवेषण निगम लि.
32. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
33. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
34. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
35. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
36. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
37. मिश्र धातु निगम लि.
38. स्पंज आयरन इंडिया लि.
39. आईटीआई लि.
40. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.
41. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
42. सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
43. महानगर टेलीफोन निगम लि.
44. भारत संचार निगम लि.
45. टेलीकज्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.
46. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
47. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
48. भारतीय नौवहन निगम लि.
49. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
50. कोचीन शिपयार्ड लि.
51. गोवा शिपयार्ड लि.
52. मझगांव डॉक लि.
53. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
54. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
55. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि.
56. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी. लि.
57. कोंकण रेलवे कारपो. लि.
58. **केन्द्रीय अन्तदेर्शीय जल परिवहन निगम लि.**
59. **एनार पोर्ट लि.**
60. **हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजिनियर्स लि.**
61. इण्डियन एयरलाइन्स लि.
62. मुज़्बई रेलवे विकास निगम
63. एमएमटीसी लि.
64. **उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम लि.**

65. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
66. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
67. पीईसी लि.
68. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
69. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
70. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
71. इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
72. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.
73. एमएसटीसी लि.
74. फैरो स्क्रेप निगम लि.
75. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
76. आर्टिफिशियल लिज़्ज़स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
77. इण्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि.
78. **नेशनल फर्टिलाइजर्स** लि.
79. **एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एंड मिनरल (इंडिया) लि.**
80. **प्रोजेक्ट एण्ड डेवेलपमेन्ट इंडिया लि.**
81. **केन्द्रीय भण्डागार लि.**
82. भारतीय राज्य फार्ज़्स निगम लि.
83. उज़र-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
84. राष्ट्रीय बीज निगम लि.
85. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपो. लि.
86. **राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फटिलाईजर्स लि.**
87. इंजीनियर्स इण्डिया लि.
88. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
89. राइट्स लि.
90. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
91. **राष्ट्रीय परियोजना विनिर्माण निगम लि.**
92. **एच.एस.एस.सी. लि.**
93. मेकॉन लि.
94. एजूकेशनल कंसल्टेंटस ऑफ इण्डिया लि.
95. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम **लि.**
96. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
97. वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंट्स सर्विसिज (इंडिया) लि.
98. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
99. ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इंडिया लि.
100. **राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम लि.**
101. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
102. आवास एवं शहरी विकास निगम
103. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
104. भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
105. भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूमि निगम लि.
106. विद्युत विज़ निगम लि.
107. इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन **लि.**
108. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विज़ एवं विकास निगम लि.
109. राष्ट्रीय अल्पसंज़्यक विज़ एवं विकास निगम लि.
110. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम**
111. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि.**
112. **एयर इण्डिया लि.**
113. **एनटीसी लि.**

वर्ष 2005-06 के समझौता ज्ञापन से संबंधित अंक (अंनतिम)

सं.	सरकारी उद्यम का नाम	समझौता ज्ञापन अंक	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
1.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.	1.17	उत्कृष्ट
2.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरशन लि.	1.51	बहुत अच्छा
3.	बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लि.	1.34	उत्कृष्ट
4.	ऑयल इंडिया लि.*	1.71	बहुत अच्छा
5.	ऑयल एण्ड नेचुरल गेस कंपनी लि.*	1.45	उत्कृष्ट
6.	गेल (इण्डिया) लि.*	1.28	उत्कृष्ट
7.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.	1.03	उत्कृष्ट
8.	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.00	उत्कृष्ट
9.	कोल इंडिया लि.	1.90	बहुत अच्छा
10.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि.*	1.27	उत्कृष्ट
11.	एनटीपीसी लि.*	1.61	बहुत अच्छा
12.	नेवली लिगनाईट कॉरपोरेशन लि.	1.21	उत्कृष्ट
13.	न्यूक्लिर पावर कॉरपोरेशन लि.	1.28	उत्कृष्ट
14.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरशन लि.*	1.69	बहुत अच्छा
15.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.*	1.09	उत्कृष्ट
16.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि.*	1.20	उत्कृष्ट
17.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	1.30	उत्कृष्ट
18.	भारत डायनेमिक्स लि.	1.41	उत्कृष्ट
19.	हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लि.	1.04	उत्कृष्ट
20.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.*	1.29	उत्कृष्ट
21.	कर्नाटका एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	1.40	उत्कृष्ट
22.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	1.04	उत्कृष्ट
23.	स्कूटर्स इंडिया लि.	2.92	अच्छा
24.	इंडियन मेडिसनस/फार्मास्यिूटिकल्स कॉरपोरेशन लि.	3.04	अच्छा
25.	एचएमटी लि.	3.66	संतोषजनक
26.	भारत एम्यूनोलोजिकल लि.	1.65	बहुत अच्छा
27.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.*	2.22	बहुत अच्छा
28.	मैगनीज़ ओर (इंडिया) लि.	1.11	उत्कृष्ट
29.	नेशनल मिनरल डवलेप्मेंट कॉरपोरेशन.*	1.27	उत्कृष्ट
30.	इण्डियन रेयर अर्थ लि.	1.72	बहुत अच्छा

31.	मिनरल एक्सपोलोरेशन कॉरपोरेशन लि.	1.20	उत्कृष्ट
32.	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.*	2.09	बहुत अच्छा
33.	स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	1.44	उत्कृष्ट
34.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1.95	बहुत अच्छा
35.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1.28	उत्कृष्ट
36.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.*	1.37	उत्कृष्ट
37.	मिश्र धातु निगम लि.	1.09	उत्कृष्ट
38.	स्पेंज आयरन इंडिया लि.*	4.03	संतोषजनक
39.	आईटीआई लि.*	3.52	संतोषजनक
40.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	1.51	बहुत अच्छा
41.	ईलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	3.34	अच्छा
42.	सेट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.*	2.21	बहुत अच्छा
43.	महानगर टेलिफोन निगम लि.	2.05	बहुत अच्छा
44.	भारत संचार निगम लि.	1.26	उत्कृष्ट
45.	टेलिकम्यूनिकेशनस कन्सलटेंटस इंडिया लि.	2.06	बहुत अच्छा
46.	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	3.37	अच्छा
47.	राजस्थान इलेक्ट्रिोनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेन्टेशन लि.*	1.49	उत्कृष्ट
48.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.*	1.29	उत्कृष्ट
49.	ड्रेजिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2.04	बहुत अच्छा
50.	कोचीन शिपयार्ड लि.	2.43	बहुत अच्छा
51.	गोवा शिपयार्ड लि.	1.89	बहुत अच्छा
52.	मझगांव डॉक लि.	2.42	बहुत अच्छा
53.	कंटेंनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.05	उत्कृष्ट
54.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.*	3.87	संतोषजनक
55.	एयरपोर्ट अथारिटि ऑफ इंडिया	1.83	बहुत अच्छा
56.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी. लि.*	1.92	बहुत अच्छा
57.	कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि.	3.84	संतोषजनक
58.	इंडियन एयरलाईन्स लि.	2.50	बहुत अच्छा
59.	मुम्बई रेल विकास निगम	2.43	बहुत अच्छा
60.	एमएमटीसी लि.	1.18	उत्कृष्ट
61.	हेन्डीक्राफटस एण्ड हेन्डलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन	3.45	अच्छा
62.	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लि.	1.02	उत्कृष्ट
63.	पीईसी लि.*	1.80	बहुत अच्छा
64.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इडिया लि.	1.61	बहुत अच्छा

65.	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2.20	बहुत अच्छा
66.	नेशनल हेन्डलूम डेवेल्पमेंट कॉर.	2.05	बहुत अच्छा
67.	इंडियन ट्रेड प्रोमोशन ओरगेनाइजेशन	1.94	बहुत अच्छा
68.	इंडिया टयूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	2.25	बहुत अच्छा
69.	एमएसटीसी लि.	2.00	बहुत अच्छा
70.	फेरो (स्कैप) निगम लि.	1.87	बहुत अच्छा
71.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	3.59	संतोषजनक
72.	आर्टिफिशियल लिम्बस मेन्यूफेक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.*	3.49	अच्छा
73.	इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लि.	2.68	अच्छा
74.	नेशनल फर्टिलाइर्जस लि.	1.32	उत्कृष्ट
75.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लि.	1.13	उत्कृष्ट
76.	स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	3.99	संतोषजनक
77.	नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉ.	4.49	संतोषजनक
78.	नैशनल सीडस. कॉरपोरेशन लि.	2.01	बहुत अच्छा
79.	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाईजर्स कॉरपोरेशन लि.	3.48	अच्छा
80.	राष्ट्रीय केम्किल्स एण्ड फर्टिलाईजस लि.	1.08	उत्कृष्ट
81.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	2.35	बहुत अच्छा
82.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	1.24	उत्कृष्ट
83.	राईटस लि.*	1.68	बहुत अच्छा
84.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि.	1.27	उत्कृष्ट
85.	एचएसएससी लि.	2.96	अच्छा
86.	मेकॉन लि.	1.82	बहुत अच्छा
87.	एजुकेशनल कन्सलटेंटस इंडिया लि.	3.18	अच्छा
88.	नेशनल स्माल इंडस्टरीज़ कॉरपोरेशन लि.	3.11	अच्छा
89.	नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन	2.24	बहुत अच्छा
90.	वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सार्विसेज (आई) लि.	1.00	उत्कृष्ट
91.	नेशनल बिल्डिंग कंन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
92.	ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंटस इंडिया लि.	2.88	अच्छा
93.	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर. लि.	3.46	अच्छा
94.	हाउंसिग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	2.38	बहुत अच्छा
95.	रूरल इलैक्ट्रिफीकेशन कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
96.	इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	3.21	अच्छा
97.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर. लि.	1.05	उत्कृष्ट

98.	पावर फाईनेंस कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
99.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.	1.00	उत्कृष्ट
100.	नेशनल बीसी फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर.	1.00	उत्कृष्ट
101.	नेशनल माईनोरिटिस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर.	2.09	बहुत अच्छा
102.	नेशनल शेडयूलकास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर.	1.95	बहुत अच्छा

समझौता ज्ञापन अंक (संयुक्त)	श्रेणी
1.00–1.50	उत्कृष्ट
1.51–2.50	बहुत अच्छा
2.51–3.50	अच्छा
3.51–4.50	संतोषजनक
4.51–5.00	असंतोषजनक

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2006

सं.2(10)/06/लोउवि-मजूरी कक्ष-भारत सरकार विगत कुछ समय से सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों पर विचार करती रही है। दिनांक 1.1.1997 से किए गए पिछले संशोधन के बाद से स्थितियां कई मामलों में बदल गई हैं।

2.1 समक्ष प्राधिकारी, वेतन संशोधन समिति के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम.जे. राव
(सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय)

सदस्य

(1) डॉ. नीतिश सेनगुप्त
(अर्थशास्त्री एवं भूतपूर्व सदस्य-सचिव, योजना आयोग)

(2) श्री पी.सी. पारख
(भूतपूर्व सचिव, कोयला विभाग, भारत सरकार)

(3) श्री आर.एस.एस.एल.एन. भास्करूडु
(भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, मारुति उद्योग लि. तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मंडल)
पदेन-सदस्य

(4) सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार

सचिव

संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार

2.2 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:-

2.2.1 समिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यपालकों को दिए गये जाने वाले संपूर्ण पैकेज जिसमें गैर-मौद्रिक प्रकृति वाले भी शामिल होंगे, को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन, भत्ते, अनुलाभों तथा अन्य लाभों के सिद्धांतों की जांच तथा उन परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देगी, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों :

(i) निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालक
(ii) निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालक
(iii) असंघबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टॉफ

2.2.2 समिति सिफारिशें करेगी ताकि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आधुनिक, व्यावसायिक, नागरिक सहायक और सफल वाणिजियक उद्यम में परिवर्तित किया जा सके, जोकि लोगों की सेा के प्रति समर्पित है।

2.2.3 समिति उप पैरा-2.2.1 में उल्लिखित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की श्रेणियों के लिए व्यापक वेतन पैकेज तैयार करेगी जोकि ढांचों, संगठनों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के संवर्धन रूप से संबद्ध तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम के भीतर कार्यात्मक और प्रचालनात्मक संवर्धन करते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था, दायित्व, पारदर्शिता, अनुशासन, जिम्मेदारी, प्रौद्योगिकी के समावेश और अनुसंधान एवं विकास को शक्ति प्रदान कर सके। उपयुक्त वेतन पैकेज तैयार करते समय केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति पर आधारित वेतनमानों की वर्तमान पद्धतियों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के श्रेणीकरण जैसाकि अनुसूची 'क', 'ख', 'ग' और 'घ', मिनीरत्न, नवरत्न, घाटा उठाने वाले, लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और बीआईएफआर अथवा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गए उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा। समिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के संबंध में अलग से वेतन संशोधन संबंधी दिशानिर्देशों के मुद्दे की जांच करेगी।

2.2.4 समिति उभरते हुए राष्ट्रीय और सार्वभौमिक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों को सौहार्दपूर्ण बनाने की सिफरिश करेगी। इसमें अन्य तर्कसंगत बातों में कर्मचारियों का उपलब्ध लाभों की पूर्णता, यौक्तिकीकरण की आवश्यकता और उसका सरलीकरण, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत उपलब्ध वर्तमान वेतन ढांचा और सेवानिवृत्ति लाभ, देश में आर्थिक स्थिति, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध में वित्तीय विवेक बनाए रखने की आवश्यकता, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कारण, उस सम्बन्ध में मांगों तथा सार्वभौमिक परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी को भी ध्यान में रखा जाएगा।

2.2.5 समिति सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदण्डों और शर्तों के संबंध में जांच करेगी तथा सिफारिशें करेगी, जिन्हें वांछनीय, व्यवहारिकता, उत्पादकता से संबंधित प्रोत्साहन योजना और कार्यनिष्पादन से संबंधित अदायगियों को जारी रखने और संशोधित करने को शासित करना चाहिए।

2.2.6 अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय समिति छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।

3. समिति अपने विचारानुसार आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग और वे सभी जो आवश्यक सहयोग दे पाने की स्थिति में हों और वैसा कर सकने को स्वतंत्र हों, ऐसी संबद्ध सूचनाएं एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो समिति के लिए अपेक्षित हों।

4. समिति 18 माह की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी और उसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय 1-1-2007 से लागू होंगे।

6. समिति की सहायता लोक उद्यम विभाग द्वारा की जाएगी।

(कपिल देव त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूचीवार सूची

अनुसूची - क

1. एयर इण्डिया लि.
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3. भारत भारी उद्योग निगम लि.
4. भारत अर्थ मूवर्स लि.
5. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.
6. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
7. भारत पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
8. भारत संचार निगम लि.
9. भारत यंत्र निगम लि.
10. कोल इण्डिया लि.
11. कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
12. इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
13. इंजीनियर्स इण्डिया लि.
14. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
15. भारतीय खाद्य निगम
16. गेल (इण्डिया) लि.
17. हैवी इंजीनियरिंग कॉरपो. लि.
18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
19. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
20. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
21. एच.एम.टी लि.
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लि.
23. आई.टी.आई. लि.
24. इण्डियन एयरलाइन्स लि.
25. इण्डियन ऑयल कॉरपो. लि.
26. कोंकण रेलवे कॉरपो. लि.
27. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.
28. एमएमटीसी लि.
29. महानगर टेलीफोन निगम लि.
30. मझगांव डॉक लि.
31. मेकॉन लि.
32. मुंबई रेल विकास कारपोरेशन लि.
33. नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.
34. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
35. नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कॉरपो. लि.
36. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
37. नेशनल टेक्सटाईल कॉरपो. **होल्डिंग कंपनी** लि.
38. एनटीपीसी लि.
39. नेवेली लिग्नाईट कॉरपो. लि.
40. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
41. ऑयल इंडिया लि.
42. विद्युत विज़ निगम लि.
43. पावर ग्रिड कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
44. रेलटेल कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
45. रेल विकास निगम लि.
46. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
47. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
48. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
49. भारतीय नौवहन निगम लि.
50. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
51. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
52. टेलीकज़्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.

अनुसूची - ख

1. एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.
2. बामेर लॉरी एण्ड कं. लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. भारत डायनामिक्स लि.
5. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.
6. भारत पज़्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.
7. बोंगाईगांव रिफाईनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.
8. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.
9. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
10. ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन लि.
11. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि.
12. ब्रिटिश इण्डिया कॉरपो. लि.
13. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.

14. सीमेंट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
15. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
16. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.
17. केन्द्रीय खान आयोजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि.
18. केन्द्रीय भण्डारण निगम लि.
19. चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
20. कोचीन शिपयार्ड लि.
21. कॉटन कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
22. ड्रेजिंग कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
23. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
24. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
25. एन्नौर पोर्ट लि.
26. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
27. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
28. गोवा शिपयार्ड लि.
29. गुरू गोविंद सिंह रिफाइनरीज लि.
30. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
31. हिन्दुस्तान केबल्स लि.
32. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपो. लि.
33. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
34. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपो. लि.
35. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
36. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
37. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपो. लि.
38. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
39. एचएमटी **मशीन टूल्स** लि.
40. एचएमटी (वाचेज) लि.
41. आईबीपी कंपनी लि.
42. भारत पर्यटन विकास निगम लि.
43. इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
44. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
45. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.
46. इण्डियन ऑयल ज्लैंडिंग कंपनी लि.
47. इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपो. लि.
48. इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपो. लि.
49. इण्डियन रेअर अर्थ्स लि.
50. इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
51. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
52. कोच्चि रिफाइनरीज़ लि.
53. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
54. महानदी कोलफील्ड्स लि.
55. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.
56. मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.
57. खनिज गवेषण निगम लि.
58. मिश्र धातु निगम लि.
59. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
60. नेशनल जूट मैन्यु. कॉरपो. लि.
61. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
62. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
63. नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपो. लि.
64. नार्दन कोलफील्ड्स लि.
65. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
66. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
67. नेटेका (गुजरात) लि.
68. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
69. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
70. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
71. नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.
72. नेटेका (उज़र प्रदेश) लि.
73. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
74. नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.
75. ओएनजीसी विदेश लि.
76. पीईसी लि.
77. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.
78. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.
79. राइट्स लि.
80. सतलुज जल विद्युत निगम लि.

81. स्कूटर्स इण्डिया लि.
82. सेमी-कण्डक्टर काज़्प्लेक्स लि.
83. साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
84. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपो. लि.
85. टायर कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
86. यूरेनियम कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
87. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची - ग

1. एयरलाइन्स एलाइड सर्विसिज लि.
2. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.
3. आर्टिफिशियल लिज़्बस मैन्यु. कॉरपो. लि.
4. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. बंगाल इज़्युनिटी लि.
6. भारत लेदर कॉरपो. लि.
7. भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
8. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.
9. भारत वैगन एण्ड इंजी. कं. लि.
10. बीको लॉरी लि.
11. ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इण्डिया लि.
12. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
13. केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लि.
14. चिनार वाचेज लि.
15. एजूकेशनल कंल्टेंट्स (इण्डिया) लि.
16. एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लि.
17. फैरो स्क्रेप निगम लि.
18. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
19. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.
20. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
21. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
22. हिन्दुस्तान फोटो फिल्ज़्स मैन्यु. **कंपनी** लि.
23. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
24. एचएमटी (बियरिंग्स) लि.
25. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
26. भारतीय होटल निगम लि.
27. भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.
28. जूट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
29. एमएसटीसी लि.
30. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.
31. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विज़ एवं विकास निगम
32. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
33. राष्ट्रीय विकलांग विज़ एवं विकास निगम
34. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
35. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
36. राष्ट्रीय अल्पसंज्यक विज़ एवं विकास निगम
37. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
38. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विज़ एवं विकास निगम
39. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विज़ एवं विकास निगम
40. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विज़ एवं विकास निगम
41. राष्ट्रीय बीज निगम लि.
42. नेपा लि.
43. उज़र पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
44. उज़र पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
45. प्रागा टूल्स लि.
46. राजस्थान इलैट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
47. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
48. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
49. **मसाला व्यापार निगम लि.**
50. स्पंज आयरन इण्डिया लि.
51. भारतीय राज्य फार्ज़्स निगम लि.
52. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
53. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
54. वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि.

अनुसूची - घ

1. हिन्दुस्तान ज़्लूरोकार्बन्स लि.
2. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
3. इण्डियन मेडीसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉरपो. लि.
4. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.
6. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
7. यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

परिशिष्ट VII

2006-07 **के लिए** चुने गये नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों की सूची

1. एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचेम), दिल्ली
2. सीपेट, चेन्नई
3. सीपेट, भुवनेश्वर
4. सीपेट, अमृतसर
5. सीपेट, हाजीपुर
6. सीपेट, गुवाहाटी
7. सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई
8. सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मोहाली (चंडीगढ़)
9. सीएमसी लि.
10. **इलेक्ट्रोनिक सर्विस एण्ड ट्रेनिग सेंटर, रामनगर**
11. इंडियन काऊंसिल ऑफ स्मॉल इण्डस्ट्रीज, कोलकाता
12. इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट, पटना
13. इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर डेवलपमेंट, जयपुर
14. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर
15. मध्य प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन, भोपाल
16. मिटकॉन, पुणे
17. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एनआईएसआईइटी), हैदराबाद
18. नेशनल प्रोडक्टिविटी काऊंसिल, नई दिल्ली
19. नेशनल स्कूल ऑफ कज़्प्यूटर एजूकेशन, कोलकाता
20. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली
21. निटरा, गाजियाबाद
22. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, बंगलौर
23. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, चेन्नई
24. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कोयज़्बटूर
25. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, इंदौर
26. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कानपुर
27. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कोलकाता
28. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, मुज़्बई
29. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, पटना
30. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, रायपुर
31. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, विजाग
32. उज़र प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन लि., कानपुर

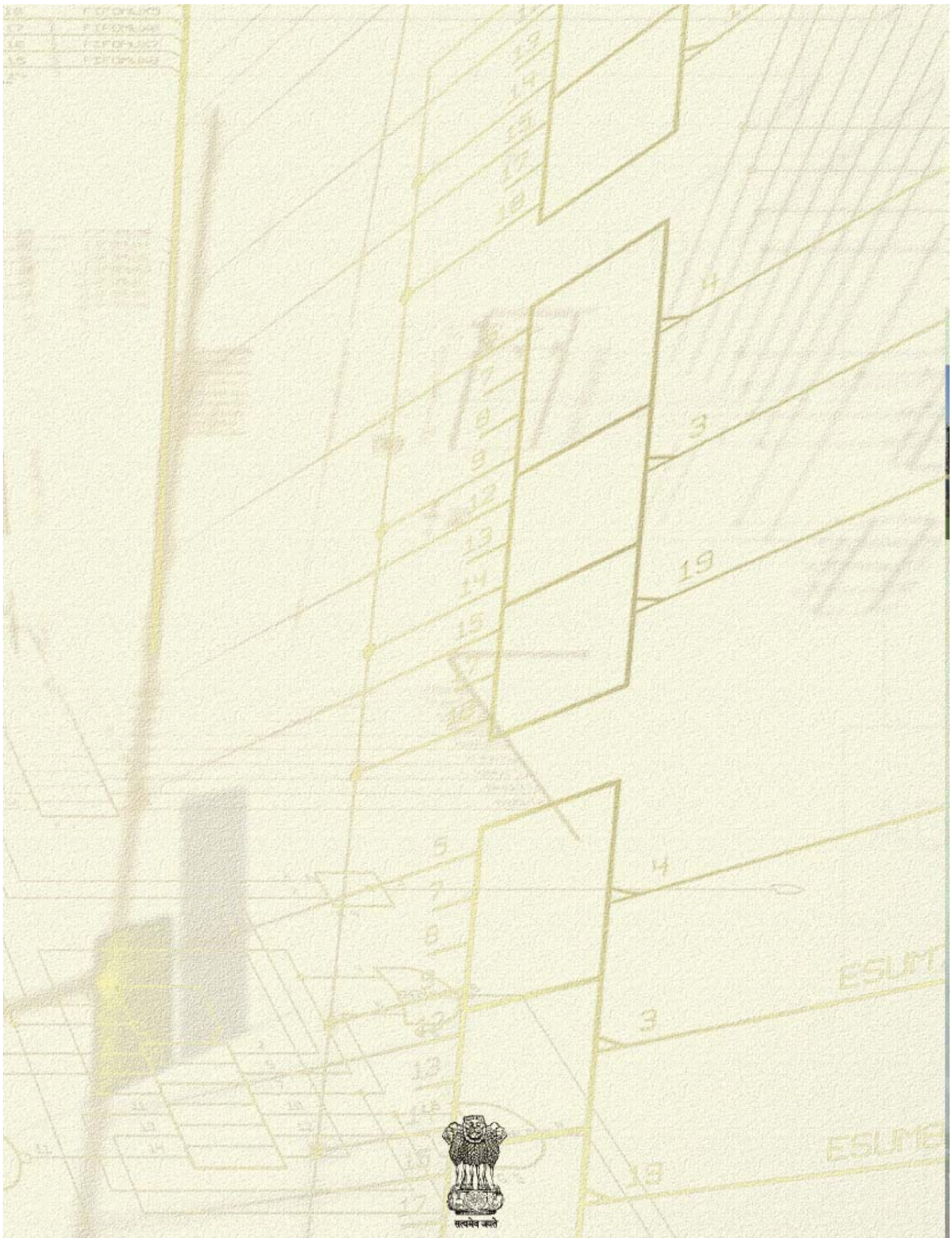

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार